Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

द्वीप समूह
का
सांस्कृतिक अध्ययन

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

द्वीप समूह
का
सांस्कृतिक अध्ययन

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

द्वीप समूह का सांस्कृतिक अध्ययन

[अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सारगर्भित अध्ययन]

लेखक :

—राजेन्द्र प्रताप सिंह

एम० ए०, एल-एल० बी०

[इन्सपैक्टर इन्चार्ज [विशेष] सी० आई० डी०]

प्रगति प्रकाशन

आगरा—३

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

समर्पण

माता पिता को !

जिनकी वात्सल्यमयी
गोद में बैठ, जिन्दगी की राह में चलने की
शक्ति पाई !

जिनके प्यार की छाँह में
बैठ क, ख, ग लिखना
और पढ़ना सीखा !

जो आज भी वही हैं जो
आज से पूर्व थे और रहेंगे !

राजेन्द्र

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

दो शब्द

इन द्वीपों को भारत की साधारण जनता जितना काला-पानी के नाम से जानती थी उतना अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से नहीं। देश के इतिहास में एक काले धब्बे से लगते थे, उस समय जब हम पराधीन थे—स्वयम् ही गुलामी के अन्धकार में डूबे हुए, प्रकाश पाने के लिए व्याकुल थे।

समय का पहिया चलता रहता है। स्वतन्त्रता के सूर्य की रश्मियाँ १९४७ ई० के अगस्त मास में इन द्वीपों पर भी पड़ीं। आलोकित हो उठे ये द्वीप। असलियत उभर आई इनकी। तभी जन मानस ने जाना कि गुलामी के अन्धकार में धब्बे से दिखाई देने वाले ये द्वीप वस्तुतः भारतीय गणतन्त्र के पूर्वांचल के प्रहरी हैं।

६ अक्टूबर, सन् १९५४ के दिन 'एस० एस० महाराजा' द्वारा आया था इन द्वीपों में। तब से लगभग १३–१४ वर्ष हो गए यहाँ रहते। जीवन के बहुत से सुन्दर और असुन्दर क्षण बिताए मैंने यहाँ। अपना ही लिया है इन द्वीपों ने मुझे! मैं भी कुछ ऐसा घुल-मिल गया हूँ इनमें कि विद्रोह की कल्पना मात्र ही हृदय के एक कोने में टीस पैदा कर देती है।

अपने इस आवास में जो कुछ पढ़ा है, जाना है, सुना है—पुस्तकों से, यहाँ के मित्रों से, बुजुर्गों से, सब शब्द बन कर प्रस्तुत पुस्तक के पन्नों पर उभर आए हैं। ध्येय यही है कि इन द्वीपों के इतिहास से पाठकों को परिचित करा दूँ। पता नहीं पाठक गण इसे पसन्द करेंगे कि नहीं। एक भय......., एक सिहरन सी उठती है शरीर में, जब सोचता हूँ कि यह पुस्तक मैं पाठकों के सम्मुख रख रहा हूँ। यदि कुछ क्षणों के लिए भी यह पुस्तक पाठक को इन द्वीपों की ओर आकर्षित कर सकी तो समझूंगा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया।

आभारी हूँ उन लेखकों का, जिनकी पुस्तकों से बहुत से ऐतिहासिक तथ्य मिले, सर्वश्री हरिनारायन अग्रवाल, त्रिवेणी प्रसाद झा एवं श्री पुरुषोत्तम वशिष्ठ का, जिनके सहयोग के फलस्वरूप ही यह पुस्तक इस रूप में प्रस्तुत की जा सकी है और जीवन के उन क्षणों का जिनमें मुझे इस विषय पर चिन्तन करने तथा लिखने का अवसर मिला।

—राजेन्द्र प्रताप सिंह

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

अनुक्रम

(१) सामान्य खण्ड

(१) परिचय ११
(२) जलवायु ... १५
(३) जनसंख्या ... १६
(४) निवासी २०
(५) कैदी ३६

(२) इतिहास खण्ड

(१) अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ३८
(२) उपनिवेश बसाने का प्रथम प्रयास (१७९५ ई० तक) ... ४२
(३) ,, ,, ,, द्वितीय प्रयास (१८५८ से वर्तमान काल तक) ४५
(४) दूधनाथ तिवारी

(३) विकास खण्ड

(१) वन सम्पदा ७३
(२) कृषि ८१
(३) शिक्षा ८३
(४) मछली उद्योग ८८
(५) स्वास्थ्य और अस्पताल ९०
(६) पुनर्वास कार्य ... ९२
(७) निकोबार द्वीप समूह ९४
८) इतिहास ९८
ओंगी भाषा के शब्द १२५
संदर्भ ग्रंथ सूची १३५

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

प्रथम भाग

[अण्डमान द्वीप समूह]

सामान्य खण्ड

परिचय :

बंगाल की नीली जलराशि में मोतियों की माला बिखरे दानों के सदृश्य ये द्वीप [गंगा] हुगली के मुहाने से पाँच सौ नब्बे मील [भौगोलिक] दूरी १०°३०'' से ३०°४५'' उत्तरी अक्षांश तथा ९२°१५'' से ९३°१५'' पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित हैं।

ज्ञात इतिहास के अनुसार इनका सभ्य जगत के साथ सम्पर्क सर्व प्रथम सन् १७८८ ईस्वी में हुआ। यह वह समय था, जब भारत की तत्कालीन सरकार के आदेश पर कैप्टन आर्कबाल्ड ब्लेयर उपनिवेश स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान की खोज में यहाँ आये थे।

ये द्वीप 'अण्डमान' तथा 'निकोबार' नाम के दो भिन्न वर्गों में बंटे हुए हैं।

अण्डमान वर्ग के द्वीपों की कुल संख्या २४१ है। इनमें मुख्य द्वीप हैं : बड़ा अण्डमान (Great Andaman) और छोटा अण्डमान (Little Andaman)। बड़ा अण्डमान द्वीप तीन भागों में विभाजित है :—

१. उत्तरी अण्डमान।

२. मध्य अण्डमान।

३. दक्षिणी अण्डमान।

बड़े अण्डमान द्वीप की लम्बाई कुल १५५ मील है और इसकी चौड़ाई कहीं

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

भी १८ मील से अधिक नहीं है। उत्तरी अण्डमान में वर्तमान माया बन्दर और डिगलीपुर तहसील का क्षेत्र आता है। मध्य अण्डमान में रंगत तहसील तथा दक्षिणी अण्डमान में इसी नाम की तहसील का क्षेत्र आता है। उत्तरी अण्डमान में दो थाने हैं : माया बन्दर और डिगलीपुर। मध्य अण्डमान में केवल एक थाना है, जिसका नाम रंगत है। दक्षिणी अण्डमान में तीन थाने हैं : अबरडीन, बम्बूफ्लाट और डन्डस प्वाईन्ट। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी पोर्टब्लेयर है। यह दक्षिणी अण्डमान के उत्तरी-पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह बन्दरगाह कलकत्ता से ७८० मील, मद्रास से ७४० मील और रंगून [बर्मा] से ३६० मील दूर है।

छोटा अण्डमान द्वीप बड़े अण्डमान द्वीप के दक्षिण में ३० मील की दूरी पर स्थित है। इसकी लम्बाई ३० मील और चौड़ाई १७ मील है। डंकन पैसेज (Duncun Passage) नामक जल डमरूमध्य इस द्वीप को बड़े अण्डमान द्वीप से अलग करता है।

बड़े अण्डमान द्वीप के मध्य में उत्तर से लेकर दक्षिणी भाग तक पर्वतों की एक शृंखला स्थित है। उत्तरी अण्डमान के 'सैंडिल पीक नामक पहाड़ की उँचाई समुद्र तल से २४०० फीट है। यह अण्डमान द्वीप समूह का सबसे ऊँचा पहाड़ है। बड़े अण्डमान द्वीप में संकरी एवम् पतली घाटियों को बनाती हुई, घने अचन वृत सम्बन्धी जंगलों से भरी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। मध्य अण्डमान में—विशेष कर दक्षिणी अण्डमान में—दक्षिणी भारत के 'डंकन' की पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों की भाँति ही, पूर्व और पश्चिम के समुद्री तटों पर घाट हैं। पूर्वी तट की पहाड़ियों की ऊँचाई पश्चिमी तट की पहाड़ियों से अधिक है।

इनमें मुख्य पहाड़ियाँ निम्नलिखित हैं :—

१. माउन्ट डियाबोलो [ऊँचाई १६७८ फीट]।
२. माउन्ट कोईयोव [ऊँचाई १५०५ फीट]।
३. माउन्ट हैरियट [ऊँचाइ ११६३ फीट]।
४. फोर्डस पीक [ऊँचाई १४२२ फीट]।

इन द्वीपों में कोई नदी नहीं है। मीठे पानी के सदैव बहते रहने वाले सोते भी बहुत कम हैं। जंगलों में पाई जाने वाली वनस्पति साधारणतः बर्मा में पाई जाने वाली वनस्पति के समान है। मलाया में पाई जाने वाली वनस्पति की कुछ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

किस्में भी यहाँ पायी जाती है। इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल ६६८२ वर्ग किलोमीटर है।

हिंसक पशुओं से रहित हरे-भरे मनोहारी वनों से आच्छादित तथा सागर की नीली जल राशि में बिखरे हुए इन द्वीपों के प्राकृतिक सौन्दर्य की तुलना विश्व के किसी भी प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण द्वीप से की जा सकती है।

इन द्वीपों में स्थित पर्वत शृंखला को भू-गर्भ शास्त्रियों ने बर्मा के आराकान-योमा नामक ज्वालामुखी पर्वत शृंखला का एक भाग माना है। प्रसिद्ध भू-गर्भ शास्त्री डाक्टर प्रेन के अनुसार बैरिन द्वीप का सुप्त ज्वालामुखी सुण्डा द्वीपों की ज्वालामुखी पर्वत शृंखला का भाग है। नारकुण्डम द्वीप के ज्वालामुखी को इन्होंने पेगुयोमा की ज्वालामुखी पर्वत शृंखला का अंग माना है।

बैरिन द्वीप पोर्ट ब्लेयर के उत्तर-पूर्व में ७१ मील की दूरी पर स्थित है। इस पर स्थित पहाड़ी की ऊँचाई समुद्र तल से ११५० फीट है। नारकुण्डम द्वीप उत्तरी अण्डमान से पूर्व की ओर ७२ मील की दूरी पर स्थित है। इस पर स्थित पहाड़ी की ऊँचाई समुद्र तल से २३३० फीट है।

भारतीय संघ का अभिन्न अंग होते हुए भी मुख्य भूमि से लगभग ८०० मील की दूरी पर स्थित ये द्वीप पूर्वी एशियायी देशों से आने-जाने वाले जल मार्ग पर प्रहरी सदृश खड़े हैं। इनकी जलवायु तथा प्राकृतिक सौन्दर्य मुख्य भूमि (भारत) से भिन्न है। आदियुग की प्रतीक स्वरूप पायी जाने वाली आदिवासियों की जातियाँ, जो यहाँ कई हजार वर्ष पूर्व आकर बस गयीं थीं और सम्भवतः विश्व की सबसे प्राचीन जीवित मानव जातियों में से हैं, बरबस ही हमारा ध्यान इन द्वीपों की ओर आकर्षित कर लेती हैं।

उपरोक्त बातों के अलावा एक बात और है जिसके कारण प्रत्येक देश-भक्त एव स्वतन्त्रता प्रिय भारतीय नत-मस्तक हो इन द्वीपों के प्रति श्रद्धा-पुष्प चढ़ाता रहेगा। सन् १८५७ ईस्वी तथा उसके बाद के स्वतन्त्रता आन्दोलन में पकड़े गये अनेक देश-भक्तों ने अपने जीवन का सबसे कठोर एवम् यातनाओं से पूर्ण भाग यहाँ की सैल्यूलर जेल में हँसते-हँसते बिताया, इस आशा में कि माँ भारती के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियाँ एक-न-एक-दिन कट कर गिरेंगी ही और फिर देश स्वतन्त्र होगा। इनमें चिर-स्मरणीय विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानन्द,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

सरदार पृथ्वीसिंह आजाद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त ३१ दिसम्बर सन् १९४३ को नेताजी श्री सुभाष चन्द्र बोस ने यहाँ सर्व प्रथम 'आजाद हिन्द सरकार' का तिरंगा झण्डा फहराया था। उस समय इन द्वीपों पर तत्कालीन जापानी सेनाओं का अधिकार था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आजाद हिन्द फौज तथा आजाद हिन्द सरकार के प्रधान थे, जिसे धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दे रखी थी। जापानी सेना ने इन द्वीपों पर मार्च, सन् १९४२ में अधिकार किया था। वे यहां अक्टूबर, सन् १९४५ तक रहीं। इसी माह में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का इन द्वीपों पर पुनः अधिकार हुआ था।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

जलवायु

इन द्वीपों की जलवायु उष्ण कटिबन्धीय है, लेकिन द्वीप के चारों तरफ फैले हुए सागर के वक्षस्थल को छू-छू कर नियमित रूप से बहने वाली हवाओं के फलस्वरूप यहाँ का वातावरण बड़ा सुखद एवं मनोरम बना रहता है। यहां का तापमान पूरे वर्ष भर प्रायः एक सा ही रहता है। कभी-कभी इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जाड़े की ऋतु में यहाँ का सबसे न्यूनतम तापमान ६२° फारेनहाइट और ग्रीष्म ऋतु का उच्चतम तापमान ९४° फारेनहाइट रहता है।

दिसम्बर से मार्च तक की अवधि जाड़े की ऋतु की होती है। उस समय यहाँ का औसत उच्चतम तापमान ८३° फारेनहाइट से लेकर ८७° फारेनहाइट तक रहता है और न्यूनतम तापमान ६२° फारेनहाइट से ७८° फारेनहाइट के बीच रहता है।

मार्च से मई तक की अवधि ग्रीष्म ऋतु की होती है। अप्रैल इस ऋतु का सबसे गर्म महीना होता है। उस समय यहाँ का न्यूनतम तापमान ८९° फारेनहाइट से लेकर ९०° फारेनहाइट तक रहता है।

वर्षा यहाँ दो मानसूनी हवाओं [दक्षिण-पच्छिमी मानसून और उत्तर-पूर्वी मानसून] से होती है।

यहाँ की औसत वर्षा १२३" है। इस वर्षा का अधिकाँश दक्षिण–पच्छिमी मानसून से ही होता है। मई–जून तथा सितम्बर-अक्तूबर महीनों के ये दो जोड़े ऐसे हैं, जिनमें बहुत अधिक वर्षा होती है। इन महीनों में दक्षिण–पच्छिमी मानसून हवाएँ चलती रहती हैं। सबसे अधिक वर्षा प्रायः जून के महीने में होती है। उत्तर–पूर्वी मानसूनी हवाएँ नवम्बर से आरम्भ होकर फरवरी तक चलती हैं। इस अवधि में अक्सर साइक्लोन (Cyclone) उठते हैं। फरवरी के मध्य से मार्च के अन्त तक की अवधि में प्रायः सूखा रहता है।

यहाँ के वायुमण्डल में प्रायः वर्ष भर नमी रहती है। दक्षिण–पच्छिमी मानसून के समय में यह नमी ९०% हो जाती है। दिसम्बर और फरवरी में यह नमी बहुत कम हो जाती है।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

जनसंख्या

इन द्वीपों की जनसंख्या उपनिवेश के विकास के साथ शनैः-शनैः बढ़ती रही है। सन् १९४५ से पूर्व यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग लाए गये कैदियों तथा उनके परिवार के व्यक्तियों का था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन द्वीपों का बहुमुखी विकास बड़ी तीव्र गति से आरम्भ हुआ और फलस्वरूप यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि में भी तीव्रता आई।

सन १९०१ से लेकर १९६१ तक की जनसंख्या तालिका निम्नलिखित है:—

सन्	जनसंख्या
१९०१	१८१३८
१९११	१७६४१
१९२१	१७८१४
१९३१	१९२२३
१९४१	२१३१६
१९५१	१८९६२
१९६१	५८९८५

मार्च २३ सन् १९४२ से लेकर अक्तूबर सन् १९४५ तक इन द्वीपों पर जापानी सेनाओं का पूर्ण अधिकार रहा। ये सेनाएँ द्वितीय विश्व महायुद्ध में धुरी राष्ट्र की सेनाओं का अंग थीं। जर्मनी, इटली और जापान इन तीनों देशों में उस समय तानाशाही का बोलबाला था। विश्व विजय करके सारे विश्व को तीन भागों में बाँट लेने का स्वप्न देखते हुए, इन राष्ट्रों का एक संगठन कायम हुआ था। इन्हीं तीनों राष्ट्रों को द्वितीय विश्व-युद्ध काल में धुरी राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता था।

अपने साढ़े तीन साल के आवास में जपानी सेनाओं ने इन द्वीपों के निवासियों पर जो बर्बरता पूर्ण और अमानुषिक अत्याचार किये हैं उनका स्मरण करते

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ही यहाँ के निवासी जो अभी जीवित बचे हैं, काँप उठते हैं। बीसवीं शताब्दी में भी यदि कहीं किसी सभ्य समाज के प्राणियों द्वारा आदि काल की नृशंस एवं वर्बर दण्ड प्रणाली अपनाई गयी है, तो वह स्थान ये द्वीप ही हैं।

साधारण अनाज की चोरी के लिये अब्दुल सत्तार, मेवा और खान मोहम्मद नामक व्यक्तियों को वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोर्टब्लेयर [लड़कों का] के छात्रावास के पीछे स्थित बरगद के पेड़ में उल्टा लटका कर, और मिट्टी का तेल छिड़क कर जिन्दा ही जला दिया गया था। इन व्यक्तियों ने भूख से पीड़ित हो कर लगभग एक या दो सेर चावलों की गोदाम से चोरी की थी।

यह इन द्वीपों का सौभाग्य था कि उस समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द सरकार तथा सेना का संगठन हो चुका था और सन् १९४४ में इस सरकार का एक प्रतिनिधि मण्डल कर्नल लोकनाथन के नेतृत्व में आ चुका था। कहा जाता है कि इसी प्रतिनिधि मण्डल के प्रयास से गुप्तचर दल संगठन के आरोप में गिरफ्तार लगभग साढ़े तीन या चार सौ व्यक्तियों पर यहाँ की सैनिक अदालत में चल रहे पाँचवे मुकदमे से प्रायः सभी जीवित बचे व्यक्तियों को सन् १९४५ में बचाया जा सका था। जापानी शासन की इस अवधि में यहाँ के लगभग तीन हजार तीन सौ व्यक्ति या तो भूख तथा बीमारी से मर गए या जापानियों द्वारा दी गयी यातनाओं के फलस्वरूप मारे गये।

सन् १९४५ में इन द्वीपों के भारत सरकार के अन्तर्गत पुनः आ जाने पर यहाँ बसे कैदियों को सरकारी खर्चे पर अपने घर जाने की आज्ञा मिल गई थी। इस सरकारी आज्ञा का लाभ उठाकर लगभग चार हजार दो सौ व्यक्ति अपने घर [भारत] चले गये। सन् १९४६ के अन्त तक यहाँ की जनसंख्या घट कर केवल चौदह हजार रह गई थी, अर्थात जनसंख्या ३३% घट गई।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार इन द्वीपों [अण्डमान द्वीप समूह] की जनसँख्या १८,९६२ थी। इस संख्या में वे पन्द्रह सौ पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी हैं, जिन्हें १९४९ से १९५१ के मध्य तक यहाँ लाकर बसाया गया था। सन् १९५२ में इन शरणार्थियों की संख्या १,८६१ हो गयी थी, परन्तु इसमें से ३३४ व्यक्ति बंगाल वापस चले गए और १५२७ व्यक्ति यहाँ रह गए।

सन् १९५१ की जनगणना में सर्वप्रथम बार पोर्ट ब्लेयर को नगर क्षेत्र और अण्डमान के अन्य भाग को ग्राम क्षेत्र मान कर जनगणना की गयी थी। इसके अनुसार पोर्ट ब्लेयर की आबादी ८०१४ अर्थात अण्डमान की आबादी का ७४% थी। उस समय ग्राम क्षेत्र में २२९५७ व्यक्ति रहते थे।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

शरणार्थियों को बसाने की इस योजना के प्रथम चरण के बाद लगभग चार हजार पूर्वी बंगाल के शरणार्थी परिवारों को पाँच वर्ष के अन्दर बसाने की एक योजना बनायी गयी। इस योजना के अन्तर्गत बीस हजार एकड़ भूमि पर से जंगलों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना चालू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत यहाँ १९५३ में सौ शरणार्थी परिवार लाये गये। सन् १९६१ में यहाँ की जनसंख्या ५८,९८५ हो गई। सन् १९६५ में यह संख्या अनुमानतः [अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह] ७५,००० और सन् १९६६ में ७८,००० हो गई थी। सन् १९६७ के मार्च तक यह जन संख्या बढ़ कर अनुमानतः ८०,००० हो गयी।

पोर्ट ब्लेयर की १९६३–६४ में जनसंख्या १४०७५ थी जिसमें ८९४६ पुरुष और ५१२९ स्त्रियाँ थीं। सन् १९६६ में यह जनसंख्या बढ़कर लगभग २० हजार हो गयी थी।

सन् १९६१ के जनगणना के अनुसार इन द्वीपों में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल ८ व्यक्ति रहते थे। बसे हुए ग्रामों की संख्या ३९९ थी तथा उजड़े ग्रामों की संख्या कुल १३ थी।

यहाँ की आबादी का ४९·१ प्रतिशत भाग उन व्यक्तियों का है जो काम करते हैं इसमें से ७० प्रतिशत पुरुष हैं। पुरुषों में से लगभग ४५ प्रतिशत या तो खेती करते हैं या खेती से सम्बन्धित कार्य करते हैं। शेष व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने का कार्य या शिकार करते हैं। कुछ लोग मछली पकड़ने, बगीचा लगाने तथा पशु पालन का काम करते हैं लगभग ५५ प्रतिशत व्यक्ति कारखानों में, निर्माण कार्यों में, यातायात विभाग में, तथा अन्य नौकरियों में कार्य करते हैं।

सन् १९६१ की जनगणना रिपोर्ट में दी गई निम्नलिखित तालिका में उपरोक्त बातों का स्पष्टीकरण किया हुआ है :—

श्रेणी	आबादी			आबादी का प्रतिशत
	पुरुष	स्त्री	योग	
मजदूर :—				
१. खेतिहर	५२२८	१२२७	६४५५	१०.२ %
२. खेती में काम करने वाले मजदूर	३३६	१२	३४८	०.३ %

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

३. पशुपालन [मच्छी मारना, शिकार खेलना, बगीचा लगाना]	६६८६	३०७	६२६३	११.५ %
४. घरेलू वस्तु का कारोबार	२०४७	२६१२	४६५६	७.३ %
५. अन्य वस्तुओं का निर्माण	११४५	५६	१२०४	१.६ %
६. निर्माण कार्य	५४२६	१६	५४४२	८.७ %
७. व्यापार और व्यवसाय	१०६५	३०	१०६५	१.६ %
८. यातायात और स्टोर	४०३	×	४०३	०.६ %
६. अन्य नौकरियाँ	४०११	२८४	४२६५	६.७ %

काम करने वालों की कुल संख्या

पुरुष	स्त्री	योग	प्रतिशत
२६६४८	४५४६	३११६४	४६.१ %

काम न करने वालों की संख्या

पुरुष	स्त्री	योग	प्रतिशत
१२६५६	१६६६८	३२३५४	५०.६ %

कुल आबादी :—

पुरुष	स्त्री	योग
३६३०४	२८२४४	६३५४८

(नोट :— इस तालिका में दी हुई संख्या पूरे अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की है।)

०

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

निवासी

मूल निवासी :—

यहाँ के मूल निवासी देखने में काले, छोटे तथा औसत कद के और घुंघराले बाल वाले होते हैं। ये लोग ज्यादातर नंगे रहते हैं। इनका जीवन बन में पैदा होने वाली वस्तुओं, जैसे फल, मूल तथा शहद आदि पर ही निर्भर रहता है। ये माँसाहारी भी हैं। इनकी प्रकृति-आकृति, रहन-सहन तथा आचार-विचार को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये लोग आदि युग की पाषाण सभ्यता (Stone Age) से एक पग भी आगे नहीं बढ़े हैं।

अण्डमान द्वीप समूह उन द्वीपों तथा महाद्वीप से घिरा है जहाँ अनेक महान राज्यों का उदय हुआ तथा उनकी सभ्यताओं और संस्कृति का विकास और ह्रास हुआ। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि ये द्वीप समूह भारत से जावा-सुमात्रा तथा मलाया आदि देशों को जानेवाले तत्कालीन जलमार्ग पर पड़ते थे फिर भी उस भारत तथा उन देशों में फैले हुए सभ्यता की किरणें इन निवासियों तक नहीं पहुँच पायीं और ये आज भी प्रायः उसी रूप में वर्तमान हैं जिस रूप में वे हजारों वर्ष पूर्व थीं।

ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता। हमें केवल यह मानकर संतुष्ट होना पड़ता है कि इनकी हिंसक तथा क्रूर प्रकृति के कारण कोई भी देश उस समय इनके सम्पर्क में न आ सका। कुछ लोगों का मत है कि ये लोग पुर्तगाली निग्रो वंशज के हैं। कहा जाता है कि इस वंश के कुछ गुलामों को लेकर, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों थे, एक जलयान इधर से जा रहा था और वह इन द्वीपों के समीप ही दुर्घटना-ग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना से कुछ बचे हुए व्यक्ति इन द्वीपों में आ लगे। इन्हीं से वर्तमान समय में पाई जाने वाली इन मूल जातियों का सम्बन्ध बताया जाता है।

डाक्टर लिडो सिप्रयानी ने, जो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के नृतत्व शास्त्र (Anthropology) विभाग के अध्यक्ष थे, इस मत का खण्डन किया है। उनके

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

अनुसार इन आदिवासीयों की शारीरिक बनावट अफ्रीका तथा अन्य स्थानों में पायी जाने वाली निग्रो जाति से भिन्न है। निग्रो जाति के लोगों के होंठ मोटे, नाक चौड़ी, कन्धे चौड़े और हाथ-पाँव बड़े होते हैं। इसके विपरीत इन आदिवासियों के होंठ पतले, नाक नुकीली और पतली, आँखें काली और चमकदार होती हैं। इनके हाथ-पैर छोटे होते हैं तथा कन्धे चौड़े नहीं होते। निग्रो की भाँति न इनके मूंछ निकलती है और न दाढ़ी। शरीर के अन्य स्थानों पर इनके बहुत थोड़े बाल होते हैं। इनकी स्त्रियों की जाँघें पूरी भरी हुई और माँसल होतो हैं। नितम्ब इनके इतने भारी और माँसल होते हैं कि एक बच्चा उसपर कंधा पकड़कर आसानी से खड़ा रह सकता है। निग्रो जाति की स्त्रियों में यह बात नहीं पायी जाती। यद्यपि दोनों का रंग काला होता है और सर का बाल घुंघरालू होता है फिर भी उपरोक्त विभिन्नताओं के कारण डाक्टर सिप्रयानी के मतानुसार, इनको हम निग्रो जाति का नहीं कह सकते।

इन आदिवासियों के निवास स्थानों पर पाये गये घूरों (Kitchen Middens) के अन्वेषण से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आदिवासियों की यह जाति सहस्त्रों वर्ष पुरानी है।

डा० विप्रयानी के मतानुसार यह जाति मलाया द्वीप में पायी जाने वाली 'सोमाँग जाति' और फिलीपाईन द्वीप के जंगलों में पायी जाने वाली 'ऐटा जाति' की रहन सहन, आकृति तथा शारीरिक गठन में इन आदिवासियों से काफी मिलती जुलती है। इन जातियों के द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले धनुष तथा इनकी झोंपड़ियों की बनावट तथा आकार प्रायः अण्डमान के आदिवासियों के धनुष और और झोंपड़ियों के समान है। जिस प्रकार सेमाँग और ऐटा जाति के लोग अपना निर्वाह जानवरों का शिकार करके तथा फल-मूल इकट्ठा करके करते हैं उसी प्रकार ये आदिवासी भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें से कोई भी जाति गोदना नहीं गुदवाती।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ये आदिवासी मानव समाज के पाषाण युग की सीमा से अभी तक नहीं निकल पाये हैं। श्री सिप्रयानी इन आदिवासियों को इन द्वीपों में कहीं बाहर से आया नहीं मानते।

सन् १९५१ की जनगणना रिपोर्ट में दी हुई अपनी २३ मार्च १९५१ के एक लेख में श्री एस०के०गुप्त, आई०ए०एस०, तत्कालीन जिलाधीश, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, ने अण्डमान के इन आदिवासियों को उस किरात जाति का वंशज माना है जिसका उल्लेख बाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर आता है। उक्त रामायण

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

में किरात जाति के लोगों को चमकीले काले रंग, चमकीली बाहर निकली हुई आँखों तथा ताम्रवर्ण के बालों वाला कहा गया है । अपने मत की पुष्टि में उन्होंने वाल्मीकि रामायण का निम्नलिखित वाक्य उद्धत किया है :—

अमामिना, सनाशः, तत्र किरातः द्वीप वासिनः ।

इस वाक्य के अर्थ हैं : वहाँ पूर्व की ओर तुम द्वीप में रहने वाले किरातों को पाओगे जो कच्चे माँस और मछली पर जीवन बसर कर रहे हैं । श्री गुप्त के मतानुसार ये द्वीप, जिनका उल्लेख बाल्मीक रामायण में आया है अण्डमान द्वीप समूह हो सकता है । इन द्वीपों के अतिरिक्त ऐसे अन्य किसी द्वीप का पता नहीं चलता ।

इन बातों की तरफ भारतीय विद्वानों का ध्यान अवश्य जाना चाहिए । विद्वानों के मतानुसार रामायण की रचना ईसा के पाँच सौ वर्ष पूर्व की मानी गयी है । उस समय की रचना में इन द्वीपों का उल्लेख काल्पनिक नहीं कहा जा सकता । रामायण के अनुसार इस किरात जाति के लोग तत्कालीन मध्य पूर्वी भारत के जंगलों में रहते थे । शिकार द्वारा मारे गये जानवरों और वन के फल मूल पर ही इनका जीवन निर्वाह होता था । श्री रामचरित मानस में भी कोल और किरात जातियों का उल्लेख किया गया है, जैसे :

बन हित कोल किरात किशोरी ।
रचि विरंचि विषय सुख भोरी ।।

वर्तमान संथाल परगना [बिहार] और सिंहभूम में स्थित सारन्डा के वन में तथा छोय और बड़ा नियाग्रा के आस पास रहने वाले आदिवासियों को उनके मूल रूप में लाकर यदि अण्डमान के आदिवासियों के मध्य डाल दिया जाय तो उन्हें पहचानना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा । यही बात दक्षिण भारत के अन्नामलाई के पर्वत पर पायी जाने वाली 'कदार जाति' के बारे में भी कही जा सकती है । संथाल और छोटा नागपुर में बसे आदिवासियों के सामूहिक नृत्य, आखेट क्रिया, व्यापार विनिमय आदि की प्रथाएँ तथा रहन–सहन के तरीकों की तुलना उन के मूल रूप में इन आदिवासियों की नृत्य कला, आखेट क्रिया इत्यादि से की जा सकती है । दोनों ही अपना शिकार तीर–कमान से करते हैं ।

मुख्य भूमि पर स्थित इन आदिवासियों तथा इन द्वीपों में पायी जाने वाली मूल जातियों की ओर विद्वानों का ध्यान अवश्य जाना चाहिये । वाल्मीकि रामायण

Shri Pratap Singh Library

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

में अगर इन द्वीपों की ओर संकेत नहीं किया गया है तो दूसरे वे कौन से द्वीप थे, जिनका उल्लेख रामायण में आया है।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त यह बात समझ में नहीं आती कि इन आदिवासियों की जातियों का नाम कोल, केडा, कोरा, बी, बलावा आदि क्यों और कैसे पड़ा ? क्या यह कोल, बी, कोरा जातियाँ वही हैं जो आज भी अर्ध-सभ्य अवस्था में मध्य भारत, राजस्थान तथा बिहार राज्यों के बनों में रह रही हैं। औंगी भाषा में 'बोआँ' शब्द ईश्वर के लिये उपयोग किया जाता है। क्या यह शब्द संथाली भाषा के 'बोंगा' शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है ? यदि ऐसी बात है तो यह बिना हिचक के माना जा सकता है कि बाल्मीकि रामायण में उल्लिखित किरात जाति, जो द्वीपों में रहती थी, वह अन्य और कोई नहीं प्रत्युत इन द्वीपों में वर्तमान काल में मिलने वाली आदिवासियों की कही जाती है। संथाल लोग वास्तव में किरात ही हैं।

किरात शब्द में 'क' शब्द की प्रधानता है। यहाँ के आदिवासियों की जातियों के नामों में भी 'क' शब्द का प्राधान्य मिलता है, जैसे कोल, ऐका कोडा, अकाकोडा, केडा आदि। इनके उच्चारण और किरात शब्द के उच्चारण में भी समानता मिलती है और इस विचारधारा को बल मिलने लगता है कि ये आदिवासी उसी किरात जाति के हैं जिनका उल्लेख रामायण में आया है। कभी कभी भोगोलिक परिवर्तनों के कारण स्थान का सम्बन्ध टूट जाने के पश्चात हजारों वर्षों के बाद भी भाषा, आकृति, प्रकृति एवं संस्कृति सम्बन्धी समानताएँ किसी न किसी रूप में बची रह जाती हैं। क्योंकि संस्कृति का विरूपण शताब्दियों की क्रम-बद्धता का ही परिणाम होता है।

अण्डमान द्वीप समूह के इन आदिवासियों को दो मुख्य वर्गों में बाँटा जा सकता है :—

१—वे आदिवासी जो दक्षिणी अण्डमान के समुद्र तट पर अथवा मध्य तथा उत्तरी अण्डमान के वनों में रहते थे।

२—वे आदिवासी जो छोटा अण्डमान (Little Andaman), उत्तरी सेन्टीनल द्वीप और दक्षिणी अण्डमान के भीतरी जंगलों में रहा करते थे।

पहले वर्ग के आदिवासियों की मुखाकृति, पहनावा, धनुष-तीर आदि दूसरे वर्ग के आदिवासियों से नहीं मिलता। सर रिचर्ड टेम्पुल के अनुसार पहले वर्ग में

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

चेरियद, कोरा, टाबो ऐरे आदि जातियाँ आती हैं और दूसरे वर्ग में जुआई, कोल, बी, बलाबा और बोजीगया, औंगी, जरावा और सेन्टीनली जातियाँ आती हैं। चेरियर, कोरा, टाबो, ऐरे, केड़ा, कोल, बी, बलाबा और वोजीगया इत्यादि जातियाँ अब प्राय: समाप्त हो गयी हैं। इस समय दक्षिणी अण्डमान के वनों में रहने वाली 'जरावा जाति', छोटे अंडमान में रहने वाली 'औंगी' जाति और उत्तरी सेन्टीनल द्वीप में रहने वाली 'सेन्टीनाली' जाति के लोग अब भी जीवित हैं।

सन् १९६१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इन आदिवासियों की संख्या निम्नलिखित है :—

१—अण्डामानीज	—	१९ [ये लोग उन जातियों के बचे व्यक्तियों में से हैं, जिनके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है, कि वे वर्तमान समय में प्राय: लोप हो चुकी हैं।]
२—जरावा	—	५०० [अनुमानत:]
३—औंगी	—	१२९।
४—सेन्टीनलीज	—	५० [अनुमानत:]

औंगी जाति सभ्य जगत के सम्पर्क में आ चुकी है, परन्तु जरावा और सेन्टीथली जातियों से मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। सेन्टीनली जाति अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं निकली। जरावा जाति की प्रकृति बड़ी ही क्रूर और हिंस्र है। दिनांक २८-१-६७ और २६-८-६७ को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान मुख्य आयुक्त श्री महावीर सिंह तथा आरक्षी प्रधान श्री राम कुमार ओहरी ने इन द्वीपों के इतिहास में पहली बार सेन्टीनल द्वीप पर उतर कर सेन्टीनली जाति के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया था किन्तु दिन भर के प्रयत्नों के बावजूद उन्हें सफलता न मिल सकी और उन्हें इन आदिवासियों की खाली झोंपड़ियों में उपहार की वस्तुओं को रख केर वापस आना पड़ा। इन आदिवासियों ने कोई मुकाबिला नहीं किया। इनकी टोली को देखते ही वे लोग अपनी झोंपड़ियों को छोड़ कर घने जंगलों में जा छिपे। इस जाति के पुरुष और स्त्रियाँ दोनों नंगे रहते हैं। इनकी आकृति तथा शरीर का रंग औंगी तथा अण्डामानियों के समान होता है। ये लोग भी तीर-धनुष का प्रयोग करते हैं। औंगियों की भांति समुद्र तट के जल में तीर-धनुष से

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इन्हें भी मछलियों का शिकार करते हुए देखा गया है। इनकी झौंपड़ियों में मोटे-भद्दे तरीके से बनाए गए कुछ लकड़ी के बर्तन देखे गये हैं। ये लोग एक खास तरह के पत्थर को रगड़ कर आग बनाते हैं।

ये लोग पेड़ के तने को खोखला करके नाव बनाना जानते हैं, किन्तु ओंगी लोगों की भाँति उन्हें समुद्र में एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हुये कभी नहीं देखा गया।

जरावा—दक्षिणी अण्डमान में विस्थापितों को नये गाँवों में बसाये जाने के कार्यक्रम का जैसे जैसे विकास होने लगा वैसे वैसे जरावा जाति उत्तरी अण्डमान के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ती गयी। वर्तमान समय में इनके क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इस क्षेत्र की सीमा पर बुश पुलिस की सीमा चौकियाँ स्थापित कर दी गई हैं, जो इस जाति के लोगों की सीमा पार के क्षेत्रों में आने से रोकती हैं।

समुद्र सट पर रहने वाली जातियों को इन आदिवासियों की भाषा में 'आरयोंटो' और वन में रहने वाली जातियों को 'येरमटागा' कहते हैं।

ये आदिवासी न मानव भक्षी हैं और न कभी थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि इनकी हिंसक एवं क्रूर प्रवृत्ति, किसी भी विदेशी को मार डालने तथा उस समय सम्भवत: इनके द्वारा किये जाने वाले प्रसन्नता सूचक सामूहिक नृत्यों को देख कर ही इन द्वीपों के समीप से होकर निकलने वाले जलयान के यात्रियों के मन में यह भावना पैदा होगई थी कि ये लोग नरभक्षी हैं।

इन लोगों में अपनी जाति के व्यक्तियों के प्रति मित्रता की, बाहरी लोगों के प्रति हिंसा तथा क्रूरता की और दूसरी जाति के आदिवासियों के प्रति, जिनको वे जानते हैं, उदारता की भावना रहती है। ये बुद्धिमान, दूरदर्शी तथा भविष्य के प्रति प्राय: सही कल्पना करने वाले होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। सन् १८५९ में हुए 'अबरडीन' युद्ध के पश्चात अपनी सजा की माफी पाकर दूधनाथ तिवारी नामक एक कैदी मुख्य भूमि पर चला गया था। सात वर्ष बाद सन् १८६६ में जब वह मेजर राटन के साथ पुन: पोर्ट ब्लेयर आया था तो उसे 'रास' द्वीप पर स्थित 'अण्डामानी होम' में रहने वाली कुछ उन आदिवासी स्त्रियों ने पहचान लिया जो, उस टोली की थीं, जिसमें दूधनाथ तिवारी लगभग दो वर्ष तक विवाहित जीवन व्यतीत कर चुका था।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

दैनिक कार्यों में लापरवाही करना और थोड़ी सी बात पर बिगड़ उठना इनकी प्रकृति है। इनमें आमें आयु के साथ २ असहनशीलता और झगड़ालूपन की प्रवृति का विकास होता जाता है। परन्तु यदि किसी काम को बताकर और समझाकर इनके सुपुर्द कर दिया जाता है तो ये उस कार्य को सुचारू रूप से करने में तन मन लगा देते हैं। इस बात की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि "रासद्वीप" में उस समय बिजली का डायनमो चलाने वाला और श्री एम० वी० पोर्टमैन का हिसाब रखने वाले दोनों व्यक्ति आदिवासी ही थे।

इन आदिवासियों के शरीर का रंग चमकीला काला होता है, इनके बाल काले छोटे और घुंघराले होते हैं। आँखे इनकी काली और चमकदार होती हैं। ओंगी जाति के व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य सभी जाति के आदिवासियों के दाँत स्वच्छ और सुदृढ़ होते हैं। सर के बालों को छोड़कर ये लोग शरीर के अन्य हिस्सों के बाल शीशे के टुकड़ों से साफ कर डालते हैं। कभी २ सर के दोनों तरफ की कनपटियों को मिलाके वाली १" अथवा १।" चौड़ी एक पट्टी सी साफ कर लेते हैं।

शरीर से बलवान तथा सुदृढ़ होने के बावजूद इनमें जीवन शक्ति की कमी है। ये एक छोटी सी बीमारी के कारण जीवन से निराश हो जाते हैं। पुरुषों की औसत आयु ५० वर्ष होती है। १८ वर्ष का व्यक्ति युवक कहलाता है और २६ वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते उनका विवाह हो जाता है। एक युवक ४० पौंड का बजन लेकर एक हाँस में लगभग १५ मील तक चल सकता है। ये धूप से बचना चाहते हैं, सर्दी से डरते हैं और गर्मी के मौसम को अधिक पसन्द करते हैं। ये दिन का विभाजन सूर्य की चाल के आधार पर करते हैं, किन्तु रात में इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहता। वर्ष को ये तीन प्रधान ऋतुओं—जाड़ा, गर्मी, बरसात में विभाजित करते हैं। चन्द्रमा और ज्वार-भाटा के सम्बन्ध का भी इन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये लोग खानाबदोश हैं। एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना इनकी प्रकृति के प्रतिकूल है। शिकार मिलने की संभावनाओं तथा मौसमी हवाओं का रुख देखकर ही ये स्थान बदलते रहते हैं। अपनी झोंपड़ियों को ये ऐसे स्थान पर बनाते हैं:—

१—जहाँ पीने का मीठा जल मिलता हो।

२—जहाँ हवा का झोंका झोंपड़ियों पर सीधा न आता हो किन्तु उसका प्रभाव इतना अवश्य हो कि मच्छर उस स्थान पर न टिक सकें।

३—जहाँ बाहरी व्यक्ति आसानी से न पहुँच सकें।

अण्डमानियों में विवाह प्रथा:–विवाह में इनके कोई धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं होता। विवाह तथा तलाक पायी स्त्री के विवाह की प्रथा प्रचलित है। विवाह के योग्य हो

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

जाने पर लड़के और लड़की को अपने भोजन में से किन्ही छः वस्तुओं का एक वर्ष के लिऐ त्याग करना आवश्यक होता है। इस अवधि की समाप्ति पर एक सामूहिक नृत्य और इसी अवसर पर इस नियम का पालन करने वाले युवक-युवती को विवाह योग्य और बालिग घोषित किया जाता है। विवाह में बड़े-बूढ़ों की इच्छा प्रधान एवं सर्वोपरि होती है। विवाह के बाद वर-वधू दोनों कुछ दिनों तक अपनी टोली के बड़े-बूढ़ों से शर्माते रहते हैं इनकी यह हिचक धीरे-धीरे कम होती है।

विवाह के समय लड़की के शरीर को पीली और लाल मिट्टी से रंग कर उसे पत्तियों के बिछावन पर बैठाया जाता है। लड़का उसके समीप ही सोता है। बाद में टोली का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति आकर लड़के के हाथ को पकड़ कर उसे उठाता है और लड़की के पास बिठा देता है। इसके बाद वह लड़के को चार या-पाँच तीर भेंट करता है, और इस प्रकार विवाह कार्य सम्पन्न होता है। विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद भी रात होने तक वर-वधू चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और रात होने पर वे अपनी झोंपड़ी में जो खास कर उन्हीं के लिए बनी होती है चले जाते हैं।

भोजनः—ये लोग भोजन पका कर अथवा भून कर और उसे पत्तों पर रख कर खाते है। औरतें खाना बनाती हैं और जाल बुनती हैं तथा पुरुष वर्ग शिकार करता हैं। माँस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर पत्तों में लपेटते हैं फिर एक गढ़ा खोद कर उसके ऊपरी मुँह पर पत्थर रख कर नीचे की ओर से आग जलाते हैं। इस पत्थर पर लपेटे हुऐ माँस के टुकड़ों को रख कर दूसरे पत्थरों से दबा देते हैं। इन पत्थरों के ऊपर पुनः आग जलाते हैं। इस प्रकार माँस भुन जाता है, जिसे ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। ऐसा ये प्रायः अपने अस्थाई निवास स्थान पर जहाँ ये शिकार खेलने जाते हैं करते हैं। अन्यथा ये अपने बनाये मिट्टी के बर्तनों में उसे उबालते और खाते हैं। शहद इनका प्रिय भोजन है।

औरतेंः—इनकी औरतें काफी स्वस्थ और मांसल शरीर की होती हैं। इनका औसत वजन सौ से ड़ेढ़ सौ पौंड तक का होता है। प्रसव के दूसरे दिन ही ये अपने कामों में लग जाती हैं। पुरुषों के लिए खाना बनाना तथा खोखले मोटे बाँस के टुकड़ों में मीलों दूर से पानी लाना इनके लिए मामूली काम है। नवजात शिशु का पालन इनके ही जिम्मे होता है। नवजात शिशु को पहले ही दिन ये ठंडे पानी से नहलाती हैं, फिर आग पर हाथ सेक-सेक कर शिशु के शरीर पर का पानी सुखाती हैं। वर्षा ऋतु में पत्तों को बीन्ध कर ये बच्चे के लिए वस्त्र बना कर पहनाती हैं। विवाह के बाद, चाहे फिर कुमारी लड़कियाँ पूरी जाति की सम्पत्ति मानी जाती हैं।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

विधवा ही क्यों न हो जाँय वे किसी अन्य पुरुष को देख कर मुस्करा नहीं सकती। औरतें ही पुरुषों के बाल बनाती हैं और उनके शरीर पर मिट्टी का लेप करती हैं।

सामाजिक व्यवस्था– केवल तीर, धनुष तथा भाले के अलावा अन्य किसी वस्तु पर इनके किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अधिकार नहीं होता। सम्पत्ति सारी टोली की होती है, व्यक्ति की नहीं। जो भी शिकार मिलता है उसे सभी मिलकर खाते हैं।

प्रत्येक टोली का एक सरदार होता है। इसका चुनाव पूरी टोली मिल कर करती है। बहुधा यह विशेष परिवार का ही व्यक्ति होता है। टोली के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा बुद्धि तथा शारीरिक बल में यह व्यक्ति सर्वोत्ताम माना जाता है। लड़ने में स्थान बदलने में तथा टोली से सम्बन्धित प्रत्येक बात में इसकी राय सर्वोपरि होती है। इन आदिवासी जातियों में राजा चुनने की कोई प्रथा नहीं है। जो स्थान सरदार का टोली के पुरुषों में होता है वही स्थान उसकी स्त्री का टोली की स्त्रियों में होता है। टोली की सभी स्त्रियाँ उसकी आज्ञा मानती हैं।

ये जब अपनी ही जाति के किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तब कुछ क्षणों तक एक दूसरे की ओर घूरते हैं। बात पहले, दोनों में से कम उम्र वाला व्यक्ति ही करता है। एक बार बात आरम्भ हो जाने पर बातों का सिलसिला चलता ही रहता है टूटता नहीं। बात चीत निजी बातों से आरम्भ होकर टोली के बारे में होती हुई शिकार तक जा पहुँचती है। आपस में बात करने में बड़ा आनन्द आता है।

जब कोई व्यक्ति अपने किसी सम्बन्धी के पास जाता है तो वह अपने सम्बन्धी की गोद में बैठ कर बात करता है। बात करने के बाद वह अपने सम्बन्धी की टोली के प्रत्येक व्यक्ति की गोद में बैठता है। इस प्रकार गोद में बैठना स्नेह और आदर का प्रतीक समझा जाता है।

ओंगी:—यह जाति छोटा अण्डमान (Little Andaman) में पायी जाती है। इनकी झोपड़ियों के समीप पाये गए घुरों (Kitchen Hidden) के अन्वेषण से यह साबित हो चुका है कि यह जाति हजारों वर्ष पुरानी है, ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना जानते हैं। घूरों में गड़े हुए मानव ढाँचों से, जिसमें केवल बड़ी हड्डियाँ और खोपड़ी ही शेष रह गयी थी, इस विचार धारा की पुष्टि होती है कि ये लोग भी पहले मृतक के शरीर को तीन माह कहीं रखते थे। और बाद में हड्डियों को

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

साफ़ करने और छोटी हड्डियों को निकालने के पश्चात बाकी शव को इन घूरों में पुनः गाड़ देते थे।

इन घूरों में मिले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह जाति मिट्टी के बर्तन बनाने में सिद्धहस्त थी। बर्तमान समय में ये लोग इस कला को भूलते जारहे हैं। इनमें से कुछ लोग अभी भी अपने हाथों से चीटों तथा चींटियों द्वारा अपने बिल के पास इकट्ठा की गयी मिट्टी को पानी में गूंथ कर बर्तन बनाते हैं। ये लोग अन्य जाति की आदिवासियों की भाँति प्रायः नंगे रहते हैं। इनकी स्त्रियाँ अपने गुप्तांग के सामने एक प्रकार के रेशों से बने बड़े गुच्छे को कमर में लिपटी रस्सी में लटकाए रहती हैं। पुरुष अब इन्हीं रेशों से बनी कोपीन पहनते हैं जिसकी चौड़ाई लगभग २″ से २॥″ तक की होती है। ये लोग तीर-धनुष से ही मछली तथा जानवरों का शिकार करते हैं।

ये नाव बनाना जानते हैं। पेड़ के तने को खोखला करके नावें बनायी जाती हैं। ये हल्की और पानी में न डूबने वाली लकड़ी की बनी होती हैं। इसे ये लोग अपनी भाषा में (डाँगे) कहते हैं। इसमें एक साथ १५-१६ व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं जिनके द्वारा ये लोग कभी-कभी पोर्टब्लेयर तक आ जाते हैं। वर्तमान समय में ये कपड़ा, चावल, नमक, सिगरेट, बीड़ी और रुपये पैसों को पहचाने लगे हैं सिगरेट तथा कपड़ा पैसा माँगते इन्हें अक्सर पोर्टब्लेयर में देखा जाता है। धातु के बर्तनों तथा मछली पकड़ने से भी ये परिचित हो चुके हैं।

ये लोग जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तीन माह तक शोक मनाते हैं। इनमें प्रचलित मृतक संस्कार प्राचीन निकोबारियों में प्रचलित मृतक संस्कार के समान ही हैं। अन्तर केवल इतना है कि निकोबारी मृतक की सारी सम्पत्ति उसके साथ कब्र में गाड़ देते हैं। इन दोनों की इन रिवाजों में यह समानता क्यों? क्या ये दोनों द्वीप समूह प्राचीन काल में एक ही सभ्यता तथा संस्कृति से प्रभावित थे?

जन्म के विषय में इनकी कुछ अपनी धारणाएँ हैं, जिनके अनुसार लिटिल अण्डमान के ऊपर आकाश में "ओनको-बोई-क्वेस" का देश है। वह बच्चों की आत्मा को लिटिल अण्डमान में जन्म लेने के लिए भेजता है। ये आत्माएँ यहाँ आकर मधुमक्खी के छत्ते तथा कुछ किस्म की खाने वाली जड़ों में समा जाती हैं। जब औंगी स्त्रियाँ उन्हें खाती हैं तब वे आत्माएँ उनके गर्भ में प्रवेश करती हैं, जिससे वे गर्भवती होती हैं ये लोग यह जानते हैं कि गर्भ के लिए स्त्री पुरुष का समागम आवश्यक है, फिर

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

भी उनका विश्वास है कि "ओनको-बोई-क्वेस" के नाराज होने पर उन्हें सन्तान नहीं हो सकती है। उसकी प्रसन्न करने के लिए ये दम्पत्ति, पेड़ की ऊपरी डाल पर मधु-मक्खी का छत्ता रखते हैं।

गर्भावस्था के प्रथम चरण में ये 'गोटे-चेले' नामक पूजा करते हैं। गर्भवती स्त्री झोंपड़ी के अन्दर अपने बिछावन पर बैठती है और उसके सामने पुरुष या स्त्री अथवा बच्चा बैठता है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति सुअर का माँस या कछुए का माँस अथवा शहद या कोई अन्य प्रकार का भोजन कई बार उसको देता है, किन्तु वह उसे प्रत्येक बार कुछ देर कुंचवा कर थूक देती है। यदि वह सुअर का मांस खाती है तो बच्चे को 'कुएन्गोटे-चेले' कहते हैं। कछुए का माँस खाने पर बच्चे को 'नारे-लाँगे-गोटे-चेले' कहते हैं। जो स्त्री, पुरुष या बच्चा यह खाना खिलाता है, उसे बच्चा 'गुटरान्डी' नाम से पुकारता है और वह बच्चे को 'गान-लाँग-टेयरे' कह कर पुकारता है। प्रसव या तो पँचायती झोंपड़ी अथवा शिकारी झोंपड़ी में जिसे 'कोरेल' कहते हैं, होता है। प्रसव के समय अविवाहित लड़कियों तथा कुछ अनुभवी स्त्रियों के अलावा किसी को वहाँ रहने की आज्ञा नहीं होती है, उस समय गर्भवती स्त्री अपने सामने फैलाए हुए ताजे पत्तों पर पीछे हाथ टेक कर जमीन पर बैठती है। उसके घुटने मुड़े होते हैं। अनुभवी स्त्री धीरे-धीरे पेट को ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करती है। बच्चा पैदा होने पर यदि 'गो-लाँग-केएरे' उस समय समीप ही मौजूद है तो उसे ही बच्चे का नार काटने का अधिकार दिया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में कोई विवाहिता स्त्री यह काम करती है। बच्चे का नार बेंत के पतले-तेज टुकड़े से या लोहे की छुरी से काटा जाता है। नाभी को हाथ गर्म कर सेंकते हैं और शरीर को पत्तों से पोंछते हैं। गर्भाशय के फूल, नार और नीचे पड़ी पत्तियों को बच्चे के जन्म स्थान पर ही गाड़ देते हैं। प्रसव के पश्चात् बहने वाला रुधिर जब तक रुक नहीं जाता तब-तक वह स्त्री अपने पीछे गढ़े खूंटे के सहारे बैठी रहती है। कुछ दिनों तक सुअर, डुंगोंग, कछुआ अथवा केंकड़ा आदि का माँस तथा झींगा मछली और शहद खाना मना रहता है।

बच्चे की आयु १४-१५ होने पर उसके सम्बन्धी सुअर का शिकार करके 'कोरेल' में लाते हैं। वहाँ सुअर को जमीन पर लिटा कर बच्चे को चारों टाँगों के बीच में पेट पर बैठाया जाता है और बच्चे के पिता के बड़े भाई के द्वारा सुअर के पेट को चीर कर निकाला हुआ खून बच्चे को पिलाया जाता है। उस समय बच्चा अपने पेट के निचले भाग को अपनी हथेलियों से ढँके रहता है। ऐसी अवस्था में

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

बच्चे को ले जाकर झोंपड़ी में बिछावन पर बैठाते हैं। रुधिर पिलाने वाला व्यक्ति उस समय वहाँ धूप जलाता है और उस पर अपनी हथेलियों को गर्म कर बच्चे के पेट को सेंकता है। ऐसा न करने से उनका विश्वास है कि बच्चा पेट दर्द से पीड़ित रहेगा। तीन दिन तक वह झोंपड़ी के अन्दर ही रहता है। केवल पाखाने-पेशाब के लिए ही वह बाहर आ सकता है। इन तीन दिन में उसे और रुधिर पिलाने वाले व्यक्ति को मांस खाना मना रहता है। सोते या बैठते समय बच्चे को अपने हथेलियों से अपने पेट को ढके रखना आवश्यक होता है। तीन दिन के पश्चात् उसे किसी नाले या समुद्र में स्नान कराया जाता है और फिर उसके शरीर तथा चेहरे को रुधिर पिलाने वाले व्यक्ति की स्त्री द्वारा, लाल तथा सफेद मिट्टी से रंगा जाता है। उस रात बड़ा नाच-गाना होता है। इस समारोह को इनकी भाषा में 'टोना-गिरू' कहते हैं।

लड़कियों के पहली बार रजस्वला होने पर उन्हें काम करने और सुअर, कछुआ अथवा डुगांग का माँस खाने की मनाही होती है। सोते या बैठते समय इसे भी अपनी हथेलियों से पेड़ू को ढके रहना पड़ता है। मासिक धर्म की समाप्ति के पश्चात वह समुद्र में स्नान करती है और उसके बाद उसकी सम्बन्धी स्त्रियाँ उसके सिर को लाल मिट्टी से रंगती हैं तथा उसके कमर में पड़ी डोर से लटकने वाला रेशों का एक गुच्छा पहनाती हैं, जिससे गुप्ताङ्ग ढका रहता है। उस दिन की संध्या को खूब नाच-गाना होता है। इस समारोह को 'तामले-अँगावे' कहते हैं। अविवाहित लड़कियाँ 'वे-राँन-गा-बेगी' कहलाती हैं।

विवाह प्रथा :

औंगियों में बहु-विवाह की प्रथा नहीं है। एक स्त्री के जीवित रहते वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तलाक और विधवा विवाह की प्रथा इनमें प्रचलित है। लड़की रजस्वला होने पर और लड़का १७–१८ वर्ष का होने पर विवाह के योग्य समझे जाते हैं। अपने कुछ सम्बन्धियों में (जैसे मामा, चाचा, भाई, भतीजा, मौसा आदि) ये विवाह सम्बन्ध नहीं कर सकते। विवाह में लड़की और लड़के की आयु के अन्तर का ख्याल नहीं किया जाता है। इनमें प्रचलित प्रथा के अनुसार 'टोना-गिरु' उत्सव मनाने के पूर्व ही बच्चे की एक झूठी शादी किसी पुरुष स्त्री या लड़की से होना आवश्यक होता है। इस अवसर पर बच्चे के माता-पिता किसी पुरुष, स्त्री या लड़की को शादी के लिए चुनते हैं। संध्या के समय 'कोरेल' में दोनों तरफ के सम्बन्धी एकत्रित होते हैं। झौंपड़ी में मशाल जलाई जाती है। लड़का

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

अपने बिस्तरे पर बैठता है और लड़की उससे कुछ दूरी पर बैठती है। उपस्थित व्यक्तियों में से एक वरिष्ठ व्यक्ति लड़के को खड़ा होने के लिये कहता है और लड़की को बिस्तरे पर ले जाते हैं। लड़की लड़के की गोद में बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं हैं। कुछ क्षण पश्चात लड़की अपने बिस्तरे पर चली जाती है। दूसरे दिन प्रातः और संध्या के समय लड़का, लड़की को अपने रिश्तेदारों के घर ले जाता है। वहाँ दोनों बारी-बारी से प्रत्येक सम्बन्धी की गोद में बैठ कर कुछ क्षण तक गले मिलते हैं। लड़का, लड़की 'मंगा चेबे' (मेरी स्त्री, और लड़की, लड़के को 'मागी चेबे' (मेरा पति) कह कर पुकारती है। इस प्रकार की शादी में स्त्री पुरुष का समागम वर्जित होता है।

असली शादी में लड़का अपनी इच्छानुसार किसी लड़की या विधवा को चुनता है और उसकी इच्छा जान लेने पर लड़की के माता पिता और रिश्तेदारों से बात चीत करता है। शादी एक ही रात में पूरी हो जाती है। दूसरे दिन प्रातः ये दोनों अपने को लाल और सफेद मिट्टी से रंगते हैं। इसके पूर्व ही ये अपने रिश्तेदारों के गोद में बैठ कर गले मिलते हैं। रात में नाच गाना होता है और दूसरे दिन लड़का लड़की को लेकर अपने पिता के घर चला जाता है। यदि लड़की विवाह के लिये राजी नहीं होती तो वह जंगल में भाग कर छिप जाती है। उस समय शादी टूट जाती है।

मृत्यु संस्कार :

मृतक को पंचायती झौंपड़ी में उसके सोने के मचान के नीचे तीन फीट गहरे गड़े में गाढ़ते हैं। साँप काटे या शिकार में मरे व्यक्ति को 'कोरेल' में गाढ़ते हैं। मृत्यु समाचार सुन कर सभी सम्बन्धी जमा होकर देर तक रोते रहते हैं। शव को 'गोलंकारे' या 'गुटरान्डी' द्वारा गाढ़ा जाता है। उसकी अनुपस्थिति में छोटी बहन का पति यह काम करता है। मृतक के हाथ को मोड़ कर आँख पर और घुटने को मोड़ कर पसली पर रखते हैं ओर पेड़ की छाल से बाँध कर शव को पीठ के बल कब्र में लिटा देते हैं। बाद में उस पर एक प्रकार के पाम वृक्ष का पत्ता डाल कर पाट देते हैं।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मृत्यु संस्कार :—

टोली के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सारी टोली रो-रो कर शोक प्रदर्शन करती है। मृतक के शरीर को बण्डल-सा बाँध कर पेड़ के बनाये गये मिट्टी के चबूतरे पर रख दिया जाता है तत्पश्चात् उसे पत्तों से पूरी तरह ढक दिया जाता है। तीन महीने तक ये लोग शोक मनाते हैं। इस अवधि में उस चबूतरे की तरफ कोई नहीं जाता। उत्सव और समारोह बन्द रहते हैं। टोली का प्रत्येक व्यक्ति अपने सर पर पीली मिट्टी का लेप किये रहता है। डाक्टर सिप्रियानी की इस बात का पोर्ट ब्लेयर स्थित नृतत्व विभाग के सीनियर टेकनिकल असिस्टेंट श्री हरिनारायण अग्रवाल खण्डन करते हैं। श्री अग्रवाल लगभग तीन महीनों तक औंगियों तथा अण्डमानियों के बीच रहे हैं। उनके अनुसार ये लोग तीन महीने की अवधि में सर पर कुछ नहीं लगाते बल्कि इस अवधि की समाप्ति पर ही प्रत्येक व्यक्ति सर पर लाल मिट्टी का लेप लगाकर तुरन्त धो डालता है और उसी समय से नाच गाना आरम्भ हो जाता है।

शोक की अवधि की समाप्ति पर मृतक की हड्डियों को धो कर साफ किया जाता है। छोटी हड्डियों को स्मृति के रूप में टोली का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने पास रखता है। सम्बन्धित विधवा अथवा विधुर कुछ दिनों तक, यदि वे औंगी जाति के हैं तो जबड़े की हड्डी, यदि जरावा जाति के हैं तो सर की पूरी हड्डी और यदि अन्य अण्डमानी जाति के हैं तो सर का ऊपरी भाग अपने पास रखते या गले में पहनते हैं। इस कार्य के बाद ही इनका नाच- गाना तथा अन्य समारोह मनाना आरम्भ होता है।

सेन्टेनलीज — ये लोग उत्तरी सेन्टीकल द्वीप में रहते हैं और इनका सम्पर्क दूसरों से कभी नहीं हुआ। ये लोग बिल्कुल नंगे रहते हैं। इनकी संख्या अनुमानतः पचास-पचपन है। २८ जनवरी और २६ अप्रेल सन् १९६७ को इनसे सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से प्रथम बार इन द्वीपों के वर्तमान आयुक्त श्री महावीर सिंह, आई० ए० एस० और आरक्षी के प्रधान श्री रामकुमार ओहरी, आई० पी० एस० इस द्वीप में गये थे किन्तु दिन भर के प्रयास के बावजूद भी वे सम्पर्क स्थापित करने में सफल न हो सके। इन लोगों को देख कर ये जंगलों में जा छिपे। इनकी झोपड़ियों में सुअर का कच्चा माँस, लकड़ी के प्याले तथा तीर कमान पाये गये। ये तीर अधिकतर बेंत के बने थे और कुछ बाँस के थे। ये नाव बनाना जानते हैं परन्तु उस पर चढ़कर समुद्र में दूर तक नहीं जाते। इनकी आकृति, रंग तथा शारीरिक गठन औंगी के समान है।

आदिवासी और धर्म—इन आदिवासियों में न तो पूजा-पाठ की प्रथा है और न ये किसी प्रतिष्ठित देवी देवता को मानते हैं। इनमें प्रचलित विश्वास के

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

अनुसार 'पुलुगा' इनका प्रधान देवता है जो पहले सैड़लपीक के शिखर पर रहता था। किन्तु अब आकाश में रहता है। सारी चीजें उसी से उत्पन्न हुई हैं। वह विवाहित है उसके एक लड़का और लडकियाँ हैं। इन लड़कियों को वह अपने लड़के द्वारा आज्ञा देता है। दुष्ट आत्माओं पर इसका अधिकार नहीं है। किन्तु यदि कोई उसका निरादर करता है तो वह उन दुष्ट आत्माओं का ध्यान उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित करा देता है।

इनके विश्वास के अनुसार दो दुष्ट आत्माएँ प्रधान हैं :—

१—वन में रहने वाली "ऐरेमचुगा" (Eremchuga)
२—समुद्र में रहने वाली "जुरविन" (Jurwin of The Sea)

सितारे इन दुष्ट आत्माओं के लड़के हैं तथा सूर्य और चन्द्रमा इनकी स्त्रियाँ हैं। पानी में पड़ने वाली परछाईं आत्माएँ हैं जो मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। इस दुनियाँ का नाम "चेतान" है। इसमें जंगल-ही-जंगल है।

पृथ्वी के सम्बन्ध में भी इनकी अपनी धारणा है कि पृथ्वी एक विशाल नारियल के पेड़ पर टिकी हुई है। आत्मा के सम्बन्ध में इनकी धारणा हिन्दुओं की धारणा से मिलती है। इसके अनुसार आत्मा 'चेतान' नामक दुनिया से आकर पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जन्म लेती है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। चूंकि दुष्ट आत्मा 'ऐरेमचुगा' आग से डरती है इसलिये ये लोग आग सदैव अपने पास रखते हैं। चाँद और सूर्य के उगने के समय ये लोग चुप रहते हैं और प्रायः कोई काम नहीं करते। भूकम्प के सम्बन्ध में इनका विचार है कि यह इनके पूर्वजों का खेल है जिसे वे कभी-कभी खेलते हैं। 'पुलगा' कभी-कभी आँधी के रुप में प्रगट होता है उसे शान्त करने के लिये ये लोग चटकने वाली पत्तियाँ आग में जलाते हैं।

आधुनिक निवासी :—

इन द्वीपों में सभ्य जगत के आदमी विदित इतिहास के अनुसार सन् १७८८ ईस्वी में आये और तबसे इन द्वीपों का सम्पर्क आधुनिक जगत से नियमित रुप में होना आरम्भ हुआ। दंडित व्यक्तिओं का उपनिवेश बसाने का दूसरा प्रयास सन् १८५८ ईस्वी के मध्य में शुरू हुआ। इस उपनिवेश में अधिकतर राजनैतिक कैदी ही भारत से लाये गये। इन कैदियों में विभिन्न धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्ति थे। इनकी रहन-सहन तथा भाषा में भी भिन्नता थी। सन् १९४५ से पूर्व के यहाँ के समाज में अधिकतर दो ही प्रकार के व्यक्तियों की प्रधानता थी—

१—वे लोग जो यहाँ लाये गये कैदियों के वंशज थे।
२—वे लोग जो अधिकारी वर्ग के थे।

पहले वर्ग के द्वारा ही यहाँ का समाज बना। इस समाज में सर्वधर्म समन्वय

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

की प्रधानता रही। यहीं इन लोगों द्वारा एक ऐसे प्रगतिशील धर्म निरपेक्ष समाज का निर्माण हुआ जिसकी समानता देश का कोई भी समाज नहीं कर सकता। व्यावहारिक उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता, विशेषकर यहाँ के हिन्दू-समाज के जीवन का अंग बन चुकी है। इस समाज में न जाति-पाँत का भेद-भाव है और न ऊँच-नीच का अन्तर।

विभिन्न भाषा-भाषी होते हुऐं भी इन लोगों ने बिना किसी हिचक के सरल हिन्दी को, जिसे हम आधुनिक हिन्दी की एक शाखा मान सकते हैं, सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाया। यद्यपि इनकी इस बोल-चाल की भाषा में व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ हैं फिर भी इस में धारा प्रवाह है, सजीवता है और भाव व्यक्त करने की क्षमता है। बोल- चाल में जहाँ ये सरल है वहीं सुनने में इसमें लालित्य भी है। इस भाषा पर अंगरेजों का अधिक प्रभाव मालूम पड़ता है जैसे—'लम्बा कमान' जो दूर जाने-आने वाली बोट जिसमें यात्रा की जाती है का द्योतक है। 'जैन होना' इसके माने हैं अस्पताल से अच्छा होकर निकलना। एक बात बड़े आश्चर्य की यह रही है कि यद्यपि अँगरेजों के शासन काल में यहाँ अँगरेजी के अतिरिक्त उर्दू का ही बोल-बाला रहा है परन्तु इसका यहाँ की बोल-चाल की भाषा पर कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता। वर्तमान समय में हिन्दी ही यहाँ की जन सम्पर्क भाषा मानी गई है। शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त की गई "बासूकमेटी" ने भी जो यहाँ १८५५ में आई थी हिन्दी को ही यहाँ की प्रधान और अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा माना है, इसी कमेटी के सुझाव पर यहाँ हिन्दी देवनागरी लिपि में शिक्षा का माध्यम मानी गई है। न्यायालयों में भी हिन्दी का उपयोग वैधानिक माना गया है। यहाँ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के अनुयायी रहते हैं। सन् १९५१ और सन् १९६१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न धर्मानुयायियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष — हिन्दू—मुसलमान—ईसाई— सिख—जैन— बौद्ध—अन्य
१९५१=९२९४—४७८३— ९४९४— १२६—४—१७०४—५६६६
१९६१=३२७८१—७३९८—१७९७३—२४१—३—१७०७—३४४५

यहाँ के हिन्दू समाज के धार्मिक संस्कार तथा सामाजिक रीतियाँ अधिकतर उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में रहने वाले हिन्दुओं की तरह हैं। यद्यपि यह ससाज आधुनिक दृष्टिकोण से काफी प्रगतिशील है फिर भी यहाँ प्रति शुक्रवार और रविवार को क्रमशः मस्जिदों और गिरजाघरों में होने वाली भीड़ इस बात का प्रतीक है कि समाज का यह वर्ग अपने धर्म के प्रति वर्तमान समय में भी जागरूक है।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

कैदी

इन द्वीपों में दण्ड पाये व्यक्तियों का उपनिवेश स्थापित करने की विचारधारा का प्रादुर्भाव सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ही हुआ। यही कारण था कि यहाँ लाये गये कैदियों में १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की ही संख्या अधिक थी। राजनैतिक कैदियों में पृथ्वीसिंह आजाद, वीर सावरकर तथा भाई परमानन्द आदि के नाम प्रमुख हैं। इन राजनैतिक कैदियों के अलावा गुरुत्तर अपराध करने वाले कैदी भी यहाँ लाये गये थे।

इन कैदियों के लिये यहाँ आने पर कम-से-कम छ:मास के लिये सेलूलर जेल में रहना अनिवार्य था। राजनैतिक कैदियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी। छ:माह तक यदि कारागार में कैदी का व्यवहार ठीक पाया जाता था तो उसे तृतीय श्रेणी दे दी जाती थी।

इस श्रेणी में आने पर अनुशासन सम्बन्धी कठोरताओं में कमी हो जाती थी। इसके पहले इनसे नारियल के छिलके कूटने और तेल निकालने का काम कराया जाता था। तृतीय श्रेणी के कैदियों को जेल से बाहर अन्य काम करने के लिये टोलियों में भेजा जाता था। रात के समय ये बैरकों में रहते थे।

लगभग चार-साढ़े चार वर्ष इस श्रेणी में बिना शिकायत के रहने पर उनकी तरक्की पेटी अफसर या घरेलू नौकर के पद पर कर दी जाती थी। पेटी अफसर पद पर आने पर इन्हें अपनी टोलियों में अनुशासन स्थापित करने का काम करना पड़ता था। नौकर के पद पर तरक्की पाने वाले कैदी को तत्कालील प्रशासन के किसी अधिकारी के घर पर अथवा कार्यालय में काम करने के लिये भेज दिया जाता था। इन दोनों पदों पर तरक्की पाने वाले कैदियों को मुफ्त राशन मिलता था। किन्तु ये ग्रैच्युटी नहीं पाते थे।

तृतीय श्रेणी में रह कर अच्छी रिपोर्ट पाने पर कैदी को द्वितीय श्रेणी में स्थान दिया जाता था। इस श्रेणी में कैदी को बारह आने प्रति माह की दर से ग्रैच्युटी मिलती थी। ये लोग एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे। प्रत्येक कैदी के पास लोहे के छल्ले में लगी हुई लकड़ी की एक छोटी तख्ती होती थी जिस पर उसका नाम, अपराध की धारा, उसकी संख्या तथा दण्ड पाने की तारीख अंकित रहती थी।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

द्वितीय श्रेणी में बिना किसी शिकायत के पाँच वर्ष तक रह कर काम करने वाले कैदी को प्रथम श्रेणी दे दी जाती थी। इस श्रेणी के कैदियों को अपनी इच्छानुसार जीविका उपार्जन करने की छूट मिल जाती थी और इस आशय का उन्हें एक प्रभाण पत्र दे दिया जाता था। इस प्रमाण पत्र को यहाँ की बोलचाल की भाषा में 'टिकट' कहते थे। इन्हें जायदाद खरीदने, मकान बनवाने तथा अपनी विवाहिता स्त्री को बुलवा कर या यहीं किसी विवाह योग्य महिला कैदी से विवाह करके जीवन व्यतीत करने की छूट मिल जाती थी।

महिला कैदी :—पुरुषों के अलावा यहां गुरुतर अपराध में दण्ड पायी हुई महिला कैदियों को भी लाया जाता था। इनकी जेल पुरुषों की जेल से दूर थी, यहाँ इन्हें चारदीवारी के भीतर बनी बैरकों में रखा जाता था। वर्तमान सरकारी छापाखाना (Govt. Press) की इमारत में ही यह जेल स्थित थी। इसके चारों तरफ ऊँची दिवाल थी जो अब गिर चुकी है।

पाँच वर्ष तक इस कारावास में रहने के पश्चात महिला कैदी को किसी भी अधिकारी के घर में काम करने की छूट मिल जाती थी। इन्हें प्रथम श्रेणी के पुरुष कैदी से विवाह करने की आज्ञा भी दे दी जाती थी। विवाह से पूर्व पुरुष और महिला कैदी में जान पहचान पेदा करने के लिये महिला जेल में एक निश्चित तिथि पर विशेष "परेड' होती थी, जिसमें प्रथम श्रेणी का पुरुष कैदी जाकर अपनी मनपसन्द महिला कैदी से विवाह सम्वन्धी बातचीत करता था। दोनों के विवाह के लिये राजी हो जाने पर उन्हें विबाह की आज्ञा दे दी जाती थी। विवाह के पश्चात दोनों की सजा माफ कर दी जाती थी। महिला कैदी की एक साथ पांच वर्ष तक की सजा माफ करने का नियम था। विवाहोपरान्त वे दोनों यहाँ रह कर अपनी इच्छानुसार पारिवारिक जीवन बिताने को स्वतंत्र हो जाते थे। सन् १९४७ के पूर्व का यहाँ का अधिकांश समाज, जिसे 'लोकल बार्न' की संज्ञा न जाने किन कारणों से मिल चुकी है, ऐसे ही-स्त्री-पुरुषों के पारिवारिक जीवन से बना था। विभिन्न धर्मावलम्वी एवं सामाजिक परम्पराओं में पले होने पर भी विवाह के उपरान्त वने नये ढंग के ये परिवार काफी सफल रहे हैं।

इनसे यहाँ जिस समाज का निर्माण हुआ है। उसमें धार्मिक सहिष्णुता, वैचारिक उदारता एवं नव-समाज स्थापित करने की दृढ़ भावना पायी जाती है। इस समाज में जाति-पाँति तथा ऊंच-नीच का भेद-भाव नहीं है बल्कि इनमें रूढ़ि रहित नव-समाज का निर्माण करने की भावना प्रवल है।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

"इतिहास खण्ड"

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व :—

इन द्वीपों के अतीत का इतिहास विस्मित के गर्भ में छिपा है। समुद्री मार्ग से विश्व यात्रा पर निकले कुछ प्राचीन यात्रियों के संस्मरण एवं यात्रा सम्बन्धी पुस्तकों में इन द्वीपों का कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है।

पेम्बरटन द्वारा प्रकाशित "जेनरल कलेक्सन आफ वायजेज एन्ड ट्रेवल्स" नामक पुस्तक के भाग सात, पृष्ठ १८३ पर लिखी[1] 'दो मुसलमानों की भारत और चीन यात्रा' नामक अध्याय में इन द्वीपों के निवासियों के बारे में वर्णन मिलता है।

इसमें यहाँ के मूल निवासियों को आदमखोर, काले रंग, भयानक चेहरे और भयावनी आँखों बाला बताया गया है। इनके बाल काले और घुंघराले बताये गये हैं ? यह पुस्तक लंदन में सन् १८११ में प्रकाशित हुई थी।

इस प्रकार की एक और पुस्तक 'हैरिस कलेक्सन ऑफ वायजेज एण्ड ट्रेवल्स' भी इसी वर्ष प्रकाशित हुई थी इसमें भी कुछ इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है।

सन् ८५१ ई० से पूर्व सुलेमान सौदागर नामक फारस के एक सौदागर ने बसरा से जलयान द्वारा भारत और चीन की व्यापार सम्बन्धी यात्रा की थी। इस यात्रा का विवरण अरबी भाषा के एक ग्रन्थ 'सिलसिल तुत्त वारीख' के प्रथम भाग में दिया हुआ है। यह भाग सन् ८५१ ई० में सम्पादित किया गया था। सन् १९५४ ई० में इस पुस्तक का फ्रेंच अनुवाद संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का नाम है "रिलेशन डेस वायजेज, फेट्स, पारलेस अरब्स ऐटलेस, परसन्स, डान्स, ल, इन्डे, एटप्राला चीने "(Relation Des Voyages, Faits, Parles, Arabes Et. Ls. Persons, Dans, L', Inde, Et,A', La, Chine.) अरबी के इस मूल ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, द्वारा प्रकाशित 'यात्रा विवरण—फाहियान, सुंगयुन, और सुलेमान सौदागर' नामक पुस्तक में छपा है।

---

१. वायेस आफ इण्डिया एण्ड चाइना बाई टू मुस्लिम्स

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

"हिस्ट्री ऑफ इन्डिया एज टोल्ड बाय इटस ओन हिस्टोरियन्स" (मोहम्मडन पीरियड) नामक पुस्तक में भी जिसे 'इलियेट' ने लिखा था और 'डौसन' ने सम्पादित किया था, सुलेमान की यात्रा का वर्णन है। यह वर्णन इस पुस्तक के प्रथम भाग में है।

सुलेमान सौदागर ने निकोबार द्वीप को 'लेज वालुस' नाम से पुकारा है। इसके निवासियों का वर्णन करते समय उसने अण्डमान के निवासियों के बारे में भी लिखा है। उसका हिन्दी अनुवाद नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित है :—इन टापुओं से परे दो टापू हैं। उन्हीं के बीच अन्दमन सागर है। उन दोनों टापुओं के निवासी मनुष्यों को जीवित खा जाते हैं। ये लोग रंग के काले-कलूटे होते हैं। इनके बाल घुंघरालू होते हैं। इनकी आँखे और मुख बड़े घिनौने होते हैं। इनकी टाँगें भी कुछ कम लम्बी नहीं होती। एक मनुष्य की पौली तो लगभग एक हाथ की लम्बी थी। लोग सर्वथा नंगे रहते हैं। इनके पास नौकायें नही हैं, नहीं तों ये लोग अपने निकट से आने-जाने वालों को खा जाते। ऐसा भी हुआ है कि वायु के समुचित न होने के कारण समुद्र में जहाजों की चाल धीमी रही, ऐसी दशा में जहाजियों का जल खत्म हो चुका और जहाज पानी के निमित्त यहाँ आ गये तो अनेक बार इन लोगों को दुख भोगना पड़ा अर्थात् कुछ लोग अवश्य इनके शिकार बने और बहुतेरे भाग निकले।

'कर्नल यूले' की पुस्तक "मार्कों पोलो" में भी इन द्वीपों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार पुलीकट से पीगू जाने वाले सभी जलयान इन द्वीपों के समीप से होकर गुजरते थे। इस पुस्तक में यहाँ के आदिवासियों को राक्षस की तरह शरीर वाला तथा बाहरी व्यक्तियों के प्रति हिंसा की भावना रखने वाला बताया है। इसी पुस्तक में "नारकोन्डम द्वीप" के ज्वालामुखी के बारे में भी उल्लेख है। कहा जाता है कि इस द्वीप पर स्थित प्रज्वलित ज्वालामुखी को देखकर द्वीप के समीप से गुजरने वाले एक जलयान के ब्राह्मण कप्तान ने उसे नरक-कुण्डम नाम से सम्बोधित किया था और तभी से इस द्वीप का नाम नारकुण्डम द्वीप पड़ गया। यह ज्वालामुखी अब शान्त है।

विश्व विख्यात समुद्र यात्री मार्कों पोलो ने जो सन् १२९० ईस्वी में इन द्वीपों के पास से गुजरा था अन्दमान को बड़ा लम्बा द्वीप और यहाँ के निवासियों को जंगली जानवरों की भाँति खूंखार और सर्वभक्षी कहा है। उसके अनुसार इन लोगों में कोई राजा नहीं होता था और ये मूर्ति पूजक थे।

'फ्रेयर ओडोरी' नामक एक दूसरा यात्री सन् १३२२ ई० में इन द्वीपों के

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

पास से गुजरा था। उसने यहाँ के निवासियों को नाटा, काला और आदम खोर बताया है।

कुछ इसी प्रकार का जिक्र "सीजर फेडरिसी" नामक यात्री ने भी यहाँ के निवासियों के वारे में किया है। यह सन् १५६६ में यात्रा पर निकला था।

सन् १४४० ईस्वी में इन द्वीपों के समीप से गुजरने वाले "निकोली कोन्टी" नामक यात्री ने इसे 'अन्डमानियो' नाम से सम्बोधित किया है और सोने का द्वीप कहा है।

'जे० फिल्डिग' नामक एक वर्तमान लेखक ने अपनी पुस्तक "स्ट्रेंज कस्टम्स ओफ कोर्ट शिप एन्ड मेरेजेस" की पृष्ठ संख्या ५६ पर यहाँ के निवासियों की रीति-रिवाज के वारे में उल्लेख किया है। उसके अनुसार यहाँ के निवासियों की लम्बाई अधिक-से-अधिक चार फीट दस इंच होती है। इनके बाल घुंघरालू और काले होते हैं। इनकी नाक चपटी और रंग भौंरे के समान काला वताया। इनको शिकार का शौकीन और अपरिचितों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाला बताया गया है। ये लौग धातुओं का प्रयोग नहीं जानते और विदा होते समय एक दूसरे का हाथ फूंकते हैं। ये लोग आग जलाना नहीं जानते।

उपरोक्त पुस्तकों में यहाँ के निवासियों के विषय में दिये गए वर्णन कुछ सीमा तक सत्य हैं। किन्तु उनकी कुछ बातों का आधार नहीं मिलता है, जैसे इनको मानव मांस भक्षी बताने में कोई सत्यता नहीं है।

डाक्टर के० एम० पाणीकर की पुस्तक "सर्वे ओफ इन्डियन हिस्ट्री" के अनुसार भारतीय सस्कृति ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही कम्बोज, (कम्बोडिया), चम्पा (वियतनाम), यवद्वीप (जावा), सुवर्णद्वीप (सुमात्रा), वरूणद्वीप (वोर्नियो), ताम्र पाणीद्वीप (लंका), इन्द्रद्वीप (बर्मा), केसरूद्वीप (मलाया), गमस्तीमान द्वीप समूह (ईस्ट इण्डीज), सौम्यद्वीप (सुमात्रा) में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार हो चुका था। उस समय ताम्रलिप्ती तथा नागापट्टनम बन्दरगाहों से उन द्वीपों की जाने वाले जलयान अन्दमान (जिसे उस समय 'इन्द्रद्युम्न द्वीप' के नाम पुकारते थे) और निकोबार (जिसे "नकाबरम्" द्वीप समूह कहते थे) द्वीप समूह के पास से होकर जाते थे।

सन् १०१४ से सन् १०४४ तक राजेन्द्र चोल देव प्रथम चोल वंश (राज्य) के सबसे प्रभावशाली शासक थे। इनके समय में राज्य के जलपोत बंगाल की खाड़ी में परिभ्रमण किया करते थे। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा बर्मा के समुद्र तटीय आराकान तथा पेशु आदि प्रदेश इनके अधिकार में आ गए थे।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मलाया, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप समूहों पर भी इनका अधिकार था। यद्यपि निकोबार के विषय में इस राज्य के इतिहास में वर्णन मिलता है परन्तु अंदमान द्वीप के बारे में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। चोल राज्य की शक्ति का ह्रास १०४४ ईस्वी से हुआ और यह राज्य १२६७ ईस्वी में विलुप्त हो गया। इस अवधि में इन द्वीपों से भारत का सम्बन्ध विच्छेद हो गया और १७८८ तक अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए बिल्कुल अनजान बना रहा।

अन्दमान नाम क्यों और कैसे :—

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रभाव पहली शताब्दी में ही पूर्वी द्वीप समूहों पर पड़ चुका था। यद्यपि चौथी शताब्दी के अन्त में इन द्वीपों पर भारतीय प्रभाव कम हो गया था परन्तु फिर भी इन द्वीपों में उदय होने वाले नवीन राज्यों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव शेष था। उस काल से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के ताम्र पत्रों तथा कथाओं में अन्दमान द्वीप का नाम 'इन्द्रद्युम्न द्वीप' मिलता है। सन् ८५१ ई० के पूर्व में यात्रा करने वाले सुलेमान सौदागर तथा उसके पश्चात् यात्रा करने वाले यात्रियों ने इन द्वीपों को अंदमान नाम से सम्बोधित किया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि विदेशी होने के नाते और 'इद्रद्युम्न शब्द की उच्चारण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वे इसे अन्दमन कह कर सम्बोधित करने लगे थे।

मलय प्रदेश के प्रसिद्ध विद्वान 'श्री डब्ल्यू० ई० मैक्सवेल' के मतानुसार १८ वीं शताब्दी में इन द्वीपों को "इन्दुमन" अथवा "अन्दुमन" नाम से पुकारते थे। यह नाम भी "इन्द्रद्युम्न" का बिगड़ा रूप मालूम पड़ता है। हो सकता है कि मलय निवासियों को 'इन्द्रद्युम्न' का उच्चारण कठिन लगा हो और इस कारण "इन्द्रद्युम्न' का 'इन्दुमन' अथवा 'अन्दुमन' हो गया हो। श्री मेक्सवेल के अनुसार इन द्वीपों के निवासियों को मलय देशवासी हनुमान के नाम से पुकारते थे और इस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था जिसका रामायण में वर्णन है।

सन् १८८५ ई० में एम० वी० पोर्टमेन जब यहाँ के तेरह आदिवासियों को लेकर पेनांग नगर गये थे तब वहाँ उन्हें नगर के निवासियों ने यह कहते हुए घेर लिया था कि "हनुमान आया आओ देखें"।

वर्तमान अन्दमान शब्द प्राचीन "इन्द्रद्युम्न" के बिगड़े स्वरूप "इन्दुमन" शब्द का अंग्रेजी रूपान्तर मालूम पड़ता है। कहा जाता है कि इन द्वीपों को जावा, सुमात्रा, मलाया आदि के निवासी हनुमन का द्वीप भी कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम उन दिनों इन देशों में फैली हुई भारतीय हिन्दू संस्कृति के प्रभाव के

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

फलस्वरूप ही पड़ा था। जब अंग्रेजी सत्ता इन द्वीपों पर छाने लगी तब अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और उच्चारण की सुगमता के लिए इन्हें अण्डमान नाम दे डाला। अंग्रेजी भाषा में 'द' अक्षर का उच्चारण 'डी' (D) अक्षर से और 'उ' अक्षर को यू (U) से प्रकट किया जाता है।

अंग्रेजी का 'U' अक्षर कभी-कभी 'अ' के लिये भी प्रयोग किया जाता है जैसे पुट (Put) और बट (But)। हो सकता है कि इसी कमजोरी के कारण अन्दमान शब्द में 'ए' शब्द की जगह 'ए' (A) का प्रयोग किया हो और इन्दुमान अथवा अन्दुमन शब्द अण्डमन शब्द बन गया हो।

उपनिवेश बसाने का प्रथम प्रयास :—

इन द्वीपों में उपनिवेश बसाने का प्रथम प्रयास अठारहवीं शताब्दी में किया गया। सन् १७८८ ई० में बंगाल प्रान्त की तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने इन द्वीपों में उपनिवेश स्थापित करने की कल्पना की और उसने इसे साकार करने के लिये ही बंगाल इन्जीनियर्स के लेफ्टिनेन्ट कोल ब्रुक और तत्कालीन रायल भारतीय नौ सेना के लेफ्टिनेन्ट आर्क बाल्ड ब्लेयर को यहां की भूमि आदि का निरीक्षण करने के निमित्त नियुक्त किया।

ये दोनों दिनांक २० दिसम्बर सन् १७८८ को ग्यारह बजे एक जलयान द्वारा डायमन्ड-हार्बर (कलकत्ता) से इन द्वीपों के लिये रवाना हुये। यात्रा आरम्भ होने के चौथे दिन इन्हें बड़ा अन्दमान द्वीप के दर्शन हुये। ये लोग उसी दिन, अर्थात् २३ दिसम्बर १७८८ को, इस द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित एक बन्दरगाह में रुके। फिर वहाँ से चलकर ये लोग वर्तमान पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह में स्थित चाथम द्वीप पर रुके। उसी दिन उन्होंने इस बन्दरगाह का नाम तत्कालीन वायसराय के नाम पर पोर्ट-कार्नवालिस रखा।

उस समय इनके साथ १९९ व्यक्ति थे। उनकी सहायता से इन्होंने चाथम द्वीप पर लगे जंगलों को काट कर रहने योग्य भूमि बनाई और इस भूमि पर उपनिवेश-स्थापित करने के प्रयास का प्रथम चरण शुरू हुआ।

सन् १७९० ई० में जब एडमिरल कार्नवालिस यहाँ आये तो उन्होंने इस बिस्ती को उत्तरी अन्दमान के उत्तरी छोर पर स्थित बन्दरगाह पर बसाने का आदेश दिया। उनके अनुसार, रण नीति की दृष्टि से, उत्तरी छोर वाला बन्दरगाह अधिक उपयोगी था। सरकार से भी इसकी स्वीकृति मिल गई थी।

इस आदेश के फलस्वरुप उस दूसरी जगह पर उपनिवेश स्थापिरने ककत

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

काम शुरू हुआ। इस बन्दरगाह का नाम पोर्ट कार्नवालिस रखा गया। आज भी यह बन्दरगाह इसी नाम से प्रसिद्ध हैं।

यहाँ ११६ व्यक्तियों के रहने के लिये घर बनाये गये। इन लोगों की सहूलियत के लिये यहाँ एक चिकित्सालय और एक स्टोर भी बनाया गया। बस्ती में तथा उसके चारों तरफ फल के वृक्ष लगाये गये। तरकारी की खेती आरम्भ की गई।

खाने पीने की वस्तुयें यहाँ कलकत्ता और पेनांग से "एच० एम० ए० रेन्जर" द्वारा लाई जातीं थीं। इसके अतिरिक्त "परसीवरेन्स", "वेस्टल", "एरियल", "अटलान्स" और "कौरी" नामक नौ सेना जलयान भी यहाँ कलकत्ता पेनांग से आया करते थे। इनसे भी सामान आया करता था।

जहाज़ से सामान किनारे पर पहुँचाने की सुविधा के लिये फरवरी १७६१ में यहाँ एक बाजार पहले पहल बना। इसी वर्ष अधिकारियों के अपने परिवार के लोगों को यहाँ मंगाने की छूट मिल गई। बस्ती के लोग प्रसन्न एवं स्वस्थ थे। बीमार और मृतकों की संख्या बहुत ही कम थी। रहने के मकान लकड़ी के बनाये गये थे। तरकारी और फल पैदा होने लगा था। आदिवासियों से, जिनमें जरवा जाति के भी लोग थे सम्पर्क स्थापित किया जा चुका था।

ये आदि वासी बन्दरगाह के दक्षिणी भाग में रहते थे। कभी-कभी बस्ती में भोजन की वस्तुयें और लोहे आदि धातुओं के टुकड़े माँगने आते थे।

सन् १७६१ के अन्त में कैप्टेन किड को इस उपनिवेश को कार्यभार सौंप कर लेफ्टिनेन्ट ब्लेयर कलकत्ता चले गये थे। ४ दिसम्बर १७६२ को इन्हें गवर्नर जनरल की आज्ञानुसार एच० एम० एस० यूनियन, एच० एम० एस० जूनो, एच० एम० एस० कार्नवालिस और एच० एम० एस० सीहार्स नामक जलयानों के साथ यहाँ पुनः आना पड़ा। इन जलयानों पर ३६० व्यक्ति और छः माह का राशन था। कलकत्ते से पोर्ट कार्नवालिस आते समय मार्ग में इन जलयानों को एक प्रबल समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। इस तूफान में फंस कर "जूना" नामक जलयान अपने ६० यात्रियों और सामान के साथ डूब गया। केवल तीन जलयान ही यहाँ सुरक्षित पहुँच सके।

३१ दिसम्बर १७६२ को लेफ्टिनेन्ट ब्लेयर ने यहां लाए गए व्यक्तियों की सहायता से ६००×१०० गज के लगभग भूमि साफ कराई और डायमन्ड हार्बर से लाए कछुये बन्दरगाह के जल में छोड़े। कोको द्वीप से लाये गये नारियल के पौधों को भूमि पर लगाया गया।

मई १७६३ में कलकत्ता से ११३ सिपाही तथा ७२ मजदूर यहाँ और लाये गए। सुमात्रा और बर्मा से फलों के पौदे मंगवाकर लगाये गए। ले०

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ब्लेयर इस वर्ष फिर कलकत्ता वापस चले गए और इनके स्थान पर मेजर किड की पुनः नियुक्ति हुई। अप्रैल १७९४ ई० में इस उपनिवेश की देखभाल तथा राशन आदि भेजने का भार कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम के एडजुटेन्ट को सौंप दिया गया।

यहाँ लाये गये व्यक्तियों में अधिकांश दण्ड पाये हुए लोग ही थे। इनके अतिरिक्त मजदूर और अधिकारी भी यहाँ काफी संख्या में थे।

५ मई १७९४ को सर्वप्रथम तथा अन्तिम बार तत्कालीन बम्बई सरकार के आदेशानुसार यहाँ पाँच यूरोपियन कैदी सजा भुगतने के लिए लाये गये, किन्तु यहाँ के सुपरिन्टेन्डेन्ट के इनकार करने पर उन्हें वापस बम्बई भेज दिया गया। यूरोपियन कैदियों को भारतीय कैदियों के बीच रखना अनुचित समझ कर ही तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेन्ट ने ऐसा किया था। उनकी ही सिफारिश पर भारत सरकार ने यहाँ यूरोपियन कैदी भेजने पर रोक लगा दी। यही कारण है कि यहाँ कोई यूरोपियन कैदी नहीं रहा।

सन् १७९५ ई० तक इस बस्ती की आबादी ८२० हो गई थी। इसमें २७० कैदी थे और शेष अधिकारीगण, सैनिक तथा उनके बाल-बच्चे थे।

इस बस्ती के सुख और समृद्धि का समय बहुत दिन तक न चल सका। सन् १७९५ ई० की वर्षा ऋतु में बस्ती में मलेरिया के प्रकोप से ५० व्यक्तियों की अचानक मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक विपत्ति से बस्ती के लोगों में बेचैनी फैल गई।

यह बेचैनी सरजन रेडची की मृत्यु और लेफ्टिनेन्ट रैम्से की अस्वस्थता के कारण निराशा में बदलने लगी। इस निराशाजनक परिस्थिति के फ़लस्वरूप ईस्ट इन्डिया कम्पनी के बौर्ड ने ८ फरवरी १७९६ ई० की अपनी बैठक में प्रस्ताव पास करके इस उपनिवेश को बन्द करने और यहाँ के निवासियों को शीघ्र मुख्य भूमि पर वापस भेजने का आदेश दे दिया।

जो लोग पेनांग जाना चाहते थे उन्हें पेनांग भेजकर शेष को मई माह तक कलकत्ता वापस भेज दिया गया।

इस प्रकार इन द्वीपों में उपनिवेश स्थापित करने का प्रथम प्रयास असफल रहा।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

उपनिवेश स्थापित करने
का
द्वितीय प्रयास

सन् १७९५ ई० से लेकर सन् १८५७ ई० तक (लगभग ६२ वर्ष) ये द्वीप समूह विस्मृति के गर्भ में डूबे रहे। इस अवधि में घटित होने वाली छुट-पुट घटनाओं का विवरण कहीं-कहीं पढ़ने को अवश्य मिलता है।

सन् १८२४ ई० के प्रथम बर्मा युद्ध में भाग लेने के लिए सर आर्कवाल्ड कैम्पबेल के नेतृत्व में रंगून जाने वाले नौ सेना के बेड़े का संगठन पोर्ट-कार्नवालिस में ही हुआ था।

१२ दिसम्बर सन् १८२५ ई० के दिन ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी का जलयान 'अलकेली' छोटा अन्दमान (Little Andaman) के किनारे रुका था। इसी जलयान के नाम पर उस द्वीप की एक खाड़ी का नाम रख दिया गया जो अभी तक प्रचलित है।

सन् १८३० ई० में 'पिडिङ्गटन' नामक एक सज्जनइन द्वीपों में आए थे। १२ दिसम्बर सन् १८३६ ई० को 'मालकम' नामक एक यात्री कोको अन्तरीप से होकर इन द्वीपों के समीप से गुजरा था। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक 'ट्रैवेल्स इन सदर्न एशिया' में किया है।

सन् १८४० ई० में डाक्टर हेल्फर नामक एक रूसी भूगर्भवेत्ता इन द्वीपों में आए थे। ये तत्कालीन भारत सरकार की अस्थाई सेवा में थे। यहाँ आकर वे प्रतिदिन अपने जलयान से उतर कर पोर्ट कार्नबालिस के उत्तर बनों में चाँदी की खान की खोज में जाया करते थे। एक दिन अकस्मात, जब वे वन में अपनी स्त्री के साथ जा रहे थे, एक आदिवासी ने भाले से उन पर घातक प्रहार किया। यद्यपि श्रीमती हेल्फर ने आक्रमणकारी को तुरन्त पिस्तौल से मार डाला किन्तु अपने पति को वे बचा न सकीं। डाक्टर हेल्फर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इस घटना के बाद १३ जनवरी सन् १८५५ ई० को एक और दुःखद घटना घटी। इस दिन 'फैज-बक्स' नामक एक जलयान इन द्वीपों के किनारे दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। इसके नाविक जब किसी प्रकार बच कर किनारे तट पर पहुंचे तो उन पर आदिवासियों के एक दल ने आक्रमण करके, तीन व्यक्तियों को मार डाला।

इन दो घटनाओं के कारण भारत सरकार का ध्यान इन द्वीपों की ओर पुनः आकर्षित हुआ। अराकान प्रान्त (जो अब बर्मा में है) के तत्कालीन कमिश्नर कैप्टेन हापकिन्स ने इन द्वीपों पर अधिकार करके इन्हें भारत-सरकार के अन्तर्गत रखने का और यहाँ उपनिवेश पुनः स्थापित करने का सुझाव दिया।

कैपटेन हापकिन्स के इस सुझाव पर सन् १८५६ ई० में ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी ने आदेश दिया कि इन द्वीपों का पुनः सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दी जाय कि यहाँ पुनर्वास कार्य आरम्भ किया जा सकता है कि नहीं।

इस उद्देश की पूर्ति के हेतु तत्कालीन भारत सरकार ने सन् १८५७ ई० में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसका नाम "अन्दमान-कमेटी" रखा। इस कमेटी के सदस्यों के नाम थे :—

१—डाक्टर एफ० जे० माउट।
२—डाक्टर जी० आर० प्लेफेयर।
३—लेफ्टिनेन्ट हिचकाट।

डाक्टर माउट उस समय बर्मा के लोअर प्रान्त में जेलों के इन्सपेक्टर थे। डाक्टर प्लेफेयर ब्रिटिश थल सेना में सहायक सर्जन थे और ले० हिचकाट रायल नौ सेना में थे। डाक्टर माउट इस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस पार्टी के साथ मोशियो मालिटे नामक एक फोटोग्राफ़र भी था।

पूरी तैयार करने के पश्चात् ये लोग "सेमीस" नामक जलयान से १७ नवम्बर सन् १८५७ ई०को कलकत्ते से मोलमिन (बर्मा) के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचने पर मोलिमन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल अलबर्ट फिटची ने इनका स्वागत किया और इन्हें १२ कैदी तथा ३ कैदी वार्डर दिए जिन्हें जंगलों के बारे में विशेष ज्ञान था।

मोलमिन से ये लोग "प्लूटो" नामक जलयान से ६ दिसम्बर सन् १८५७ ई० को रवाना हुए। ११ दिसम्बर सन् १८५७ ई० को दोपहर के समय इनका जलयान पोर्ट कार्नवालिस बन्दरगाह में स्थित चाथम द्वीप के किनारे रुका।

मध्यान्ह में लगभग २ बजे ये लोग उस स्थान पर गये जहाँ सन् १७९६ ई०

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

में बस्ती थी और मलेरिया के प्रकोप के कारण उजाड़ दी गई थी और उसके निवासियों को मुख्य भूमि पर वापस भेज दिया गया था।

यहाँ कुछ दिन रुक कर जाँच पड़ताल करने के पश्चात ये लोग "बैरीन द्वीप" गये। "प्लूटो जहाज़ के कप्तान के साथ डा० माउट और डाक्टर प्लेफ़ेयर जब सागर तट पर नाव से पानी में उतरे तो उन्हें पानी काफी गरम लगा। उस समय द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत के मुख से धुआँ निकल रहा था। ये लोग डाक्टर माउट के कुत्ते "नेपट्यून" के साथ पर्वत के शिखर तक गये।

वहाँ से लौटकर ये लोग दक्षिण अन्दमान की ओर गये। लगभग एक माह तक यह कमेटी दक्षिणी अन्दमान, इन्टरव्यू द्वीप, साउथ रीफ द्वीप, लांग आइलेन्ड, स्टीवर्ट्स द्वीप, केज़ी द्वीप, साउन्ड द्वीप, क्रीन्क द्वीप तथा लैन्ड आदि द्वीपों का सर्वेक्षण करती रही। इस कमेटी ने पोर्ट कैम्पवेल, पोर्ट- माउन्ट बन्दरगाहों की खोज की और सिफारिश की कि ले० ब्लेयर द्वारा पहले पहल खोजे जाने वाले बन्दरगाह का नाम "पोर्ट ब्लेयर" रखा जाय। वर्तमान समय का "पोर्ट ब्लेयर" बन्दरगाह ही वह बन्दरगाह है जिसकी ले० ब्लेयर ने खोज की थी। पोर्ट मोट डाक्टर माउट के और पोर्ट कैम्पवेल का नाम कमोडोर कैम्पबेल के नाम पर रखा गया है।

दक्षिणी रीफ द्वीप पर दो आदिवासियों को देखकर ये लोग अपने जहाज़ से उतर कर, दो नावों में तट की तरफ बढ़े ये लोग अभी तट से कुछ दूर ही थे कि आदिवासियों ने कई डोंगियों में आकर इन पर तीर से आक्रमण किया। इस आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई घबड़ाहट में काटग्रेव नामक एक अधिकारी ने पिछली नाव से गोली चलाई जिससे अगली नाव पर बैठे डा० प्लेफेयर और ले० हिचकाट घायल हो गये। काफी आदिवासी मरे और घायल हुये। इन लोगों ने इस मुठभेड़ से भाग लेने वाले एक अन्डमानी युवक को पकड़ लिया था। जनवरी सन् १८५८ ई० में डा० माउट जब कलकत्ता वापस गये तो इस युवक को अपने साथ लेते गये थे। उन्होंने इसका नाम "जैक" रखा था। कुछ दिन बाद इसे वापस लाकर रीफ द्वीप पर छोड़ दिया गया था।

यहाँ से जनवरी सन् १८५८ ई० में वापस जाकर इस कमेटी ने तीन सिफारिशे की कि :—

(१) ले० ब्लेयर द्वारा पहले पहल खोजे जाने वाले बन्दरगाह का नाम "पोर्ट-ब्लेयर" रखा जाय।

(२) पोर्टब्लेयर में ही उपनिवेश स्थापित किया जाय।

(३) उपनिवेश स्थापित करने का कार्य भार, मोलगिन जेल के तत्कालीन

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

सुपरिनेटन्डेन्ट कैप्टेन मान को, जो एक कुशल इन्जीनियर थे, सौंपा जाय।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही कैप्टेन मान २० जनवरी १८५८ ई० को पोर्टब्लेयर आ गये। २२ जनवरी १८५८ ई० को इन द्वीपों में, सर्व प्रथम वार, ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रीय झंडा "यूनियन जैक" फहरा उठा।

कैप्टेन गान इन द्वीपों में अधिक दिन न रह सके। १० मार्च सन्१८५८ ई० को डाक्टर जेम्स पैटिसन वाकर यहाँ के स्थाई सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त होकर आये। २० मार्च सन् १८५८ ई० को अपने पद का कार्य-भार डाक्टर बानर को सौंप गान बर्मा चले गये।

डाक्टर वाकर आगरा जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। ये अपने साथ २०० कैदी एक भारतीय ओवरसियर, दो भारतीय डाक्टर और ५० व्यक्तियों की नौ सेना की टुकड़ी लाये थे। १५ अप्रैल सन् १८५८ ई० को श्रीमती वाकर भी "डलहौजी" नामक जहाज से यहाँ आ गईं थीं।

१६ जून सन्१८५८ ई० की रिपोंट के अनुसार उस समय यहाँ ७७३ कैदी आये थे। इनमें से ६४ कैदी बीमारी से मर गए थे और १४० कैदी यहाँ के कठोर एवं मन हूस जीवन से ऊव कर जंगलों में इस आशा में भाग गये थे कि किसी प्रकार बर्मा पहुँच जायँगे। किन्तु फिर न तो इनमें से कोई वापस आया और न उनके बारे में यह पता ही चला कि उनका क्या हुआ। अन्दाजा यही किया जाता है कि उन्हें या तो आदिवासियों मार ने डाला या स्वयं ही जंगल में मार्ग भूल कर वे भूख-प्यास से मर गये। ८७ कैदियों को, इस उपनिवेश से भागने का प्रयास करने के अपराध में फाँसी दे दी गई। एक कैदी ने आत्म हत्या कर ली थी। इस प्रकार यहाँ केवल ४८१ कैदी ही शेष थे। इनमें से ६० बीमार होकर अस्पताल में थे।

डाक्टर वाकर ने यहाँ आते ही चाथम द्वीप की पूरी सफाई करनी आरम्भ कर दी थी किन्तु जल की कमी के कारण इन्होंने अपने कार्यालय को रॉस द्वीप पर ले जाने की बात सोची। इस सम्वन्ध में उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा था। भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या ७४३ दिनांक ७ मई १८५८ द्वारा इस बात की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति पाते ही उन्होंने रॉस द्वीप में सफाई करानी शुरु कर दी धीरे-धीरे यह द्वीप इस उपनिवेश का प्रधान कार्यालय बन गया।

डाक्टर वाकर स्वभाव से बड़े रुखे और कठिन अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनके कार्य काल की अवधि में बहुत से कैदी भाग गये थे। पकड़े गये कैदियों को फाँसी ऐसा कठोर दण्ड देने के बावजूद भी कैदियों की भागने की समस्य बड़ी जटिल

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

होती जा रही थी। डाक्टर वाकर की प्रकृति के अलावा कैदियों के भागने के दो और कारण थे :—

१—यहाँ की जलवायु तथा उपनिवेश के वातावरण का कैदियों के प्रतिकूल-

२—अधिकांश कैदी १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में पकड़े गये थे, उनकी स्वतंत्र रहने की भावना प्रबल थी और यह विश्वास था कि बर्मा की भूमि अंदमान के समीप ही है जहाँ वे आसानी से भाग कर जा सकते हैं।

रॉस तथा चाथम द्वीप के अतिरिक्त दक्षिणी अंदमान के फिनिक्स बे (phoenix Bay)नामक भू-भाग पर भी कैदियों के रहने के लिये स्थान बनाये गये। डाक्टरँ वाकर ने कैदियों को दो वर्गों में—आजीवन कारावास का दण्ड पाने वाले और अन्य—बाँटने की सिफारिश की। इन कैदियों को, उन्होंने $\frac{PB}{L}$ और $\frac{PB}{1}$ अंकों से क्रमशः दागने का भी सुझाव दिया। इन सुझावों के अतिरिक्त पोर्टब्लेयर से पोर्ट मोट के मध्य की भूमि में ६६० वर्ग फीट क्षेत्रफल के ६४ गाँवों में १६८४ कैदियों को बसाने और उनसे खेती करवाने की योजना भी भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की। भारत सरकार ने अपने गृह विभाग के पत्र संख्या १८२३ दिनांक ३. १२. १८५८ के द्वारा इनकी गाँव बसाने की योजना पोर्टब्लेयर से स्वीकार कर ली। अन्य सुझाव अस्वीकार कर दिये गये। इस आदेश के अनुसार पोर्टमोट तक की भूमि एक चौड़ी पट्टी के रुप में पहले साफ करनी थी।

डाक्टर वाकर के ही सुझाव पर स्थानीय नौसैना की एक टुकड़ी की सहायता से कैदियों के चार दलों ने ८ अक्टूबर १८५८ को सर्व प्रथम बार "वायपर द्वीप" पर अधिकार कर लिया। उस समय "चार लोट" नामक जलयान रात भर वायपर द्वीप के किनारे सागर में इनकी रक्षा तथा सहायता के लिये खड़ा रहा किन्तु कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

डाक्टर वाकर का कार्यकाल २६ जुलाई १८५६ तक रहा। इन्होंने २७ मार्च १८५६ को ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था किन्तु अपने उत्तराधिकारी कैप्टेन जे० सी० हॉटन के आने तक उन्हें रुकना पड़ा। २६ जुलाई सन् १८५६ को कैप्टेन हॉटन ने इस पद का कार्य भार सँभाल लिया।

डाक्टर वाकर के कार्यकाल की एक वर्ष चार महीने की अवधि में आदिवासियों के कई आक्रमण हुए। जिनमें से तीन आक्रमण, जो क्रमशः मार्च,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

अप्रेल और मई में हुए, उल्लेखनीय हैं। इन आक्रमणों की विशेषता यह रही है कि इनमें आदिवासियों ने संगठित होकर योजना के अनुसार आक्रमण किया था।

मार्च १८५९ :— इस आक्रमण में लगभग सौ आदिवासियों ने तीर कमान से सुसज्जित होकर नौ सैना की एक टुकड़ी पर, जो पानी घाट पर पानी ले रही थी हमला किया। इस आक्रमण में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। गोली चलने पर आदिवासी जंगलों में भाग गये।

६ अप्रेल १८५९ :—इस दिन लगभग दो सौ आदिवासियों ने तीर कमान से सुसज्जित होकर कैदियों के उस डिवीजन पर हमला किया जो चाथम द्वीप के सामने दक्षिणी अंदमान के "हैडौ" नामक स्थान पर कुआ खोदने, जंगल साफ करने तथा झोंपड़ी बनाने का काम कर रहे थे। इस आक्रमण में तीन कैदी घटना स्थल पर मारे गये, एक अस्पताल में मरा और पाँच कैदी बुरी तरह घायल हुए थे।

आक्रमणकारी कैदियों के कपड़े काम करने के औजार तथा बर्तनों को उठा ले गये।

१४ मई १८५९ :—इस दिन का आक्रमण अंदमान के इतिहास में "अबरडीन का युद्ध" के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लगभग ११५० आदिवासियों ने तीर कमान और कुल्हाड़ी से लैस होकर एक निश्चित योजना के अनुसार संगठित रूप से आक्रमण किया था। इस आक्रमण की सूचना दो दिन पहले ही डाक्टर वाकर को दूधनाथ तिवारी नामक कैदी से मिल चुकी थी और इस सूचना के आधार पर ही उन्होंने बचाव का काफी प्रबन्ध कर लिया था। यह आक्रमण बड़ा भयंकर और जोरदार था। अबरडीन और अटलाँटा प्वाईंट पर इस आक्रमण का दवाब अधिक था। इसकी भीषणता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रमणकारियों को रोकने के लिये नौ सैना के लेफ्टिनेन्ट वार्डेन अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ "चारलोट" नामक जलयान से जो रॉस द्वीप और अबरडीन के बीच खड़ा था, उतर कर अबरडीन के पहाड़ी तक गये थे किन्तु आक्रमण की भीषणता के कारण उन्हें जहाज़ पर लौट आना पड़ा।

आक्रमण के समय ४४६ कैदी कैम्पों में खाना बना रहे थे। इस आक्रमण के फलस्वरूप ३ कैदी घटना स्थल पर ही मार डाले गए। आक्रमणकारी १२ कैदियों को जिन्हें बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं, बेड़ियों को काट कर अपने साथ ले गए। फिर उन कैदियों के बारे में खोज करने पर भी कोई पता न चला। इस आक्रमण की विशेषता यह थी कि आदिवासियों ने कैदियों के गिरोह के मुखियाओं को छोड़कर, जिन्हें वे उनके लाल साफे और बैज से पहचान लेते थे, दूसरे कैदियों को तब तक नहीं मारा

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

जब तक उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। आदिवासियों का अबरडीन थाने पर लगभग तीन घन्टे तक अधिकार रहा। वापस लौटते समय उन १२ कैदियों के अतिरिक्त अन्य कैदियों के कपड़े और काम करने के हथियार आदि भी वे लूट कर ले गए।

इस आक्रमण का कैदियों, विशेष कर मुखिया लोगों (कैदी पेटी औफिसर) पर बड़ा आतंक और बुरा प्रभाव पडा। उन्होंने तत्कालीन प्रशासन से अनुरोध किया कि इनके दोनों चिन्ह-लाल साफा और बैज हटा दिए जायँ, परन्तु इसे अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया।

इस आक्रमण के बाद आदिवासियों का फिर कभी कोई महत्वपूर्ण आक्रमण नहीं हुआ।

२६ जुलाई १८५६ को केप्टन जे० सी० हाटन ने डाक्टर वाकर से कार्यभार संभाल लिया। इनके कार्यकाल की अवधि को कैदियों का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रकृति से उदार होने के कारण उन्होंने डाक्टर वाकर की कठोर तथा रूखी शासन पद्धति को नया मोड़ दिया। इस नीति के फलस्वरूप यहाँ दण्ड पाए हुए व्यक्तियों को सुधारने वाला विश्व में सर्व प्रथम उपनिवेश स्थापित किया गया।

इनके कार्यकाल में किसी निश्चित योजना के बिना जंगलों की सफाई रोक दी गयी। यहाँ के आदिवासियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में काफी सहायता मिली। "डाक्टर ग्रेमैक" और "लेफटिनेन्ट हेलार्ड" नामक व्यक्तियों ने इस दिशा में काफी योगदान दिया! १० जून १८६० का दिन इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय कहा जा सकता है। इस दिन आदिवासियों का एक दल वाइपर द्वीप पर आया था और वहाँ पर उसका काफी सत्कार किया गया। इस सद्व्यवहार से संभवतः प्रभावित होकर १६ आदिवासियों का दूसरा दल दूसरे दिन पुनः यहीं आया। ये लोग अंगरेजों को देखकर डरते थे किन्तु भारतीयों से खुलकर मिलते थे। जनवरी सन् १८६१ में वायपर द्वीप पर एक दल के कुछ व्यक्तियों ने केले चुराए। कुछ दिनों के बाद तीन आदिवासी इस चोरी के अपराध में पकड़े गए। इन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उपनिवेश पर होने वाले हमलों में भाग लिया था। उस व्यक्ति को रस्सी से बाँधकर रखा गया था किन्तु १६ जनवरी सन् १८६१ की रात में वह दाँत से रस्सी काट कर भाग गया। इसी महीने में इस द्वीप से दो कैदी-एक स्त्री और एक पुरुष जंगल में भाग गए जिनका कुछ पता नहीं चला।

कैप्टेन हॉटन के ही कार्य काल में लैफटिनेन्ट हेलार्ड ने अण्डमानियों की भाषा

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

के शब्दों का संकलन किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल को भेज दिया गया। मार्च सन् १८६२ में इनका जहाज मिड्ल स्ट्रेट और हम्फ्री स्ट्रेट के सन्धिस्थल पर स्थित बन्दरगाह में, उनके उस ओर के द्वीपों के पर्यटन के दौरान रुका था। उन्होंने ही इस बन्दरगाह के नाम "पोर्ट चारलोट" रखा था। बन्दरगाह के मुहाने पर के एक द्वीप का नाम इन्होंने "केनिङ्ग" द्वीप और बाहरी मुहाने का नाम "व्वाटिंग" बन्दरगाह रखा। यहीं पर स्थित एक अन्य द्वीप का नाम "स्पाईक" द्वीप रखा गया। अबाबील पक्षी दूध को इकट्ठा करने का ठेका पहले-पहल एक चीन निवासी को दिया गया था। कैप्टेन हाटन मई सन् १८६२ में अवकाश लेकर अपने देश चले गए। उनके स्थान पर "लेफटिनेन्ट कर्नल आर० सी० टिटलर की नियुक्ति हुई।

लें० क० टिटलर भी कैप्टेन हाटन की भाँति उदार विचारों वाले व्यक्ति थे। इनके समय में भी आदिवासियों से बड़ा सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो चुका था किन्तु २८ जनवरी १८५३ की एक घटना के कारण आदिवासियों के हमले उपनिवेश पर पुनः होने प्रारम्भ हो गए। इस घटना में नौ सेना ब्रिग्रेड की एक टुकड़ी नाव द्वारा नार्थ प्वाईंट (North Point) पर अण्डमानियों से मिलने गई। इस टुकड़ी में "प्राट, जौन हेमिलटन, एच० डबल्यू ब्राउन तथा जौन वाटसन नामक अधिकारी थे। मिस्टर प्राट के एक आदिवासी युवती के प्रति किए गए अभद्र व्यवहार के कारण आदिवासियों ने वहीं पर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से उपनिवेश तथा उसके निवासियों पर अण्डमानियों के आक्रमण का पुनः सूत्रपात हुआ। इस छिटफुट आक्रमण के फलस्वरूप कर्नल टिटलर ने केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेकर मद्रास से एक सैपर्स की और एक इन्फेन्टरी की कम्पनी यहाँ मंगाली। श्री प्राट की हत्या के अपराध में फरवरी सन् १८६३ में दो आदिवासियों को जिनके नाम "जम्बो और स्नोबाल" थे, पकड़ा गया था। बाद में स्नोबाल को जाँच पड़ताल के बाद रिहा कर दिया गया किन्तु जम्बो को "रिबरेन्ड हेनरी कारवाइन्स" के संरक्षण में रख दिया गया। "श्री कारवाइन्स" यहाँ पर चर्च औफ इंगलेंड के पादरी थे। १२ दिसम्बर सन् १८६३ को जम्बो को भी रिहा कर दिया गया।

८ फरवरी सन् १८६३ को ही कर्नल टिटलर ने भारत सरकार से लिखकर यह सिफारिश की थी कि पोर्ट माउट में पाँच सौ कैदियों की एक बस्ती बसायी जाय और उसका संरक्षण "श्री हमफ्री" को सौंपा जाय। इसी वर्ष अर्थात् १८६३ में ही "अण्डमानीज होम" की स्थापना की गई और रेवरेन्ड कारवाइन्स इसके संचालक नियुक्त हुए। काम काज चलाने के लिए इस होम को सरकार ने १०० रुपए माहवार की धनराशि स्वीकृत की। इस होम में आदिवासियों को आकर ठहरने तथा उनके

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मुफ्त भोजन आदि की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ उन्हें अंगरेजी पढ़ाने तथा ईसाई धर्म में दीक्षित करने का प्रयास आरम्भ किया गया। यद्यपि श्री कारबाईन्स को अपनी व्यवहार कुशलता के कारण अन्डमानियों का विश्वास किसी हद तक मिल चुका था फिर भी उन्हें आदिवासियों को अंगरेजी पढ़ाने और इसाई बनाने में सफलता नहीं मिली।

१५ दिसम्बर १८६३ को कर्नल टिटलर स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण छुट्टी चले गए। उन्होंने अपना कार्य भार "कर्नल बर्नेट फोर्ड" को सोंपा था। इनको रिपोर्ट संख्या २२ दिनांक २५ जून १८६३ के अनुसार जो उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रेषित किया था, उस समय अण्डमानीज होम में कुल २८ आदिवासी रहते थे, जिनमें ११ प्रौढ़ व्यक्तियों के अलावा शेष सभी बच्चे थे। १४ अक्टूबर १८६३ को श्री कारबाइन्स एक आदिवासी पुरुष उसकी स्त्री "टोपसी' तथा तीन लड़कों और तीन लड़कियों को अपने साथ कलकत्ते ले गए थे। ये लोग कलकत्ता के टाउन हॉल में २६ नवम्बर १८६३ तक रहे और दिसम्बर सन् १८६३ को पोर्ट ब्लेयर पुनः वापस आ गए।

"कर्नल बर्नेट फोर्ड" का कार्यकाल जनवरी सन् १८६४ से आरम्भ होता है। इनके कार्यकाल में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि २ जून १८६४ को इन द्वीपों के प्रशासन को बर्मा के चीफ कमिश्नर के आधीन कर दिया गया। अण्डमानीज होम को सरकार मे मिलने वाली धनराशि को सौ रुपये से बढ़ा कर दो सौ रुपए प्रति मास कर दिया। कर्नल फोर्ड से मतभेद हो जाने के कारण रेवरेन्ड कारवाईन्स ने अण्डमानीज होम के संचालक पद से त्याग पत्र दे दिया। इनके स्थान पर २० जून सन् १८६४ को श्री हम्फरी को अण्डमानीज होम के अतिरिक्त दो और अन्य 'होम' क्रमशः "कारवाईन्स कोव" (Carbynse Cove) और "लेकेरा" बरुगा नामक स्थान में खोले गए। इसी वर्ष जून महीने में "माउन्ट हेरियट" की चोटी पर सफाई कर वहां तक सड़क बनाई गयी। और "चाथम" द्वीप पर पाँच अश्व शक्ति का एक लकड़ी चीरने का कारखाना स्थापित किया गया। इन द्वीपों में हाथी सर्वप्रथम बार इसी वर्ष लाए गए। मई १८६५ में यहाँ के एक अधिकारी "लेफ्टिनेन्ट सेन्ट जौन" सर्व-प्रथम रंगत बन्दरगाह और लौंग आईलेंड में गए थे। उस समय लौंग आईलेंड में कौल जाति रहती थी जो पोर्ट ब्लेयर के जंगलों में रहने वाली "इकाबेड़ा जाति" की विरोधी थी। वहाँ से ले० सेन्ट जौन अपने "डाईना" नामक जलयान से "साउथ बटन" गए। वहाँ उन्हें अबाबील के अनेकों घोंसले मिले। यह स्थान (साउथ बटन) बर्मा और मलाया के यात्रियों में "स्लीट राक" के नाम से प्रसिद्ध था।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

सन् १८६६ के अप्रेल महीने में सर्व-प्रथम बार एक आदिवासी स्त्री को इस "होम" में पुत्र प्रसव हुआ। मई महीने में "होम" को रास द्वीप से हटा कर पोर्ट माउट में स्थापित किया। "श्री हमफ्री" स्वयं वहाँ रहने लगे। थे। अगस्त में "टिटलर घाट" (वर्तमान लोहा बैरेक) में भी एक "होम" खोला गया।

सन् १८६७ के मार्च में रॉस द्वीप पर इन द्वीपों के इतिहास में प्रथम कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अण्डमानियों ने अपनी बहुत सी चीजें लाकर बेचीं। उनमें से कुछ को वृक्ष के छिलकों से बनाए गए रेशों के लिए पारितोषिक भी दिए गए। मई सन् १८६७ में कलकत्ता के फोर्ट विलियम के बैरेक मास्टर" कैप्टन पी० सी० एन्डरसन् द्वारा एक अण्डमानी बालक को गोद लेने की इच्छा प्रगट भारत सरकार की स्वीकृति से "किडी व्याय "(Kiddy Boy) और टोपसी (Topsy) नामक दो अण्डमानी लड़कों को नवम्बर सन् १८६७ में उनके पास भेजा गया। बाद में उन्हें सरकार के आदेशानुसार चर्च मिशनरी सोसायटी, बर्दमान (बंगाल) के अनाथालय में रखा गगा। वहीं ३१ जुलाई सन् १८६८ को फेंफड़े में सूजन होने के कारण "टॉप्सी" की मृत्यु हो गयी।

१६ मार्च सन् १८६८ को "कर्नल मान"(जो पहले केप्टन थे) इस उपनिवेश के सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए। "कर्नल फोर्ड" अवकाश लेकर इंगलेंड चले गए थे। इस समय यहाँ कैदियों की संख्या ६८६५ थी। ७२४ एकड़ भूमि पर जंगल साफ कर ३५३ एकड़ भूमि में कृषि आरम्भ कर दी गयी थी।

"कर्नल वान" यहाँ आने के पूर्व स्ट्रेट सेटलमेंट के कार्य वाहक राज्यपाल के पद पर कार्य कर रहे थे। इसके पहले वह सिंगापुर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। उन्होंने यहाँ के उपनिवेश के कार्य को व्यवस्थित करने में अपने उत्तम अनुभव का उपयोग किया और स्टेट सेटलमेंट में प्रचलित अनुशासन व्यवस्था को यहाँ भी लागू किया। इस सम्बन्ध में नये-नये नियम बनाये गये। ये नियम उस समय सुमात्रा में स्थित प्रथम भारतीय उपनिवेश के लिये "सर स्टेमफोर्ड राइफलस" द्वारा बनाये गये नियमों पर आधारित थे। इन्हीं के कार्य काल में "नेवी बे" में भी एक "होम" की स्थापना की गयी और १८६८ में निकोबार द्वीप में यहाँ के प्रशासन की एक शाखा खोली गयी।

१ जनवरी सन् १८६९ को इन द्वीपों का प्रशासन भारत सरकार के गृह-विभाग को पुनः सौंप दिया गया। इसी वर्ष यहाँ सर्वप्रथम बार भारतवर्ष से कुत्ते मंगाकर आदिवासियों को दिये गये। इसके पूर्व इन द्वीपों में कुत्ते नहीं थे। २४ फरवरी सन् १८६९ के भारत सरकार के आदेशानुसार "अण्डमानीज होम"

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

को दी जाने वाली धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा दी जाने लगी। ९ फरवरी सन् १८६९ को पोर्ट माउंट में आदिवासियों के लिये एक चिकित्सालय खोला गया। भारत सरकार के आदेशपत्र दिनांक १७ अप्रेल १८६९ के अनुसार "होम" को पोर्ट माउंट से हटा कर "अगस्टा पहाड़ी" पर ले जाया गया। चिकित्सालय भी वहीं चला गया।

उस समय की एक रिपोर्ट के अनुसार सन् १८६७-६८ में "होम" में ३३६७३ आदिवासियों की सेवा-सुश्रूषा की गयी और उन्हें भोजन दिया गया। इस कार्य में कुल २६०५२ रुपये ३ आने ४ पाई खर्च हुए थे। सन् १८७० में रॉस द्वीप पर आदिवासियों के लिये एक स्कूल और अनाथालय पुनः खोला गया। यहाँ के तत्कालीन प्रशासन की ओर से यह सिफारिश की गई थी कि इन दोनों संस्थाओं की व्यवस्था चर्च मिशन को सौंप दी जाय किन्तु भारत सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। फलस्वरूप श्री हमफ्री ही इनकी देखभाल करते रहे।

इस अवधि में आदिवासियों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। इसलिये आदिवासी अक्सर उपनिवेश में आकर शहद, कछुआ आदि बेचा करते थे। आदिवासियों ने जिसमें अधिकतर "शोल बे" और "मेकपर्सन" "जलडमरुमध्य" के जंगलों में रहने वाली जाति के लोग थे। यहां लगभग दो सौ रुपये के मूल्य शहद और कछुआ बेचा और बदले में लोहे के सामान तथा बर्तन इत्यादि ले गये।

"कर्नल मान" के समय में यहाँ कैदियों की कुल संख्या ८३७८ थी। लगभग तीन हजार एकड़ भूमि की सफाई करके ८७६ एकड़ भूमि में कृषि आरम्भ कर दी गयी थी। यह खेती गाँव में बसे कैदियों के द्वारा की जाती थी। बीज तथा खेती के अन्य उपकरण सरकार द्वारा दिये जाते थे। यहाँ उस समय मृतकों की संख्या १०·१६% से घट कर १·२% हो गयी थी। १६ मार्च सन् १८७१ को अवकाश लेकर कर्नल मान योरप चले गये। उनके स्थान पर कार्यवाहक सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में "मेजर एफ० एल० प्लेफेयर" की नियुक्ति हुई।

सन् १८७१ के अन्त में "जनरल स्टुअर्ट" यहाँ के स्थायी सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए। सन् १८७२ में इन्हें अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का प्रथम चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। नवम्बर सन् १८७१ से जून १८७२ तक के लिये श्री हमफ्री की नियुक्ति निकोबार द्वीप में कर दी गयी। यहाँ उनकी अनुपस्थिति में "होम" का कार्य भार पोर्ट ब्लेयर के तत्कालीन हावर मास्टर "कैप्टेन डारउड" को सौंपा गया। डारउड ने "होम" के अन्तर्गत एक अण्डमानी दूकान के नाम

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

से एक दुकान रॉस द्वीप पर खोली। इस दूकान में आदिवासी शहद आदि लाकर जमा करते थे। इन चीजों को यहाँ पर बेचा जाता था और बाद में आदिवासियों की इच्छानुसार उन्हें मिले हुए मूल्य के बराबर लोहे आदि के सामान दिये जाते थे। दिसम्बर १८७४ में "श्री ट्यूटन" द्वारा इस "होम" का कार्य भार संभालने पर यह दुकान बन्द कर दी गयी। जून १८७२ में मि० हमफ्री को निकोबार से आने पर, रॉस द्वीप पर स्थित अनाथालय का कार्य सौंपा गया। वे अन्त तक इसी पद पर बने रहे। उनकी मृत्यु रॉस द्वीप में २५ फरवरी सन् १८८३ को हुई।

"जनरल स्टुअर्ट" के समय में "लार्ड मेयो" भारत के वायसराय थे। उन्होंने कैदियों के जीवन को सुधारने और इस उपनिवेश को सुखी तथा सम्पन्न बनाने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई, किन्तु किसे मालूम था कि अण्डमान के इस कैदी उपनिवेश के निवासियों को सुखी बनाने में इतनी दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति को यहाँ की भूमि पर एक कैदी द्वारा मार डाला जायगा।

लार्ड मेयो पोर्ट ब्लेयर सन् १८७२ के फरवरी महीने में आये थे। ८ फरवरी की संध्या को स्थानीय अधिकारियों की इच्छा के विपरीत वे माउँट हेरियट पर गये जहाँ वे एक अस्पताल और कुछ अन्य कार्यालय स्थापित करना चाहते थे। वहाँ से वापस लौट कर जब वे "रोपटाउन" जेटी पर लगी अपनी नाव पर चढ़ रहे थे उसी समय पास की झाड़ी में छिपे एक पठान कैदी ने छुरे से उन पर घातक हमला किया। फलस्वरूप लार्ड मेयो की मृत्यु कुछ ही क्षणों के बाद हो गयी। इस घटना की जाँच से यह पता चला कि उस हत्यारे का नाम शेर खाँ था जो भारत के तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रान्त का निवासी था। यह हत्या उसने अपने प्रति किसी अँगरेज अफसर द्वारा किये गये अन्याय के कारण वर्षों से सुलगती हुई प्रतिहिंसा की ज्वाला से वशीभूत होकर की थी। इसमें कोई राजनैतिक चाल नहीं थी। कहा जाता है कि शेर खाँ काला पानी में आने से पूर्व एक सैनिक था। अपनी माँ की अस्वस्थता का समाचार पाकर वह छुट्टी लेकर घर आया था। गाँव में जमीन के बँटवारे के सम्बन्ध में हुई एक घटना में विपक्षी दल द्वारा उसे झूठी गवाही देकर फंसा दिया गया। न्यायालय में अँगरेज न्यायाधीश के समक्ष उसने अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने की जी तोड़ कोशिश की, परन्तु उसे अपराधी घोषित कर काला पानी की सजा दे दी गयी। उसी समय न्यायालय में अपनी माँ के समक्ष उसने यह शपथ ली थी कि इस अँगरेज न्यायाधीश के अन्याय का बदला वह अँगरेज जाति से अवश्य लेगा। यह भाग्य की विडम्बना ही थी कि लार्ड मेयो की मुखाकृति उसी न्यायाधीश की तरह थी जिसे देखते ही शेर खाँ के हृदय में सोची हुई प्रतिहिंसा की ज्वाला एकाएक भड़क उठी। उसी के वशीभूत होकर उसने लार्ड मेयो पर छुरे से

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

घातक प्रहार किया और उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्ति दे दी। मृत्यु दण्ड पाने पर भी शेर खाँ के मुँह पर संतोष तथा विजय का उल्लास अन्त तक छाया रहा।

इसी वर्ष "जस्टिस स्कार्लेट कैम्पवेल" यहाँ आये। उन्हीं के सुझाव पर इन द्वीपों को गृह विभाग के आधीन रखा गया। सन् १८७४ में "जनरल नौरमन" जो बाद में "फील्ड मार्शल सर हेनरी नार्मन" के नाम से प्रसिद्ध हुए यहाँ की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने के लिये आये थे। उन्हीं के सुझाव पर उपनिवेश में लागू नियमों को, जिन्हें "कर्नल मान" ने आदेश के रूप में संकलित कर रखा था, संवैधानिक रूप दिया गया। फलस्वरूप "अण्डमान रेगुलेशन" १८७४ (Andaman Regulation 1874) का जन्म हुआ। यहाँ के न्याय शासन को भी गृह विभाग के आधीन रखा गया। इस नियम के अनुसार अच्छे चाल-चलन वाले कैदियों को २०-२५ वर्ष की अवधि पूरी कर लेने पर मुक्त करने की व्यवस्था की गयी।

सन् १८७५ में "मेजर जनरल सी० ए० बारवेल" इन द्वीपों के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। इनके कार्यकाल में कोई विशेष घटना नहीं घटी। उपनिवेश धीरे-धीरे प्रगति एवं समृद्धि की ओर बढ़ता रहा। "अण्डमान रेगुलेशन" १८७४ को संशोधित करके उसे अण्डमान और निकोबार रेगुलेशन, संख्या ३, सन् १८७६ का रूप दिया गया और उसे इसी वर्ष से इन द्वीपों में लागू किया गया। उपनिवेश के सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा दिये गये आदेशों और लागू किये गये नियमों को क्रमबद्ध करके उन्हें ('अण्डमान तथा निकोबार हैन्ड बुक') नाम से पुस्तक रूप में छपवाया गया।

मिस्टर ट्यूट्न का जो "अन्दमानीज होम" के संचालक नियुक्त हुए थे, दिनांक १९ जून १८७५ ई० को निकोबार स्थानान्तरण हो गया। उनके स्थान पर "होम" का कार्य भार मिस्टर ई० एच० मान को, जो जनरल मान के पुत्र थे, सौंपा गया। मिस्टर हम्फ्री की भाँति इन्होंने भी आदिवासियों में दिलचस्पी लेनी आरम्भ की। उनकी भाषा, रहन-सहन एवं रीति-रिवाज का अध्ययन किया। ये आदिवासियों को खेती, लोहारी अथवा बढ़ईगीरी का काम करने को प्रोत्साहित करते रहे, किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इन्होंने अन्दमानियों की बोल-चाल की भाषा पर एक पुस्तक भी लिखी है। सन् १८७९ में इनका निकोबार स्थानान्तरण हो गया। फलस्वरूप १० जुलाई को "अन्दमानीज होम" का कार्यभार श्री एम० वी० पोर्टमैन को सौंपा गया।

सन् १८७५-७६ की जनरल बारबेल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सन् १८७६ के फरवरी माह में कुछ अन्दमानियों के शरीर पर घाव देखे गये। डाक्टरी जाँच से पता चला के ये लोग "गरमी" की बीमारी से पीड़ित थे। बीमारों

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

में ५ पुरुष ६ स्त्रियाँ और ४ बच्चे थे। इन आदिवासियों के अनुसार यह बीमारी उन्हें ४-५ वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर चिकित्सा आरम्भ की गई। वहाँ एक स्त्री और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। दूसरे लोग स्वस्थ हो गये।

मिस्टर मान ने इस बीमारी की रोकथाम के लिये बड़ा प्रयास किया। उन्होंने उन्हें "होम" में मिलने वाले राशन में से "रम" (शराब) को हटा कर चाय देना आरम्भ किया। किन्तु इस बीमारी का प्रकोप कम नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप बहुत से आदिवासी मर गये। सन् १८७६ के मार्च महीने में रास द्वीप पर चेचक की बीमारी आरम्भ हुई। अनेक प्रयत्नों के बावजूद वह आदिवासियों में भी फैल गई। इससे बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों की मृत्यु हुई।

सन् १८७५-७६ ई० में उपनिवेश से कैदियों के भागने की दो उल्लेखनीय घटनायें हुई।

पहली घटना ६ अगस्त १८७५ ई० की है। इस दिन पाँच पठान कैदी, जिन्हें कारवाइन्स-कोव के तटवर्ती जंगल में झाड़ी पत्ती काटने के लिए भेजा गया था, अपने साथ आये दो सिपाहियों की बन्दूकें छीन कर मैकपरसन जल-डमरूमध्य की ओर भाग गये थे। (झाड़ी पत्ती छप्पर छाने के काम आती है)। कुछ दिन बाद उन्हें मैकपरसन जल डमरू मध्य के बन में पकड़ा गया।

दूसरी घटना २५ जनवरी १८७६ की है। इस दिन २३ कैदी, जिसमें अधिकतर भील थे, अबराडीन के दाँव, डन्डे आदि चुरा कर भाग गये थे। २१ जनवरी को मंगलूटान के जंगल में इन पर आदिवासियों के एक दल ने जिसका नेतृत्व "मय्या-बियाला" नामक एक अन्दमानी कर रहा था, आक्रमण किया। फलस्वरूप दो कैदी मारे गये और कुछ घायल हुये। किन्तु भीलों का दल बच कर भाग निकला। बाद में पुलिस ने आदिवासियों की इस टोली की सहायता से इनका पीछा किया। इस भागी हुई टोली से मंगलूटान के जंगल में ही पुलिस की झड़प हुई। फलस्वरूप १३ कैदी पकड़ लिये गये। शेष १० में से या तो मार डाले गये या बाद में झड़प में शरीर पर लगे घाव के कारण बीमार होकर मर गये।

१२ दिसम्बर, सन् १८७६, को जनरल बारवेल अवकाश लेकर इंगलैन्ड चले गये। इनके स्थान पर मेजर टी० कैडेल, वी० सी० चीफ कमिश्नर नियुक्त हुये। मेजर कैडेल दस वर्ष तक इस पद पर रहे।

इनके कार्यकाल में कृषि करने योग्य भूमि में वृद्धि हुई। सड़कें बनाई गईं और जलाशय खोदे गये। नारियल के बगीचे भी बड़ी संख्या में लगाये गये

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

"अन्दमानीज होम" में रहने वाले बच्चों से, उनकी भाषा को हिन्दुस्तानी में अनुवाद करके, बातचीत करने और बातों को समझाने का प्रयास किया गया।

१० दिसम्बर १८८० को मिस्टर एच० गोडविन ने एम० वी० पोर्टमैन से "अन्दमानीज होम" (होम) का कार्यभार ग्रहण किगा। सन् १८८१ के जुलाई मास में श्री गोडविन निकोबार से लौट आये। उन्होंने "होम" का कार्यभार पुनः संभाल लिया। (अप्रैल सन् १८८१ में श्री गोडविन का स्थानान्तरण निकोबार हो गया। उनके स्थान पर मिस्टर ओ० एच० बुक्स की नियुक्ति हुई)।

मिस्टर गोडविन ने बड़ी कोशिश की कि अन्दमानी लोग सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से समुद्र से मछली पकड़ कर उपनिवेश के निवासियों के हाथ बेचा करें। उन्हें इस कार्य में कुछ सफलता मिली किन्तु आदिवासियों की स्वच्छन्द विचरण करने की प्रकृति के कारण यह कार्यक्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका।

फरवरी सन् १८८२ में कर्नल कैडेल छुट्टी चले गये। उनकी जगह पर मेजर एम० प्रोथेरौ की यहाँ कार्य वाहक के रूप में नियुक्ति हुई। सन् १८८३ में पोर्ट चारलेट बन्दरगाह का नाम और केनिंग द्वीप का नाम बदल कर क्रमशः क्वांगटांग बन्दरगाह और स्पाईक द्वीप रखा गया। साथ ही वर्टन पैसेज का भी नामकरण किया गया। इसी वर्ष यहाँ बन विभाग की स्थापना की गई। उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त "कैडल बे", "पोर्टमैन हार्बर", "मिडिल स्टेट", "हम्फ्री स्टेट" और कोल ब्रुक पैसेज का नामकरण करके उन्हें नक्शे में अंकित किया गया।

सन् १८६० में यहां "लायल लेथ कमीशन" (Lyall Leth Commission) आया था। उस कमीशन ने सुझाव दिया था कि कम अवधि की सजा पाये कैदियों को अलग रखा जाय और यहाँ लाये गये कैदियों को कम से कम तीन वर्ष तक एक बड़ी जेल में रखा जाय। वहाँ उनका आचरण ठीक पाने पर ही उन्हें टोलियों में काम करने के लिये बाहर भेजा जाय। इसी कमीशन के सुझाव पर पोर्टब्लेयर में "सेल्युलर जेल" का निर्माण आरम्भ हुआ और कैदियों की, यहाँ भेजने की संख्या घटा दी गयी। सन् १८८६ में "कर्नल बर्च" नामक एक स्थानीय अधिकारी "अण्डमान निकोबार हेन्ड बुक" को संशोधित करके "अण्डमान मेनुअल" के नाम से प्रकाशित कराया। "लेथ" कमीशन के एक मात्र सदस्य "सर अलफ्रेड लेथ ब्रिज" थे।

सन् १८८३ के अक्तूबर मास में निकोबार द्वीप के इनचार्ज "मिस्टर डी० रोप स्टार्फ" (D. ROEPSTORFF) की हत्या कर दी गयी, फलस्वरूप मिस्टर "ई० एच० मान" को पुनः वहाँ जाना पड़ा। इसी वर्ष "केप्टन ने हावडे" के

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

नेतृत्व में भारत सरकार के सर्वे विभाग का एक दल यहाँ की भूमि का सर्वेक्षण करने आया। यह दल १८८७ तक अपना कार्य करता रहा।

१८८४ के जनवरी में "श्री एम० वी० पोर्टमेन" अपने साथ ३७ अण्डमानियों को लेकर कलकत्ता गये। वहाँ प्रदर्शनी में उसमें उन्हें दिखाया गया। बाद में ये लोग "एस० एस० महारानी" नामक जलयान से पोर्टब्लेयर वापस आ गये।

अँगरेज अधिकारियों के अतिरिक्त यहाँ के हैडो अस्पताल में डाक्टर गुप्ता नाम के एक जूनियर मेडिकल आफिसर थे। ये आदिवासियों में अपने व्यवहार और कार्यकुशलता के लिये बहुत लोकप्रिय थे। सन् १८८५ में पोर्टमेन के साथ १३ अण्डमानी पेनांग गये थे। वहाँ पर इन आदिवासियों को देख कर नगर निवासियों ने यह कहते हुए घेर लिया था कि हनुमान आया है आओ देखें। मलाया में उस समय इन आदिवासियों को हनुमान के नाम से पुकारा जाता था। सन् १८८६ के सितम्बर मास में यहाँ मोती की सीपियाँ पालने का प्रयत्न किया गया। कुछ काले रंग के अच्छे मोती मिले भी परन्तु उस प्रयास में सफलता नहीं मिली।

सन् १८८५-८६ में चेचक, गर्मी, निमोनिया आदि बीमारियों के कारण आदिवासी काफी संख्या में मरे। सन् १८८८ में "कर्नल कैडल" अवकाश लेकर इंग्लैंड चले गये। उनके स्थान पर "कर्नल टकर" की कार्यवाहक चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हुई। कुछ दिन पश्चात ये "बैरन द्वीप" गये और वहाँ इन्होंने बकरियाँ छोड़ीं। वर्तमान समय में ये द्वीप बकरियों से भरा पड़ा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस द्वीप में मीठे पानी का सोता न रहने पर भी ये बकरियाँ सागर के जल पर निर्भर रह कर अपनी संख्या में वृद्धि करती रही हैं।

सन् १८९१ के नवम्बर मास की पहली तारीख को यहाँ एक बड़ा भीषण तूफान आया जिससे बहुत अधिक क्षति हुई। इसकी भीषणता १०° ५८° से १२° १४ उत्तरी अक्षांश के मध्य पूर्वी किनारे पर तथा १०° ० से १२° १८ अक्षांश के मध्य पश्चिमी किनारे पर अधिक थी। इस तूफान के कारण "इन्टर प्राईज" नामक जलयान साउथ प्वाइंट के नजदीक पत्थर पर चढ़ गया। सन् १८९२ के फरवरी में आदिवासियों का एक दूसरा दल जिसमें ७ अण्डमानी और ४ औंगी थे, श्री एम० वी० पोर्टमेन के साथ "शाहजहाँ" नामक जलयान से फिर कलकत्ता गया था। ये लोग कलकत्ता के स्पेन्सर होटल में टिके और बाद में इन्हें तत्कालीन "वायसराय मारक्वीस औफ लैन्स डाउन" के समक्ष पेश किया गया। वायसराय के समक्ष यहाँ के आदिवासियों को पेश करने का यह पहला अवसर था। लैन्स डाउन ने चाय-पानी के पश्चात् इन्हें उपहार भी दिये थे। इसी वर्ष "कर्नल हार्स फोर्ड" की नियुक्ति चीफ कमिश्नर के पद पर हुई। ये यहाँ केवल दो वर्ष रहे।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

सन् १८६३ के मार्च में अण्डमान के आदिवासियों के बारे में अन्वेषण करने के लिये "मिस्टर लापेक" नामक एक विशेषज्ञ पेरिस से यहाँ आये थे। वे निग्रो जाति का अध्ययन करने के लिये सारे विश्व का भ्रमण कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात वे फ्रांस लौट गये।

इसी वर्ष के नवम्बर में कैदियों और आदिवासियों का एक ११ आदमियों का दल अबाबील के घोंसले इकट्ठा करने के लिये नाव के द्वारा रंगूचांग भेजा गया था। इस नाव में अबाबील का दूध इकट्ठा करने वाला ठेकेदार भी था। अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण यह नाव तूफान में पड़ कर लहरों के सहारे मद्रास के तट कुडलोर नदी के मुहाने १३ नवम्बर को सुबह जा लगी। इस नाव को सही सलामत पहुँचाने में कैदी नम्बर ८२४७ बी. ने, जिसका नाम "बाबाजी" था, बड़े साहस का काम किया। ये लोग यदि चाहते तो भाग सकते थे किन्तु ये सब निकटवर्ती थाने में चले गये। वहाँ से इन्हें मद्रास भेज कर २४ नवम्बर को शाहजहाँ नामक जलयान से पोर्टब्लेयर वापस भेज दिया गया।

सन् १८६४ में "मेजर रिचर्ड टेम्पल" यहाँ चीफ कमिश्नर नियुक्त होकर आये। इनके कार्य काल में सेल्युलर जेल बनकर तैयार हो गयी और फिनिक्स बे के डाक यार्ड तथा कारखाने को भी बढ़ाया गया। अबरडीन और साउथ प्वाइंट के बीच की दलदल भूमि को पटाने का कार्य आरम्भ किया गया जो सन् १६१८ में पूर्ण हुआ।

इस समय यहाँ शिक्षित व्यक्तियों की संख्या २२३ व्यक्ति प्रतिमील थी। एक आँकड़े के अनुसार यहाँ एक वर्ग मील में ५७७ हिन्दू, २७० मुसलमान, ६४ बौद्ध, २८ इसाई तथा २७ सिख रहते थे। यहाँ एक मन्दिर, दो मस्जिदें और दो गिरजाघर थे। एक कैथोलिक चर्च और दूसरा चर्च ऑफ इंगलैंड था। दो स्कूलों में अंग्रेजी और एक स्कूल में वर्नाकुलर की पढ़ाई होती थी। पहला स्कूल स्कूल लाइन में बना था। बाद में गाराचरामा में स्कूल बन जाने पर स्कूल लाइन का स्कूल बन्द कर दिया गया। एक अंग्रेजी स्कूल जिलाधीश के वर्तमान कार्यालय भवन में था। उस समय सैनिक पुलिस के कुछ कर्मचारियों को ही शिक्षक के रूप में रख लिया गया था। मास्टर गुलाम अहमद, खुदा बक्स, हरदत्त सिंह और बुड़ाराम इसी श्रेणी के शिक्षक थे। चूँकि ये योग उर्दू जानते थे अतः स्कूलों में उर्दू ही चालू की गयी। पंजाब की शिक्षा पद्धति यहाँ लागू की गयी।

यहाँ के गाँवों में छुआछूत का भेदभाव नहीं था। आम तौर पर बोलचाल में लोग परस्पर सरल हिन्दी (हिन्दुस्तानी) का व्यवहार करते थे। किन्तु इसमें

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

स्थानीय अँगरेजों द्वारा बोले गये शब्दों की अधिकता होती थी और व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता था। "जरावा" जाति को छोड़ कर शेष अन्य जातियों से सम्पर्क स्थापित हो चुका था। सर रिचर्ड टेम्पल ने "जरावा" के विरुद्ध दो सैनिक दस्ते भेजे। पहला दस्ता सन् १६०२ में और दूसरा दस्ता १६१० में भेजा गया था। पहले दस्ते में मिस्टर पी० वौक्स, मिस्टर रोजर्स (तत्कालीन क्षेत्रीय बनाधिकारी) तथा मिस्ठर बोईंग असिसटेन्ट हार्वर मास्टर, भी थे। यह दल "जरावा" लोगों का पता लगाता और पीछा करता हुआ जंगल में बहुत दूर तक चला गया।

एक दिन इस दल ने सूचना पाकर रात्रि में एक "जरावा" बस्ती हम हमला किया। उस समय एक जरावा की झोंपड़ी से निकलते हुए मिस्टर पी. वाक्स को पास की ही एक झोंपड़ी में छिपे जरावा ने तीर से मार डाला। यद्यपि उस स्थान पर ये लोग किसी जरावा को न तो पकड़ सके और न किसी की लाश ही पा सके। किन्तु वहाँ पर गिरे खून से यह स्पष्ट हो गया कि जरावा बड़ी संख्या में घायल हुए। श्री वाक्स की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिये इस प्रकार के अभियान पर रोक लगा दी गयी। आठ वर्ष बाद पुनः १६१० में दूसरा सैनिक दस्ता इसी कार्य के लिये भेजा गया, परन्तु उसे भी सफलता नहीं मिली।

सन् १६१३ में मेजर टेम्पल के स्थान पर "कर्नल डगलस" चीफ कमिश्नर होकर आये। वे यहाँ सन् १६२० तक रहे। इनके कार्य काल में जेल कमेटी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर दण्ड पाये व्यक्तियों का उपनिवेश स्थापित करने का कार्य समाप्त कर दिया जाय। फलस्वरूप उत्तरी अण्डमान में नयी बस्ती बसाने का कार्य आरम्भ किया गया। यहाँ और उत्तरी अण्डमान में कई हजार एकड़ भूमि पर नारियल के पौधे लगाये गये।

सन् १६२० में "कर्नल विडन" चीफ कमिश्नर होकर आये। ये यहाँ सन् १६२३ तक रहे। इनके समय में भारत सरकार के आदेशानुसार यहाँ कैदियों को बसाने का कार्य प्रायः रोक दिया गया। केवल १४०० मोपला क्रान्ति के कैदियों तथा कुछ पंजाबी राजनैतिक कैदियों को ही विशेष रूप से यहाँ लाया गया। नागरिकों को नारियल के सरकारी बगीचे पहले पहल पट्टे पर दिये गये। इनके समय में कैदियों पर लगी कड़ी पाबन्दियाँ हटा दी गयीं और उनकी सजा की अवधि में अच्छे चाल चलन पर कमी करने का नियम चालू किया गया। जिसके फलस्वरूप कैदियों की संख्या ११५३२ से घट कर ८८२३ रह गयी।

सन् १६१६ में अवरडीन के स्कूल में मिडिल तक की पढ़ाई शुरू हुई और इसे

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

वर्मा के इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के अन्तर्गत कर दिया गया। सन् १९१८ में यह स्कूल मेट्रिक के स्तर का हो गया। वर्तमान डाक्टर रामानन्द इस वर्ष की मेट्रिक पास करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इस स्कूल के अतिरिक्त गाराचरामा, धनी खाडी, अन्नीकेट तथा बिम्बरलीगंज में प्राइमरी स्कूल खोले गये। अबरडीन स्कूल में लगभग २५० विद्यार्थियों की तथा अन्य स्कूलों में लगभग ५०-५० विद्यार्थियों की संख्या थी। सन् १९२० में जनता द्वारा बालिका विद्यालय खोलने की माँग की गयी। फलस्वरूप सन् १९२४ में साउथ प्वाइंट में लड़कियों का प्रथम स्कूल खोला गया। अबरडीन का स्कूल भी इसी स्कूल में सम्मिलित कर दिया गया। इसी वर्ष स्कूल कमेटी की बैठक में हिन्दी पढ़ाने की स्कूलों में मांग की गयी।

इस समय "कर्नल फरार" चीफ कमिश्नर थे जिन्होंने सन् १९२३ में ही अपना कार्य भार संभाल लिया था। ये यहाँ सन् १९३१ तक रहे। स्कूल कमेटी ने हिन्दी की मांग पर कर्नल फरार ने बजट में पैसा न रहने के कारण हिन्दी शिक्षक नियुक्त करने में असमर्थता प्रकट की। इस पर यहाँ की जनता ने हिन्दी शिक्षक के वेतन का भार वहन करने का निश्चय किया। फलस्वरूप इसी वर्ष प्रथम बार बालिका विद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई आरम्भ हुई। सन् १९२५ में स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रथम हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति की गयी। श्रीमती इन्दिरा देवी प्रथम हिन्दी अध्यापिका थीं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर श्रीमती जार्ज जो अभी भी बाबूलाईन में रह रही हैं, दूसरी अध्यापिका नियुक्त की गईं। सन् १९३० में हिन्दी की शिक्षा बन्द कर दी गयी।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त कर्नल फरार के कार्य काल में अण्डमान में काफी परिवर्तन हुए। यहाँ के नागरिकों को निजी व्यापार करने की छूट दे दी गयी। झगड़ालू और हिंसक प्रकृति के कैदियों को मुख्य भूमि (भारत) पर भेज दिया गया। यहाँ अब उन्हीं कैदियों को भेजा जाने लगा जो युवा थे और यहाँ आने के लिये राजी होते थे। १० वर्ष के अच्छे चाल-चलन की अवधि पूरी करने का जो अनिवार्य नियम था वह रद्द कर दिया गया। कैदियों को मजदूरी और पहनने को मुफ्त कपड़ा दिया जाने लगा। उन्हें अपनी स्त्रियों को मुख्य भूमि से बुलाने की छूट दे दी गयी।

इन सब बातों का यहाँ के निवासियों पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। उनमें नवोत्साह छा गया। भय और निराशा के स्थान पर आत्मविश्वास एवं आशा की भावना का धीरे-धीरे उनमें प्रसार होने लगा।

सन् १९२६ में कृषि भूमि सम्बन्धी नियमों को सर्व प्रथम बार क्रमबद्ध करके

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

"लैंड टेन्योर रेग्युलेशन १६२६" के नाम से संवैधानिक रूप दे दिया गया। इस रेग्युलेशन के अनुसार इन द्वीपों में भूमि स्वामित्व अधिकार सरकार के पास ही रहा। यहाँ पर आज भी प्रशासन घर बनाने, खेती करने तथा बगीचे आदि लगाने के लिये लाईसेंस देता है। कोई भी व्यक्ति चीफ कमिश्नर की अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी सम्पत्ति, जैसे मकान, भूमि, खेती आदि न तो विक्रय कर सकता है और न क्रय कर सकता है। यहाँ आने के लिये आज्ञा पत्र प्राप्त करने का नियम रद्द कर दिया गया। जैसाकि पहले बताया जा चुका है कि यहाँ की गाँव और नगर दोनों की जनता ने इन सुधारों का स्वागत किया। यहाँ पहले पहल लकड़ी के दो मंज़िले मकान बनने शुरू हुए। इसी अवधि में चाथम द्वीप को हैडो की भूमि से लकड़ी के पुल द्वारा मिला दिया गया और चाथम जेटी का निर्माण हुआ। जिस पर पोर्ट ब्लेयर आने वाले सभी जलयान आकर रुकते हैं। पोर्ट ब्लेयर का यह बन्दरगाह विश्व के अच्छे बन्दरगाहों में गिना जाता है और चाथम द्वीप पर स्थापित लकड़ी चीरने का कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है।

कर्नल फरार के छुट्टी चले जाने पर "श्री जे० एम० राईट, आई० सी० एस०" की नियुक्ति इनके स्थान पर की गयी। पैर में चोट लग जाने के कारण ये एक ही वर्ष तक यहाँ रह पाये। कर्नल फरार ने पुनः आकर यहाँ का कार्य भार सँभाला।

सन् १६३१ में श्री वर्सले आई० सी० एस० इन द्वीपों के चीफ कमिश्नर होकर आये। किन्तु कैन्सर हो जाने के कारण ये यहाँ आठ महीने तक ही रह पाये। "श्री जे० डब्ल्यू० स्माईथ, आई० सी० एस० ने श्री "वर्सले" से कार्य भार ग्रहण किया। ये यहाँ तीन वर्ष रहे। इनके पश्चात १६३५ में "डब्ल्यु० ए० कासग्रेव" यहाँ के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए, ये भी आई० सी० एस० थे। ये यहाँ सन् १६३८ तक रहे। "श्री सी० एफ० वाटर फॉल", आई० सी० एस० ने सन् १६३८ में इनसे कार्य भार ग्रहण किया।

२३ मार्च सन् १६४२ को जापानी सेनाओं ने इन द्वीपों पर अधिकार करने पर श्री वाटर फॉल को युद्ध बन्दी बना लिया था। कुछ दिनों तक उन्हें यहाँ रख कर सिंगापुर के बन्दी शिविर में भेज दिया गया। वहाँ से धुरी, राष्ट्रों की पराजय के पश्चात सन् १६४५ में ही इन्हें मुक्ति मिली।

पोर्ट ब्लेयर में कर्नल फरार से जापानियों ने कुछ दिनों तक मजदूरों का तथा पानी ढोने का काम करवाया। यह उनकी विशेषता थी कि वे सब काम बिना किसी विरोध के करते रहे।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

जापानी सेनाएं यहाँ २३ मार्च सन् १६४२ से २५ अक्टूबर सन् १६४५ तक विजेता के रूप में रहीं। इस ढाई वर्ष की अवधि में यहां के तत्कालीन जापानी प्रशासन के अधिकारियों ने वर्बर एवं नृशंसता पूर्ण कार्यों की कहानी उस समय के कतिपय बचे हुये व्यक्तियों के मुंह से सुन कर हृदय काँप उठता है। यहाँ का तत्कालीन जापानी प्रशासन दो भागों में विभाजित था :—

१—सैनिक प्रशासन

२—सिविल प्रशासन

इस प्रशासन का सर्व्वोच अधिकारी नौ सेना का प्रधान था। सन् १६४२ में ई-कू- ची, यहाँ के सिविल गवर्नर (बुचो) थे। लेफटिनेन्ट कमान्डर ई-रा-का-वा नौ सैना के प्रधान थे। मि-टुई-वाशी यहाँ की पुलिस के प्रधान (खेम खाचो) थे। दिसम्बर सन् १६४२ में एडमिरल इ-ची-कावा यहाँ के नौ सेना के प्रधान नियुक्त हुये।

जापानियों का सैनिक अनुशासन कठोर और प्रशंसनीय था। ये लोग यहाँ की स्त्रियों और बच्चों के प्रति वड़े उदार एवं सभ्य रहे। किन्तु चोरी, व्यभिचार तथा गुत्तचर कार्य करने वालों के प्रति ये बड़ी क्रूरता का व्यवहार करते थे।

जापानी सैनाओं का इन द्वीपों पर अधिकार होते ही ब्रिटिश सैनिक, वायुयान तथा पन्डुब्बियाँ सक्रिय हो उठीं और आये दिन यहाँ वायुयानों के हमले होने शुरू हो गये। इन हमलों तथा राशन की कमी के फलस्वरूप जापानियों में घबड़ाहट पैदा हो गयी और इस घबड़ाइट में उनकी इस विचार धारा को बल मिलता गया कि यहा अंगरेजों का गुप्तचर दल काम कर रहा है इस भावना के जड़ पकड़ते ही उनमें यहाँ के निवासियों के प्रति संदेह की भावना अंकुरित हो उठी और धीरे-धीरे यह विश्वास में बदल गयी। गुप्तचर संगठन को तोड़ने के प्रयास में जापानियों ने यहाँ पाँच मुकदमे चलाये। प्रत्येक मुकदमें में सौ से अधिक व्यक्ति होते थे। पकड़े गये व्यक्तियों में से कुछ को तो गोली मार दी गयी और कुछ जापानियों की अमानवीय यातनाओं को न सह सकने के कारण स्वयं मर गये। कुछ व्यक्ति जो अभी तक जीवित हैं उनके शरीर की चोटें और दाग आज उन यातनाओं की कहानी कह रहे हैं।

गुप्तचर कार्य करने के अपराध में पहला दल २२ जनवरी सन् १६४३ को पकड़ा गया था, इस दल में लगभग सौ व्यक्ति पकड़े गये थे। इनमें श्री वी० मुत्तु-स्वामी नायडू, नारायणराव, अत्तरसिंह, सूबेदार मेजर सुब्बा खाँ, गोपाल कृष्ण,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

डाक्टर एस० एन० नाग, जमादार छोटासिंह, अब्दुल खालीक तथा अब्दुल सत्तार के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें से मुत्तु स्वामी नायड्रू के मुंह में पानी का पाईप ढाल कर तथा नाक को बन्द करके सेल्यूलर जेल के प्रधान फाटक पर २६ जनवरी सन् १९४३ को मार डाला गया। अब्दुल सत्तार को बिजली का तार छुला कर मारा गया । अन्य व्यक्तियों को डिगनाबाद की पहाड़ी की ढलान पर ३० मार्च सन् १९४३ को साढ़े सात बजे गोली मार दी गयी। शेष व्यक्तियों को छोड़ दिया गया ।

दूसरा मुकदमा अक्टूबर सन् १९४३ में आरम्भ हुआ। इसमें लगभग ३०० व्यक्ति १९ अक्तूबर सन् १९४३ को पकड़े गये थे। पकड़े हुये व्यक्तियों में से--गोविन्दराव, मास्टर मोतीराम, रतन चन्द, डाक्टर शेरसिंह लद्धर, हरिराम, परसराम, गंगा राम, केशर दास, राजरतन दास, डाक्टर दीवान सिंह, रहलकार प्रेम शंकर पाण्डे, मास्टर राम नरायण, अब्दुल जलील, व्रजेन्द्रलाल साहा, गुरुमूर्ति, खान साहब नबाब अली और फजल हुसैन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से सर्वश्री रहलकार, इन्जीनियर, विमको, डाक्टर शेरसिंह लद्धर, सब असिसटेन्ट सर्जन, राजरतन दास, रतनचन्द, अब्दुल जलील तथा प्रेम शकर सहित पैंतालीस व्यक्तियों को धनी खाड़ी में लेकर जा कर गोली मार दी गयी। डाक्टर दीवानसिंह को, जो यहाँ इन्डियन-इनडिपेन्डेन्स-लीग की शाखा के अध्यक्ष थे, सेल्युलर जेल में बड़ी यातनाऐं दी गयीं। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, नाखूनों में गर्म सुइयाँ चुभाई गयीं। कुछ दिनों के पश्चात जब शरीर का घाव सड़ कर उसमें कीड़े पड़ गये तब उनकी मृत्यु हुई। डाक्टर दीवान सिंह के ऊपर तत्कालीन जापानी अधिकारियों का संदेह था कि वे गुप्त रूप से अंगरेजों को यहाँ की खबर भेजते हैं। अन्य व्यक्तियों की भाँति अपराध स्वीकार कराने के लिये उन्हें यह यातनाऐं दी गयी थीं। परन्तु स्वर्गीय डाक्टर ने मृत्यु को हँसते-हँसते सत्य के लिये वरण कर लिया, फजल हुसैन को सेलाईन की सुई नस में मार कर मार डाला गया। लगभग ३० व्यक्ति जेल में यातनाओं की कठोरता से मर गये। शेष व्यक्तियों को यातना देने के पश्चात छोड़ दिया गया। जिनमें से मास्टर राम नारायण, श्री गोविन्द राव, श्री बृजेन्द्रलाल, गुरुमूर्ति तथा केसर दास अभी भी जीवित हैं।

तीसरा मुकदमा इसी वर्ष कुछ दिनों के बाद चला । इसमें भी करीब डेढ़ सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से श्री बुरहानउद्दीन, बशीर और बनर्जी को फाँसी दे दी गयी ।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

२८ अथवा २६ दिसम्बर सन् १६४३ को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस "आजाद हिन्द सरकार" के प्रधान के रूप में पोर्ट ब्लेयर आये थे। उस समय डाक्टर दीवान सिंह का मुकदमा चल रहा था। नेताजी ने डाक्टर दीवानसिंह से मिलने का प्रयास किया था किन्तु उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ३१ दिसम्बर को वे वापस जापान चले गये। उन्होंने यहाँ आजाद हिन्द सरकार का तिरंगा झंडा वर्तमान नेता जी क्लब के मैदान में प्रथम बार फहराया था। उस समय जैसा कि वर्णन किया जा चुका है। डाक्टर दीवानसिंह इन्डियन इनन्डिपिनडेन्स लीग की अण्डमान शाखा के अध्यक्ष थे और श्री रतनम सचिव थे। डाक्टर साहब की मृत्यु के पश्चात श्री रामाकृष्ण जनवरी सन् १६४४ में इस संस्था के अध्यक्ष बने। ३० दिसम्बर को नेताजी क्लब में यहीं नागरिकों के साथ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जलपान किया। इन नागरिकों में मेरीन के श्री टानजिन, डाक्टर रामानन्द, श्री दुर्गा प्रसाद, मास्टर अब्दुल सुभान, हाजी सुभान अली, श्री रामाकृष्ण, श्री रतनम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

चौथा मुकदमा सन् १६४४ के पूर्वार्ध में शुरू हुआ। इसमें लगभग ३०० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। श्री दुर्गाप्रसाद जी इसके अगुवा थे। इन गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में दी गयी यातनाओं के फलस्वरूप ५० व्यक्तियों की मृत्यु जेल में हो गयी। अक्टूबर सन् १६४४ में लगभग ४०० व्यक्तियों को पुनः गिरफ्तार किया गया। फरवरी सन् १६४४ में "कर्नल लोकनाथन" आजाद हिन्द सरकार के प्रतिनिधि बन कर आ गये थे। इनके तथा श्री नेताजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप इन दोनों मुकदमों में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। ६ नवम्बर सन् १६४४ को चार जापानी न्यायाधीशों की एक टोली का जापान से यहाँ अचानक आगमन हुआ। उन्हीं की आज्ञा से लोगों को मृत्यु दण्ड से रिहा कर दिया गया। इनमें से कुछ लोग जैसे श्री दुर्गा प्रसाद, श्री निरंजन लाल, श्री प्यारे मोहन, श्री प्रेमलाल, श्री प्यारे लाल, श्री भारत, श्री गोविन्द रामाराव, तथा श्री धनीराम आदि को जेल में ही रखा गया, और धुरी राष्ट्रों की पराजय के पश्चात ही इन लोगों को छोड़ दिया गया।

जापानियों के समय में यहाँ राशन की बड़ी कमी थी। एक व्यक्ति को एक महीने में चार औंस दाल और दस औंस प्रतिदिन की दर से चावल मिलता था। मिर्च, प्याज, नमक, लहसुन, मसाले इत्यादि नहीं मिलते थे। डाक्टरी सुविधा नहीं के बराबर थी। भूख और पौष्टिक आहार की कमी के कारण लोगों में बेरी-बेरी नामक रोग फैल गया था। इससे तथा पेचिश की बीमारी से अनेक मृत्युयें हुईं।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

चोरी, व्यभिचार आदि अपराधों की सजा बड़ी कठोर दी जाती थी। अब्दुल सत्तार, मेवा और खान मोहम्मद को राशन की चोरी के अपराध में लड़कों के वर्तमान स्कूल (हायर सेकण्डरी) के छात्रावास के समीप सड़क पर बरगद के पेड़ में उलटा लटका कर और उन पर मिट्टी का तेल डाल कर जीवित जला दिया गया।

यहाँ जापानी भाषा की शिक्षा देने के लिये रॉस द्वीप तथा बम्बुफ्लाट में स्कूल खोले गये थे। इसमें छः महीने पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों को दुभाषिये का काम दे दिया जाता था।

जापानी लोग यहाँ इन्डोनेशिया, सिंगापुर और फारमोसा से वेश्यायें ले आये थे। जिन्हें असिस्टेन्ट सुपरिनटेनडेन्ट औफ पुलिस, सी० आई० डी०, तथा डेवलपमेंट कमिश्नर के वर्तमान बंगलों में रखी गयीं थीं। इनकी प्रति सप्ताह डाक्टरी जांच की जाती थी। जापानी अधिकारियों के अतिरिक्त उनके पास कोई नहीं जा सकता था।

हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के पश्चात् ही जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इन द्वीपों पर भी अक्टूबर के महीने में ब्रिटिश सेनाओं ने पुनः अधिकार कर लिया। ८ अक्टूबर सन् १९४५ को "श्री एन० के० पैटरसन, आई० सी० एस०" जो यहाँ पहले न्यायाधीश थे, चीफ कमिश्नर नियुक्त होकर आये। श्री एन० के० पैटरसन चीफ कमिश्नरों की शृंखला में कमिश्नर थे। ये यहाँ ७ फरवरी १९४७ तक रहे। इनके कार्य काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।

श्री पैटरसन के जाने के पश्चात श्री आई० मजीद, आई० सी० एस० यहाँ के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। इस पद पर आने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ये यहाँ सन् १९४९ तक थे। इनके पश्चात सन् १९४९ में श्री मलय कुमार घोष, आई० सी० एस० एफ चीफ कमिश्नर होकर आये। ये यहाँ मई सन् १९५२ तक रहे। इन्हीं के कार्यकाल में पूर्व बंगाल के विस्थापितों के परिवारों को यहाँ लाकर बसाने का कार्य आरम्भ किया गया। मई सन् १९५२ से अक्टूबर तक ये अवकाश लेकर विदेश यात्रा पर चले गये थे। इस अवधि में (मई से अक्तूबर १९५२ तक) श्री राजाराम, आई० ए० एस० अस्थायी चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। ये उस समय अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के जिलाधीश थे। अक्टूबर सन् १९५२ में श्री घोष ने पुनः चीफ कमिश्नर के पद का कार्य भार संभाल लिया। श्रीमती मल्लिका घोष के प्रयास के फलस्वरूप पोर्ट ब्लेयर में सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री घोष सन् १९५३ में वापस भारत चले गये और उनके स्थान पर श्री शंकर नाथ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मैत्रा, आई० सी० एस०, चीफ कमिश्नर नियुक्त होकर आये। ये यहाँ सन् १९५६ के मार्च तक रहे। इनके समय में पुनर्वास कार्य में काफी प्रगति हुई। प्रथम पंच वर्षीय योजना बना कर इन द्वीपों में कार्यान्वित की गयी। ये बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। यदि यह कहा जाय कि ये इन द्वीपों में वर्तमान काल में चल रही अनेक योजनाओं की पृष्ठ भूमि के निर्माता थे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मार्च सन् १९५६ से दिसम्बर सन् १९५६ तक श्री सी० रामाचन्द्रन, आई० ए० एस० अस्थायी चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। ये यहाँ के जिलाधीश थे। दिसम्बर सन् १९५६ में श्री टी० जी० एन० अय्यर, आई० सी० एस० यहाँ के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। ये यहाँ अगस्त सन् १९५८ तक रहे। यहाँ आने से पूर्व ये बिहार प्रान्त के छोटा नागपुर कमिश्नरी के जुडिशियल कमिश्नर थे। वहाँ से वे कुर्ग के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए थे। कुर्ग से ही ये यहाँ आये थे। इन्होंने अपने कार्य काल में यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परीक्षण किये किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पायी। अण्डमान के इतिहास में सर्वप्रथम यहाँ के आरक्षी विभाग में भूख हड़ताल हुई।

अगस्त सन् १९५८ में श्री एम० वी० राजवाडे, आई० सी० एस० यहाँ के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। ये यहाँ १९ जनवरी सन् १९६१ तक रहे। कलकत्ते से पोर्टब्लेयर प्रति सप्ताह नियमित विमान सेवा चालू करने का श्रेय इन्हीं को है। श्री राजवाड़े हिन्दी के समर्थक थे। इन्हीं के कार्यकाल में यहाँ के न्यायालयों में हिन्दी को काम काज की भाषा घोषित किया गया। पचायतों में भी हिन्दी का जानना अनिवार्य किया गया। सन् १९४७ के पश्चात कलकत्ता से पोर्टब्लेयर की प्रथम विमान सेवा कलकत्ते की एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा चालू की गयी। इस कम्पनी का (वायुयान) सी प्लेन (Sea Plane) मैरीन के सामने सागर में उतरता था। कुछ दिनों के बाद यह सेवा बन्द कर दी गयी। २३ जनवरी सन् १९६१ को श्री भालानाथ माहेश्वरी, आई० ए० एस० ने यहाँ के चीफ कमिश्नर पद का कार्य भार ग्रहण किया। ये यहाँ जून सन् १९६५ तक रहे। इनके कार्यकाल में वर्तमान राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, मार्च सन् १९६४ में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय गृह मन्त्री थे, सन् १९६५ में यहाँ आये थे। सन् १९६१ में यहाँ का नगर पालिका का पहला चुनाव हुआ। सन् १९६३ के १० अप्रेल को यहाँ के इतिहास में प्रथम बार मजदूर आन्दोलन कार्यों के सहसा हिंसात्मक रूप धारण कर लेने पर पुलिस द्वारा आत्म रक्षा में गोली चलाई गयी थी।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इनके ही कार्य-काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस प्रशासन को दो बार 'राष्ट्र कलश' मिला। इनके जाने के पश्चात श्री बृज लाल चक, आई० सी० एस० चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। इस पद का कार्य भार गहरण करने के पूर्व श्री चक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में सचिव थे। वे यहां सन् १९६५ के जून में आये थे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से यहाँ केवल एक वर्ष ही रह सके। मई सन् १९६६ के पूर्वार्ध में उनका यहाँ स्थानान्तर हो गया। ये स्वभाव के विनम्र और मितभाषी व्यक्ति थे। २७ मई सन् १९६६ को श्री महावीर सिंह, आई० ए० एस० यहाँ चीफ कमिश्नर होकर आये। श्री महावीर सिंह यहाँ सन् १९६० में जिलाधीश थे। इनके यहाँ आगमन के पश्चात ही यहां की शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होना आरम्भ हो गया। इस दिशा में काफी प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सिंह एक कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय, कर्त्तव्य परायण, दयालु व्यक्ति हैं।

कैदी नम्बर २७६—दूधनाथ तिवारी:—

इतिहास में घटनाओं का विवरण, मात्र हड्डियों जैसा ही होता है, किन्तु रोचक प्रसंग एवं चरित्र उन्हें माँसल बना देते हैं। अण्डमान के इतिहास में दूधनाथ तिवारी एक ऐसा ही कैदी था जिसके चरित्र से यहाँ का इतिहास रोचक बन गया है। दूधनाथ यहाँ हिज-मजेस्टी-शिप "रोमन इम्परर" द्वारा ६ अप्रेल १८५८ को लाया गया था। इसे सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण पंजाब के झेलम जिले के न्यायालय से आजीवन कारावास का दण्ड मिला था। यह १४ वीं भारतीय रेजिमेन्ट का सैनिक था।

२३ अप्रेल सन् १८५८ को, यहाँ के वातावरण तथा कठोर कैदी जीवन से ऊब कर स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा से नब्बे अन्य कैदियों के साथ रॉस द्वीप से भाग निकला। इसके दल का पथ-प्रदर्शन आगा नामक एक पठान कैदी जिसे भूगोल का कुछ अल्प ज्ञान था कर रहा था। ये लोग बर्मा जाना चाहते थे। इनका विचार था कि जंगलों से होकर ये लोग उत्तरी अण्डमान के पूर्वी तट से बर्मा पहुंच जायेंगे, जिसका तट इनके विचार से कुछ अधिक दूर नहीं था। रास्ता भूल जाने के कारण ये लोग जंगलों में भटकते रहे। एक दिन इन्हें, भागे कैदियों का एक और दल मिला। इस प्रकार इनकी कुल संख्या १३० हो गयी। धीरे-धीरे इनके पास भोजन समाप्त हो गया। पीने के पानी की भी बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। कुछ दिनों तो ये लोग मार्ग में पड़ने वाले छोटे नालों तथा बेंत की छाल से निकले मीठे पानी से अपनी भूख-प्यास मिटाते रहे। किन्तु जैसे-जैसे ये जंगल में बढ़ते गये वैसे-वैसे इनकी

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

कठिनाइयाँ बढ़ती गयीं। अन्त में एक दिन ऐसा भी आया, जब उन्हें अपने बारह साथियों को, जो भूख प्यास की पीड़ा से पीड़ित होकर थकान के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ थे, मार्ग में ही मृतक अवस्था में छोड़ कर आगे बढ़ जाना पड़ा। यह दल १४ दिन तक जंगल में आगे बढ़ता रहा। १४ वें दिन लगभग १०० आदिवासियों के एक दल ने तीर कमान से सुसज्जित होकर इन पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में दूधनाथ तिवारी, शिवलाल और एक अन्य कैदी जो कुर्मी जाति का था, के अतिरिक्त सभी व्यक्ति मार डाले गये। दूधनाथ तिवारी को भी तीन तीर लगे थे। अपने को बचाते और भागते हुए ये तीनों एक खारे पानी के नाले के समीप पहुँचे। वहाँ जब ये उसे तैर कर पार करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय ६० आदिवासियों के एक दूसरे दल ने जो बेड़े पर उस नाले में जा रहा था और जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, इन पर आक्रमण किया। उनके तीरों से तिवारी के दोनों साथियों की मृत्यु हो गयी और वह घायल होकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने मरने का बहाना किया। परन्तु जब आदिवासियों से उसे पकड़ कर जमीन पर घसीटना शुरू किया तो पीड़ा से व्याकुल होकर उसने आँखें खोल दीं और हाथ जोड़ कर प्राणों की भिक्षा माँगी। उसकी इस प्रार्थना का आदिवासियों पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उसके पैरों को तीर से पुनः घायल कर दिया गया।

जीवन और मृत्यु के झूले में झूलते हुए तिवारी के समक्ष आदिवासियों से, संकेतों द्वारा क्षमा याचना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। इतनी चोटें खाने के बावजूद भी वह निराश नहीं हुआ। अचानक एक अनहोनी बात हुई। आदिवासियों के दल के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने तिवारी को पकड़ कर उठा लिया और उसके शरीर पर के सारे वस्त्रों को फाड़ कर फेंक दिया, और उसके नंगे शरीर पर लाल मिट्टी का लेप कर दिया गया। तत्पश्चात उसी बेड़े के जरिये उसे तारमोंगली नामक द्वीप पर ले जाया गया। यह द्वीप पोर्ट मोट बन्दरगाह के सामने है। इस द्वीप में पहुंच कर तिवारी धीरे-धीरे उनके दल में घुल-मिल गया और अन्य सदस्यों की तरह सर मुड़ा कर तथा नंगा रह कर इन लोगों के साथ खानाबदोश का जीवन व्यतीत करने लगा। लगातार चार महीने के पश्चात् वह इन आदिवासियों का विश्वासपात्र बन सका। कुछ दिनों के पश्चात उस दल के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने 'लीपा' नामक अपनी २० वर्षीय पुत्री के साथ विवाह कर दिया। इसी समय 'हीरा' नामक एक दूसरे आदिवासी की 'जीगा' नामक एक दूसरी लड़की भी ब्याह दी गयी।

तिवारी के कथनानुसार इस दल के लोग 'इकाबेड़ा' जाति की 'तरमुगडा' शाखा के थे और उस समय इनकी संख्या पन्द्रह सौ थी। मई सन् १८५८ में

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

आदिवासियों ने अबरडीन पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई थी। १४ मई सन् १८५९ को उन्होंने अपनी इस पूर्व निश्चित योजना के अनुसार आक्रमण किया जो इन द्वीपों के इतिहास में 'अबरडीन का युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है।

अबरडीन की सीमा के समीप आकर जब लगभग १५०० आदिवासियों का दल जंगल में छिपकर आक्रमण करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, दूधनाथ तिवारी १२ मई को चुपचाप उनसे अलग होकर बस्ती में चला आया। यहाँ आकर उसने यहाँ के तत्कालीन 'सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वाकर' को आदिवासियों के द्वारा होने वाले आक्रमण की सूचना दी। इसी सूचना का परिणाम था कि आदिवासी यहाँ अधिक नुकसान नहीं पहुँचा सके।

इस कार्य के फलस्वरूप दूधनाथ तिवारी को माफी दे दी गयी उसे स्वदेश (भारत) लौट जाने की आज्ञा दे दी गयी।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

"विकास खण्ड"

(प्रथम भाग)

बन-सम्पदा—अन्दमान द्वीप समूह का क्षेत्रफल लगभग ६,६८२ वर्ग किलोमीटर है। सन् १९६३ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग ६,४७५ वर्ग किलोमीटर भूमि पर जंगल हैं। इन जंगलों में कई प्रकार की उपयोगी एवं मूल्यवान लकड़ियों का भण्डार छिपा है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये द्वीप लकड़ी के अक्षय भंडार हैं। इन जंगलों को मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :—

१—मेन ग्रोव फारेस्ट (Man Grove Forest)

२—तटवर्ती जंगल (Beach Forest)

३—नीची भूमि पर स्थित सदा बहार जंगल (Low Level ever green Forest)

४—(Deciduous add Semi deciduous Forest)

१. **मेन ग्रोव फारेस्ट**—ये बन उन नालों अथवा नदी के मुहाने पर स्थित हैं जहाँ सामुद्रिक ज्वार के चढ़ने-उतरने के फलस्वरूप दोनों किनारों पर खारा पानी फैल जाता था। इस वर्ग के जंगल में तीन प्रकार की लकड़ियाँ प्रमुख रूप से पायी जाती हैं। इनके नाम हैं :—

१—Bmoguiera Gymnohize.

२—Rhizophers Conjugata.

३—Murronata

१—Bmguiera Gymnohize—ये वृक्ष घने, ७० से ८० फीट ऊँचे और प्रायः ५ फीट मोटे होते हैं। इन जंगलों से इस वृक्ष की लगभग ७०-८० हजार बल्लियाँ प्रति वर्ष निकाली जा सकती हैं। इन बल्लियों का उपयोग समाज के कई कामों में किया जा सकता है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

२–३—Rhizophers Conjugata and Murronata—ये दोनों प्रकार के वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं । इनकी लकड़ियों का उपयोग जलाने के लिए होता है । वर्ष में लगभग १६० टन लड़की इन पेड़ों से प्राप्त हो सकती है । इन द्वीपों का लगभग १०० वर्ग मील का भाग इन लकड़ियों के जंगल से ढका हुआ है। यदि इन लकड़ियों को योजना के अनुसार निकाल कर पोर्ट ब्लेयर लाया जाय तो यहाँ जलाने की समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है ।

अन्य तीन श्रेणियों के बनों में आपस में कोई अन्तर नहीं है, केवल इसके कि वे एक विशेष स्थान पर पाये जाते हैं । प्रत्येक श्रेणी के जंगल में प्राय: एक ही प्रकार के वृक्ष पाये जाते हैं । इन वृक्षों में लगभग बीस प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं । इनमें से निम्नलिखित चार प्रकार की लकड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध और मूल्यवान हैं :—

१—पडाक (Pterocarpus Dalbeerginidos)
२—गर्जन (Dipterocarpusrpp)
३—सफेद धूप (Canarium Enphyllum)
४—पपीता (Stereulia Campanulata)

उपरोक्त लकड़ियों के अतिरिक्त निम्न बारह प्रकार की लकड़ियाँ भी पायी जाती है। ये भी बड़ी उपयोगी होती हैं ।

१—कोको (Albizzia lebbak)
२—सफेद चुगलुम (Terminalia biolata)
३—काला चुगलुम (Terminalia marine)
४—पेद्दमा (Lagerstrocmia hypolence)
५—बादाम (Terminalia procera)
६—दीदू (Bombax Insigne)
७—टाम्पिग (Artecarpus chaplasha)
८—लाकूच (Artecarpus gomezina)
९—थिंगम (Hopeaoderate)
१०—एरेगी (Andenanthera Pavonina)
११—लाल बम्बुर्न (Planchonia andamania)
१२—लाल धूप (Parishia insignis)
१३—मारबल उड़ (Diospyeos marmorata)
१४—सी महुआ (Manusops litteralis)

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

१५—पहाड़ी महुआ (Bassia butyracca)
१६—लम्बा पत्ती (Sideroxylon longipetiolat)
१७—लाल चीनी (Ammora wallicahii)
१८—लाल चीनी (Calophylmn sectabib)
१९—गंगाव (Mesnaferrea)
२०—एनेमा बीन (Chuarasia tabularis)

उपरोक्त लकड़ियों में से पडाक, सफेद चुगलुम, मारबल उड़, एनेमा बीन सुन्दर और कलापूर्ण वस्तुएँ बनाने के काम में उपयोगी सिद्ध हुई हैं । ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत और चिकनी होती हैं ।

इन जंगलों से प्रतिवर्ष लगभग ७ हजार टन पडाक, २८ हजार टन गर्जन, २१ हजार टन सफेद धूप, २८ हजार टन पपीता, ५ सौ टन कोको, ७ हजार टन सफेद चुगलुम, १५ सौ टन पीमा, २५ सौ टन काला चुगलुम, ११ हजार टन बादाम, ७ हजार टन दीदू, १४ हजार टन अन्य किस्म की लकड़ियाँ तथा ३० हजार टन मेन ग्रोव की लकड़ी निकाली जा सकती है ।

सन् १८७० तक बर्मा से 'टीक' की लकड़ी यहाँ फरनीचर के लिये मँगाई जाती थी, किन्तु बाद में इसका स्थान 'पडाक' की लकड़ी ने ले लिया । पडाक 'टीक' से भारी होती है और रंग लाल होता है । फरनीचर के लिए इस लकड़ी की आजकल बहुत माँग है ।

"पडाक" की भाँति "धूप" और "पपीता" लकड़ियों की सन् १९२१ तक कोई माँग नहीं थी । पानी में न डूबने की विशेषता के कारण इनकी बल्लियों को बेड़ा बनाने के काम में लाया जाता था, किन्तु सन् १९२१ ई० दियासलाई और चीड़ उद्योग की वृद्धि के साथ इन इन लकड़ियों की भी माँग बढ़ने लगी वर्तमान समय में इन लकड़ियों की बहुत माँग है । पडाक, धूप, पपीता के अतिरिक्त गर्जन दूसरी लकड़ी है जिसकी मुख्य भूमि पर और विदेशों में बड़ी माँग है । यह रेलगाड़ी की स्लीपरें तथा बन्दूक के कुन्दे बनाने में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है ।

पहले इन वनों की देखभाल के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था । सन् १८८३ ई० में बन-विभाग की स्थापना यहाँ की गई । इस विभाग का कार्यभार मुख्य भूमि से लाये गये बन विभाग के एक अनुभवी अँग्रेज अधिकारी को सौंपा गया । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लकड़ी चीरने का एक छोटा सा कारखाना बना रखा था । सन् १९१५ ई० में चाथम द्वीप

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

पर प्रतिदिन ७५० टन लकड़ी चीरने की क्षमता रखने वाला एक कारखान बन-विभाग द्वारा स्थापित किया गया।

इसी वर्ष उत्तरी-अन्डमान क्षेत्र (नार्थ अन्दमानी डिवीजन) के नाम से बन विभाग की एक शाखा खोली गई, जिसका मुख्य कार्यालय माया-बन्दर में बनाया गया। वहीं पर सन् १९२५ में एक अमरीकी हैन्डमिल भी स्थापित की गई। सन् १९२७ ई० में एक दूसरा लकड़ी चीरने का कारखाना चाथम पर स्थापित किया गया।

विश्व की तत्कालीन व्यवसायिक परिस्थिति तथा मिल को सुचारू रूप से चला न सकने के कारण माया बन्दर की मिल सन् १९३१ ई० में बन्द कर दी गयी। सन् १९४१ में इसको मैसर्स स्टील ब्रदर्स नामक बर्मा की एक प्रसिद्ध फर्म के हाथ बेंच दिया गया।

यद्यपि वन-विभाग धीरे-धीरे अपने कार्य का प्रसार करता रहा है, फिर भी विभिन्न द्वीपों पर स्थित बनों की भौगोलिक स्थिति और यातायात आदि सम्बन्धी समस्याओं के कारण इसे सफलता नहीं मिल पाई है। सन् १९३८ ई० में यहाँ पहले पहल रंगत के बन में ट्राली लाइन बिछाई गई, ताकि ट्राली के जरिये कटे हुये लकड़ी के बड़े लट्ठों को समुद्र तट तक शीघ्रता पूर्वक कम खर्चे में लाया जा सके। किन्तु इस प्रयोग में भी आशातीत सफलता नहीं मिल पाई।

केवल ७४·९% ही बन ऐसे हैं जहाँ से व्यवसाय के लिए उपयोगी लकड़ियों को निकाला जा सकता है। इन वनों से निकाली गई लकड़ी, बाँस तथा बेंत और अन्य चीजों का सन् १९५८ से लेकर १९६३-६४ ई० तक का आँकड़ा निम्न-लिखित है :—

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

नाम वस्तु	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
२. मकान बनाने की लकड़ी	३९९८९७२ सी० एफ० टी०	३८०४५३४ सी० एफ० टी०	४०२१७८२ सी० एफ० टी०	४०२७०७७ सी० एफ० टी०	३२८७४२६ सी० एफ० टी०	
२. जलाने की लकड़ी	९८९६३८९ टन	४८८७०४ टन	१०१०९०१ टन	९९१३ कार्ट टन	७७२५ कार्ट टन या १६८७ टन	
मूल्य (लाख रुपये में	६७.५३	६३.२५	५८.७४	९५.८३	६६.९८	
३. बाँस और बेंत (लाख रुपये में)	०.३६	०.४१	०.१७	०.९५	०.१८	
४. अन्य चीजें-लाख रुपये में)	१.१७	४.०१	०.५८	१.०४	०.६३	
३ और ४ का योग	१.५३	४.४२	०.७५	१.९९	०.८१	

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

चाथम द्वीप पर स्थित लकड़ी चीरने का कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। अन्मान द्वीप समूह के डिवीजनों, अर्थात् (i) उत्तर अन्दमान डिवीजन (ii) मध्य अन्दमान डिवीजन (iii) दक्षिण अन्दमान डिवीजन, के जंगल डिपो से लकड़ियों के लट्ठे यहाँ लाये जाते हैं। यहाँ आवश्यकतानुसार विभिन्न नाप के तख्तों तथा खम्भों में उन्हें काटा जाता है। तद्पश्चात उन्हें या तो मुख्य-भूमि पर भेजा जाता है या स्थानीय निवासियों को बेच दिया जाता है। इस कारखाने में लकड़ी की आमद उत्पादन और बरबादी की प्रतिशत का आँकड़ा निम्नलिखित है :—

वर्ष	आमद (टन में)	उत्पादन (टन में)	बरबाद हुई%
१९५६–५७ =	२५६१५	१३५४५	४७·१%
१९५७–५८ =	२२२०७	१२३५०	४५·५%
१९५८–५९ =	२०७६३	११३०३	४५·६%
१९६९–६० =	२१०३२	११२९३	४१·५%
१९६०–६१ =	१७६२६	९६४४	४५·३%
१९६१–६२ =	२०५१७	१०९८२	५६·५%
१९६२–६३ =	२०२५६	१०८४६	४६·०%
१९६३–६४ =	२०७९९	११४३१	४५·०%

यहाँ से निर्यात की गई लकड़ी का आँकड़ा निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्यात टन में: लट्ठे	निर्यात टन में: कटी लकड़ी	योग
१९५६–५७ =	२०६३३	१२७५२	३३३८५
१९५७–५८ =	१९३३४	९३८८	२८७२२
१९५८–५९ =	१७८२९	११८०३	२९६३२
१९५९–६० =	१८४९५	२३९७	२८२२६
१९६०–६१ =	२६००६	७४७१	३३४७७
१९६१–६२ =	१६८४७	६५०२	२३३४९
१९६२–६३ =	१९१९५	५७९३	२४९८८
१९६३–६४ =	१५९२७	८०२९	२३९५६

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

१९६४-६५ =	२१६४१	८५२८	३०१६९
१९६५-६६ =	१३७९२	७०५१	२०८८३
१९६६-६७ =			

नोट:—१ टन=५० क्यूबिक फिट

लकड़ी का निर्यात मुख्यतः मुख्य-भूमि को ही किया आता है। सन् १९५६-५७ में विदेशों को १०० टन लट्ठे और ४३६१ टन कटी हुई लकड़ी का निर्यात किया गया। सन् १५५८-५९ में केवल ८१३ टन कटी लकड़ी विदेशों को भेजी गई थी। सन् १९५९ के बाद से विदेशों को लकड़ी का निर्यात प्रायः बन्द हो चुका है। यहाँ के जंगलों में लकड़ी के अतिरिक्त तेजपात और दालचीनी के पेड़ भी पाये जाते हैं। अभी हाल ही में लगभग डेढ़ हजार एकड़ भूमि पर 'टीक' के पौधे लगाये गये हैं।

इन बनों में कोई हिंसक जन्तु नहीं पाये जाते। केवल जंगली सुअर, बन-बिलाव तथा हिरण ही इन जंगलों में पाये जाते हैं। घने तथा दलदल वाले जंगलों में नाना प्रकार के छोटे-बड़े सांप भी पाये जाते हैं। यहाँ के बन विभाग में ६ डिवीजन हैं:—

१—उत्तरी अण्डमान डिवीजन
२—मध्य अण्डमान डिवीजन
३—दक्षिण अण्डमान डिवीजन
४—नह्नकौरी डिवीजन
५—मिल डिवीजन
६—हावडाडियो डिवीजन

इस विभाग में काम करने वाले प्रमुख अधिकारियों का व्यौरा निम्न-लिखित है:—

१. चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट—१
२. कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट—२
३. डिपुटी कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट—५
४. असिसटेन्ट कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट—७
५. सीनियर असिस्टेन्ट इंजीनियर—१
६. असिस्टेन्ट मिल मेनेजर—१

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

७. पशु चिकित्सक—१

८. 'कॉफी' विकास अधिकारी—१

९. लेखा-जोखा पदाधिकारी—१

यदि इन बनों की सुव्यवस्थित ढंग से देखभाल की जा सके पुराने पेड़ों को काट कर कम खर्च में उन्हें मिल तक लाया जा सके और रिक्त भूमि पर नये पेड़ सुनियोजित योजनानुसार उगाये जा सकें तो यह बात बिना हिचक कही जा सकती है कि ये बन देश की लकड़ी सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की न केवल पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि इनकी लकड़ियों से विदेशी मुद्रा भी कमायी जा सकती है।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

कृषि

यहाँ उपनिवेश स्थापित होने से पूर्व खेती योग्य भूमि नहीं थी। पोर्ट ब्लेयर के सुपरिन्टेन्डेन्ट 'कर्नल मान' के कार्यकाल में (सन् १८६८-७१) यहाँ लगभग ३००० एकड़ भूमि पर जंगलों को काट कर ८७६ एकड़ भूमि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत लायी गयी। इनके आने से पूर्व ही लगभग ७२४ एकड़ भूमि पर जंगल साफ करके ३५३ एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत लायी जा चुकी थी।

उपरोक्त बातें इस बात की द्योतक हैं कि यहाँ पर कृषि को उपनिवेश के आरम्भ काल से ही महत्व दिया जाने लगा था। कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का विकास इन द्वीपों की शनैः शनैः बढ़ती हुई जन संख्या पर आधारित रहा है। सन् १९३१ में ४१०० एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत लायी गयी। यह क्षेत्रफल सन् १९५१ में बढ़ कर ५६०० एकड़ हो गया। सन् १९६०-६१ में ३८११४ हेक्टर और १९६१-६२ में ४१९१८ हेक्टर भूमि कृषि के अन्तर्गत लायी गयी।

यहाँ की प्रधान उपज धान है। धान के अतिरिक्त मक्का, शकरकन्दी, ईख, टेप्योका, मूंग, उरद, लाल मिर्च, काजू, हल्दी, नारियल, सुपाड़ी, केला, नीबू, नारंगी, चकोतरा तथा अनारस की पैदावार होती है। नारियल और सुपाड़ी यहाँ की पैसा देने वाली फसलें हैं। इनके पेड़ आमतौर पर पांच वर्ष की आयु में ही फलना आरम्भ कर देते हैं।

एक अच्छा और स्वस्थ नारियल वृक्ष एक वर्ष में कम-से-कम २५-३० नारियल देता है और इसी प्रकार सुपाड़ी का वृक्ष भी कम से कम सौ-सवा सौ फल देता है। सन् १९६४-६५ में यहाँ लगभग १५९२·०१ हेक्टर भूमि पर नारियल के वृक्ष लगाये गये।

यहाँ धान की खेती सबसे अधिक होती है। पूरे अण्डमान में १९६४-६५ में धान की खेती के अन्तर्गत लगभग ७०३७·९ हेक्टर भूमि लायी गयी थी। उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी अण्डमान में धान की खेती की भूमि का ब्योरा निम्न-लिखित है :—

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

क्षेत्र	१९५८-५९ :	१९५९-६० :	१९६०-६१ :	१९६१-६२ :	१९६२-६३ :
उत्तरी अण्डमान	३३८८ एक. -	५४३० एक. -	५०१२ एक.	५०६५ एक.	४७८४ एक.
मध्य अण्डमान	२४२७ ,, -	२६०० ,, -	४७९१ ,, -	४७६५ ,,	४९१० ,,
दक्षिणी अण्डमान	६१५२ ,, -	६४६६ ,, -	६५७५ ,, -	६८५५ ,,	७०३० ,,

१९६३-६४ : १९६४-६५ : १९६५-६६

उ० अ०—२५५८ एकड़
म० अ०—४९९९ ,,
द० अ०—७२२७ ,,

योग :—

अण्डमान में १९५८-५९ में ११९६७ एकड़,
१९५९-६० में १४४७२ ,,
१९६०-६१ में १६३७८ ,,
१९६१-६२ में १६६८५ ,,
१९६२-६३ में १६७२४ ,,
१९६३-६४ में १७४८४ ,,
१९६४-६५ में १७३९० ,,
१९६५-६६ में १७४३२ ,, भूमि पर धान की खेती की गयी। यहाँ धान की कई किस्में होती हैं, जिनमें जीरा, खुश बुइया, हाथी तथा नम्बर ८ धान उल्लेखनीय हैं। नम्बर ८ और जीरा धान यहाँ बहुत प्रचलित है। यहाँ १९६१-६२ में ६०७९ टन; १९६२-६३ में ६४२६ टन; १९६३-६४ में ८५३८ टन; १९६४-६५ में ८८८८ टन; और १९६५-६६ में लगभग ८१३७ टन धान पैदा हुआ। धान के अलावा यहाँ की अन्य उपज केला, पपीता और टेप्योका है। सन् १९६०-६१ में यहाँ ७८८ टन केला, ३४७ टन पपीता और १०१ टन पपीता पैदा हुआ। सन् १९६२-६३ में केला ६६० टन, पपीता २६२ टन और टेप्योका १८९ टन पैदा हुआ। उपरोक्त फलों के अतिरिक्त यहाँ पर नीबू, नारंगी और अनारस की भी अच्छी पैदावार होती है। उत्तरी अण्डमान के नीबू तथा नारंगी मुख्य भूमि के किसी भाग में पैदा होने वाले नीबू तथा नारंगी से किसी भी माने में कम नहीं हैं। गन्ना और शकरकन्द की फसल यहाँ अच्छी होती है किन्तु लोग इसकी खेती बड़े पैमाने पर नहीं करते। तरकारियों में लौकी, कुमड़ा, करैला, बैंगन, लोबिया, सेंम, टमाटर, चिचिन्डा, भिन्डी, बन्द गोभी, फूल गोभी, करमकला, मरसा, नाली भाजी, पोई, कुनरू, जमीकन्द, सहजना फली की पैदाबार होती है। 'मीठी खाड़ी' नामक स्थान में तरबूज और खरबूजे की अच्छी फसल होती है जो बड़े मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

शिक्षा

भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के पश्चात इन द्वीपों ने भी करवट ली। सदियों से अर्द्ध निद्रित अवस्था में पड़े ये द्वीप भी जाग उठे और प्रगति के मार्ग पर चल पड़े। सन् १९४७ और १९६३ के सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन द्वीपों में विकास की गति बड़ी तीव्र रही है। विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में यह प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टि-गोचर है।

१९६५-६६ में अन्दमान द्वीप समूह में ९९ स्कूल थे। जिसमें ८९१९ विद्यार्थी पढ़ते थे। शिक्षकों क़ी कुल संस्या यहाँ ३६४ थी। सन् १९६५ की रिपोर्ट के अनुसार विद्यार्थियों में बालकों की कुल संख्या यहाँ ६०५१ और बालिकाओं की संख्या ३९९९ थी। सन् १९६४-६५ में कुल विद्यार्थियों की संख्या ८९६६ थी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा सम्बन्धी आँकड़ों का व्यौरा तालिका नं० १ में देखिये।

यहाँ हायर सेकन्डरी के स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सन् १९६४-६५ में प्रति विद्यार्थी पर १७९) रुपया और १९६५-६६ में १९१) रुपया खर्च हुआ। यहाँ पाँच प्रकार के स्कूल हैं :—

१—उच्च स्तरीय माध्यमिक बहुधन्धी विद्यालय।

२—मिडिल स्कूल।

३—प्राइमरी स्कूल।

४—जूनियर बेसिक स्कूल।

५—टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल।

इनकी संख्या विभिन्न क्षेत्रों में सन् १९६३-६४ से लेकर १९६५-६६ तक तालिका नं० २ में देखिये।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

तालिका नं० १

विषय	१९५८/१९५९	१९५९/१९६०	१९६०/१९६१	१९६१/१९६२	१९६२/१९६३	१९६४/१९६५	१९६५/१९६६
स्कूलों की संख्या =	६२	८०	८४	१०८	११७	१२२	१३१
गाँवों के स्कूल =	५३	७०	७३	९५	१०५	१०४	१६७
लड़कों की संख्या =	२६५९	३३६२	३७०४	४४९२	५००४	५३३५	६०५१
गाँव के लड़के =	१६३८	२०९२	२३००	२८५८	३३००	३४३१	३८४२
लड़कियों की संख्या =	१५४०	१८८९	२१४६	२७३५	३११३	३५३१	३९६९
गांव की लड़कियाँ =	८७४	१०६४	१२३८	१५६४	१८९८	१९३७	२२११
कुल विद्यार्थी =	४१९९	५२५१	५८५०	७२२७	८११७	८९६६	१००२०
व्यय (लाख-रुपये में) =	५: ३९	८: १७	७: ८३	१६:०४	१७:७४	१६: ७७	१९: १४०
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात =	१ : २५	१ : २८	१ : २९	१:२५	१ : २४	१ :७३	१: ८३

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

तालिका नं० २

वर्ष	१९६३ - ६४				१९६४ - ६५				१९६५ - ६६			
स्कूल	द० अ०	म० अ०	उ० अ०	योग	द० अ०	म० अ०	उ० अ०	योग	द० अ०	म० अ०	उ० अ०	योग
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	२	—	—	२	२	—	—	२	२	—	—	२
मिडिल स्कूल	४	१	२	७	५	१	२	८	५	१	२	८
प्राइमरी स्कूल	१३	९	२२	४४	६	१५	१०	३१	५	१०	९	२४
जूनियर बेसिक स्कूल	३०	८	६	४४	३७	३	१६	५६	३७	८	१६	६१
टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल	१	—	—	१	१	—	—	१	१	—	—	१
योग =	५०	१८	३०	९८	५१	१९	२८	९८	५०	१९	२७	९६

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

उ० अ० = उत्तरी अन्दमान

म० अ० = मध्य अन्दमान

द० अ० = दक्षिणी अन्दमान

यहाँ स्कूलों की कुल संख्या १९६१-६२ में ८९
१९६२-६३ में ९८
१९६३-६४ में ९८
१९६४-६५ में ९८
१९६५-६६ में ९६ थी।

शिक्षकों की संख्या विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित थी :—

बर्ष	योग	पुरुष	स्त्री	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित	
				पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
१९६१-६२	२८५	२२६	५८	१४७	३८	७९	२१
१९६२-६३	३३३	२५०	८३	१९०	४७	६०	३६
१९६३-६४	३५४	२७३	८१	२०८	४६	६५	३५
१९६४-६५	२७६	७७७	९९	२२३	६३	५४	३६
१९६५-६६	४२१	२९४	१२७	२४५	७८	४९	४९

हायर सेकन्डरी अथवा दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात बच्चों को, यदि वे आगे पढ़ना चाहें, सरकार की ओर से वजीफा मिलता है। यह वजीफा यहाँ के स्थानीय (लाकल बार्न) लोगों के बच्चों को ही मिलता है।

वजीफे की राशि अलग-अलग है।

राशि (रुपये)	१९६४-६५ में	१९६५-६६ में
६१ – ७० रुपया	१८ बच्चों को	१३ बच्चों को
७१ – ८० ,,	१० ,, ,,	२ ,, ,,
८१ – ९० ,,	६ ,, ,,	– ,, ,,
९० – १०० ,,	– ,, ,,	२७ ,, ,,
१०१ – १२० ,,	– ,, ,,	२ ,, ,, मिली।

अन्दमान द्वीप समूह में दो हायर सेकन्डरी स्कूल हैं। दोनों पोर्ट ब्लेयर में हैं। एक लड़कों का है और दूसरा लड़कियों का। दोनों में आर्ट और साइन्स के

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

विषयों की पढ़ाई होती है। वर्तमान समय में इनको सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर सेकन्डरी (मल्टी परपज) इक्जामिनेशन, नई दिल्ली के अन्तर्गत कर दिया गया है। पहले ये कलकत्ता हायर सेकन्डरी इक्जामिनेशन बोर्ड के अन्तर्गत थे।

बासु कमेटी ने 'हिन्दी' को यहाँ की क्षेत्रीय भाषा माना है। इसी आधार पर हिन्दी को यहाँ के न्यायालय की भाषा मान लिया गया है। बासु कमेटी की सिफारिश पर ही यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गयी।

यह कमेटी, जिसका वास्तविक नाम 'एजुकेशन कमेटी' था भारत सरकार द्वारा अन्दमान की क्षेत्रीय स्थिति मालूम करने तथा शिक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए १४ मार्च १९५५ को नियुक्त की गयी थी। श्री एस. एन. बासु इस कमेटी के प्रधान थे। कमेटी के अन्य सदस्य थे सर्व श्री के. डी. घोष, डी. एस. अचेतन, एरिकसन और पंडित श्यामनरायन। यह कमेटी यहाँ अप्रैल १९५५ में आई और २५ मई १९५५ को चली गई।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मछली उद्योग

अन्दमान द्वीप समूह के चारों तरफ के सागर में मछलियों का अक्षय भंडार छिपा हुआ है। यहाँ सम्भवतः इसी कारण प्रायः सिंगापुर, पेनांग तथा फारमोसा आदि से मछली पकड़ने वाली नावें आती हैं। प्रत्येक वर्ष कम से कम इस प्रकार की २-३ नावें भारत की जल सीमा में आने के कारण पकड़ी जाती हैं और उनके नाविकों पर मुकदमा चलाया जाता है। यहाँ मीठे पानी की मछलियाँ बहुत कम मिलती हैं। यहाँ के सागर में (अण्डमान सागर) निम्नलिखित प्रकार की मछलियाँ पायी जाती हैं :—

१. सार्डिन (Sardines)
२. ऐंकोविज (Anchovis)
३. दोरोसोमा (Dorosoma)
४. दोराब (Dorab)
५. बराकुडा (Barracuda)
६. सी परचेज (Sea Perches)
७. सीअर फिश (Seer Fish)
८. हौर्स मेकरेल (Horse Mackrel)
९. मेकरेल (Mackrel)
१०. तूनी (Tunny)
११. मुलेट (Mullet)
१२. सिलवर बेली (Silver Belly)
१३. गार फिश (Gar Fish)
१४. शार्क एन्ड रेज (Sharks and Rays)
१५. प्रोन (झींग) (Prawns)
१६. बीक्ड फिश (Beaked Fish)
१७. पौम फ्रेट्स (Pom Frets)
१८. कारनेक्स (Carnex)

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

१९. कैट फिश (Cat Fish)
२०. हिलसा (Hilsa)
२१. अन्य किस्म की परचेज (Other Perches)
२२. विविध (Miscellaneous)

यद्यपि यहाँ मछली उद्योग के विकास के लिये काफी अवसर है परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ केरल प्रदेश से मछुए लाकर बसाये गये हैं। सरकार की ओर से इन्हें किस्त पर नाव और जाल दिया जाता है किन्तु यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया है। सन् १९६१ में दक्षिण अण्डमान में १३,०,८,१८ किलो, सन् १९६२ में १,५५,१८७ किलो, १९६३ में १५९१४४ किलो, १९६४ में १४८७४० किलो और १९६५ में १७१८८५ किलो मछली पकड़ी गयी।

हाल ही में यहाँ मछलियों को रखने के लिये सरकार द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। एक सूचना के अनुसार मछली पकड़ने के लिये सरकार ने कलकत्ते की एक कम्पनी को १४० यन्त्र चालित नौकाओं को बनाने का आदेश दिया है।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

चिकित्सा और स्वास्थ्य

सन् १९४७ के पश्चात् इन द्वीपों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सहूलियतों में काफी वृद्धि हुई है। सन् १९६१ में दक्षिण अण्डमान में तीन अस्पताल, ११ डिस्पेन्सरी तथा मध्य अण्डमान में तीन अस्पताल, ६ डिस्पेन्सरी थीं। सन् १९६२ में मध्य अण्डमान में केवल २ अस्पताल, ५ डिस्पेन्सरी रह गयीं। उत्तर अण्डमान में १९६१ में १ अस्पताल, १० डिस्पेन्सरी थीं। सन् १९६२ में यह संख्या बढ़ कर क्रमशः २ : १२ हो गयी। वर्तमान समय में अन्दमान द्वीप समूह में कुल ७ अस्पताल तथा २८ डिस्पेन्सरी हैं। इनमें से प्रत्येक अस्पताल में बिस्तरों (Beds) की संख्या निम्न प्रकार से है :—

१.	गोविन्द वल्लभ पन्त हास्पिटल, पोर्टब्लेयर		१९४
२.	,, ,, टी० बी० ,, ,,		२०
३.	बम्बूफ्लाट हास्पिटल	(दक्षिण अण्डमान)	५०
४.	लौंग आईलैंड हास्पिटल	(मध्य अण्डमान)	१०
५.	रंगत हास्पिटल,	(मध्य अण्डमान)	२०
६,	माया बन्दर हास्पिटल	(उत्तरी अण्डमान)	१०
७.	डिगलीपुर हास्पिटल	(उत्तरी अण्डमान)	२०
		कुल संख्या	३२४

यहाँ के अस्पतालों में सिविल अस्पताल और बम्बुफ्लाट का अस्पताल सबसे पुराने हैं। सिविल अस्पताल का वर्तमान नाम गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल है। इसे नयी बनी इमारत में २१ मार्च सन् १९६४ में लाया गया। उसी दिन भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री, जो उस समय केन्द्रीय गृह मन्त्री थे, के कर-कमलों द्वारा इसका नाम विधिवत् श्री गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल रखा गया तथा उद्घाटन किया गया। माया बन्दर के पुराने अस्पताल को नये भवन में २५-१-६५ को ले जाया गया और उसका नाम डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अस्पताल रखा गया। इसकी स्थापना १ अप्रैल सन् १९५७ को हुई थी।

पोर्ट ब्लेयर का टी० बी० अस्पताल २-१०-१९६१ को, लौंग आईलैंड का

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

अस्पताल २८-५-१९४८ को तथा रंगन का अस्पताल १३ जनवरी सन् १९५९ को खोला गया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रति व्यक्ति पर सन् १९६१-६२ में २७·१ रुपया, सन् १९६२-६३ में १९·१ रुपया, १९६३-६४ में २०·४ रुपया, १९६४-६५ में २१·५ रुपया और १९६५-६६ में २०·१ रुपया व्यय किया गया।

पोर्ट ब्लेयर के अस्पताल में एक्सरे और शल्य चिकित्सा की सुन्दर व्यवस्था है। मलेरिया उन्मूलन के लिये यहाँ एक विशेष विभाग है। इसका काम एक डाक्टर और दो इन्सपैक्टरों के द्वारा किया जाता है। खून की जाँच के लिए एक लेबोरेटरी भी है। सन् १९६५ में इन द्वीपों में कुल १८८५१ व्यक्तियों को चेचक के टीके लगाये गये। सन् १९६५ में अण्डमान द्वीप समूह में मलेरिया से १ व्यक्ति की मृत्यु हुई और १९३१ व्यक्तियों का इलाज किया गया; ११ व्यक्ति डाईरिया से मरे तथा ३४६२५ व्यक्तियों की चिकित्सा की गई; पेचिस से ५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा ५५१३ व्यक्तियों की चिकित्सा की गयी; तपेदिक (फेफड़ा) से ११ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा १०९१ व्यक्तियों की चिकित्सा की गयी; २०९ व्यक्तियों की फाईलेरिया की बीमारी के लिए चिकित्सा की गयी।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

पुनर्वास

सर्वं प्रथम १९४९ में पूर्व बंगाल के विस्थापितों के २०२ परिवारों को यहाँ बसाने के लिए लाया गया। विस्थापितों को बसाने का यह क्रम सन् १९६१ तक चलता रहा। तत्पश्चात बन्द कर दिया गया। विभिन्न राज्यों से यहाँ लाकर बसाये गये परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है : –

वर्ष	पूर्व बंगाल	केरल	मद्रास	पाडी चेरी एवं माही	वर्मा	बिहार	योग
१९४९	२०२	—	—	—	—		२०२
१९५०	११९	—	—	—	—	—	११९
१९५१	७८	—	—	—	—	—	७८
१९५२	५१	—	—	—	—	—	५१
१९५३	९७	—	—	—	—	—	९७
१९५४	४३८	३५	—	—	५	—	४७८
१९५५	३९०	३७	४	—	—	—	४३१
१९५६	३५७	४२	—	—	—	—	३९९
१९५७	२२१	५	८	४	—	—	२३८
१९५८	१९४	६	—	—	—	—	२००
१९५९	२१७	—	१४	—	—	१२०	३५१
१९६०	२६८	३२	१७	—	—	६४	३८२
१९६१	२३५	१४	—	—	—	१३	२६२
१९६२							
१९६३							

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

प्रथम पंचवर्षीय योजना में (सन् १९५३-५६) पुनर्वास कार्य में ८६·१८ लाख; द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (सन् १९५६-६१) ९१·१७२ लाख और तृतीय पंच वर्षीय योजना में (१९६१-६६) लगभग ३५·९८६ लाख रुपये व्यय किया गया। सन् १९६३ तक यहाँ ११५८१ परिवार बसाए जा चुके थे। विस्थापितों के प्रत्येक कृषक परिवार को घर बनाने के लिए ८०० रुपये, बैल के लिए ७०० रुपये, अन्य सामानों के लिए १३० रुपये तथा बीज और खाद के लिए १०० रुपया अर्थात् कुल रकम १७३० रु० कर्ज के रूप में दिये गये। इस धन के अतिरिक्त सहायता के रूप में ८४० रुपये यात्रा व्यय के लिए २१० रुपये अर्थात् कुल रकम १०५० रुपये दान के रूप में दिए गये। प्रत्येक परिवार को ५ एकड़ धान का खेत तथा ५ एकड़ साफ की हुई पहाड़ी जमीन दी गयी। इस पहाड़ी भूमि पर उन्हें नारियल, सुपाड़ी तथा अन्य प्रकार के फलों के वृक्ष जैसे नीबू, नारंगी चकोतरा, काजू, केला आदि लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया।

प्रत्येक कारीगर परिवार को घर बनाने के लिए ८०० रुपये तथा बर्तन व अन्य सामान खरीदने के लिए १३० रुपये अर्थात् कुल रकम ९३० रुपए कर्ज के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त २०० रुपए भत्ते के रूप में और २१० रुपये राह खर्च के लिए दिये गये इस प्रकार प्रत्येक कारीगर परिवार को कुल रकम १३४० रुपये की दी गयी।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

निकोबार द्वीप समूह

परिचय :

निकोबार द्वीप-समूह पोर्टब्लेयर से १७५ मील दूर दक्षिण दिशा की ओर ६° तथा १०° अक्षांश (उत्तरी) और ९२° तथा ९४° पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। इनकी कुल लम्बाई १६१ मील और चौड़ाई ३५·६ मील है। इस समूह का कुल क्षेत्रफल ६५० वर्ग मील है। इनकी संख्या २४ है। छोटा अन्दमान से कारनिकोबार द्वीप १०० मील है।

द्वीपों के वर्तमान नाम तथा मूल जातियों द्वारा रखे गए नाम, उनका क्षेत्रफल और जन संख्या (१९६५ में) निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	आधुनिक नाम	मूल नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मील में)	जन संख्या (१९६५)
१.	कार निकोबार	पू (Pu)	४९·०	९८७९
२.	बाटी मालव	येट (Et)	०·८	——
३.	चौरा	थाटाट (Thatat)	३·२	१२३३
४.	टेरासा	तैहलांग (Tehlong)	३९·१	५४७
५.	नानकौरी	ननकौरी	२५·८	५३९
६.	कमरोटा	ननकौरी	७२·६	७९५
७.	ट्रिंकेट	लाफुल (Laful)	१४·०	११६
८.	कछाल	तेहुयु (Thuyu)	६७·३	९०४
९.	बम्वोका	पोहाट (Pohat)	५·२	४३
१०.	तिलंगचांग	लाओक (Laok)	६·५०	——
११,	ग्रेट निकोबार	लूंग (Loong)	४०३·३	२०३
१२.	पोलोमीलो	मीलोह (Meloh)	०·५	४०
१३.	लिटल निकोबार	उंग (Ong)	६१·४	१८०
१४.	कोन्डूल	लामन गशी (Lamon gashi)	१·८	८२
१५.	कोबरा	कोनवाना (Konwana)	०·२०	——
१६.	ट्रेक	फूग्या (Fuya)	०·१०	——
१७.	ट्रेस	टान (Tan)	०·१०	——
१८.	मेंचल	मेंचल (Menchal)	०·५०	——
१९.	मीरो	मीरो (Miroe)	०·२०	——
२०.	पीजन	पीजन (Pigeon)	—	——
२१.	मेगापौड	मेगापौड (Megopod)	०.२५	——
२२.	आईलैंड औफ मान		०·१९	——

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इनके अतिरिक्त दो द्वीप ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई नाम नहीं पड़ा है। १०° जलधार (Ten Degree Channel) इन द्वीपों को अण्डमान वर्ग के द्वीपों से अलग करती है। इस जलधार की चौड़ाई ९० मील और गहराई ४०० फैदम है। इन सभी द्वीपों में ग्रेट निकोबार द्वीप बड़ा है। इसका क्षेत्रफल ४०३ वर्ग मील है। अन्य सभी द्वीपों का क्षेत्रफल ८० वर्ग मील के अन्दर ही है। सबसे छोटा द्वीप पोलोमिलो है, जिसका क्षेत्रफल ०'५ वर्ग मील है। आईलैंड औफ मान, पीजन, मेगापौड, बाटी-मालव, मीरो, ट्रेस, ट्रेक, मेंचल, कोबरा, तेलंगचांग द्वीपों पर कोई आबादी नहीं है।

भौगोलिक स्थिति के अनुसार इन द्वीपों को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है :--

१--उत्तारी क्षेत्र
- १--कार्रानिकोबार द्वीप
- २--बाटी मालव

२--मध्य क्षेत्र
- १--चौरा द्वीप
- २--टेरासा द्वीप
- ३--नानकौरी द्वीप
- ४--कमरोटा द्वीप
- ५--ट्रिकेट द्वीप
- ६--कछाल द्वीप
- ७--बमफोका द्वीप
- ८--तेलंगचांग द्वीप

३--दक्षिणी क्षेत्र
- १--ग्रेट निकोबार द्वीप
- २--लिटिल निकोबार द्वीप
- ३--पोलोमीलो द्वीप
- ४--कोन्डूल द्वीप
- ५--कोबरा द्वीप

दक्षिणी क्षेत्र में दो द्वीप और हैं परन्तु अभी तक इनका नामकरण नहीं किया गया है। ग्रेट निकोबार द्वीप का सुदूर दक्षिणी भाग सुमात्रा द्वीप के "आचीन हैड" के पुलोब्रासे नामक स्थान से १०० मील दूर है।

ग्रेट निकोबार, नानकौरी, कछाल, और लिटिल निकोबार के अतिरिक्त अन्य द्वीपों की भूमि समतल है। ग्रेट निकोबार, कछाल, नानकौरी तथा लिटिल निकोबार

CC-0. In Public Domain: Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

द्वीपों में अण्डमान वर्ग के द्वीपों की भाँति ही पहाड़ियाँ हैं । इन पहाड़ियों पर जो जंगल हैं उनमें पडाक, गर्जन तथा पेमा नामक लकड़ियाँ नहीं मिलतीं, जिनकी अण्डमान वर्ग के द्वीपों में अधिकता है। किन्तु यहाँ टाम्पिक, लाकुच, लाल चीनी, काला और सफेद चुगलुम तथा सफेद बम्बे नामक लकड़ियाँ अधिकता से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेट निकोबार में सफेद तथा लाल बेंत जो बड़ी उच्च श्रेणी के होते हैं, बहुत अधिक मिलते हैं। पहले इन्हें मलाया से चीनी व्यापारी आकर खरीदते थे। दूसरे द्वीपों में भी उपरोक्त लकड़ियाँ पायी जाती हैं किन्तु कम मात्रा में। इन द्वीपों में 'नालांग' नामक एक प्रकार की बड़ी लम्बी घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका प्रयोग यहाँ के आदिवासी मकान छप्पर छाने में करते हैं । नारियल और सुपाड़ी के पेड़ों की अधिकता है। नारियल ही इनके भोजन का प्रमुख अंग है। नारियल तथा सुपाड़ी के अतिरिक्त यहाँ के बनों में "याम" नामक फल काफी मात्रा में फलता है। पन्डानूस, केला, नारियल और याम इन द्वीपों के निवासियों का प्रधान भोजन है। ये लोग मछली और जंगली सूअर का भी शिकार करते हैं । जंगलों में अजगर किस्म के साँप तथा सूअर के अतिरिक्त कोई अन्य जानवर नहीं पाया जाता। अण्डमान वर्ग के द्वीपों की भाँति हिरण, किसी भी द्वीप में नहीं पाये जाते । ग्रेट निकोबार में लंगूर किस्म के बन्दर अधिकता से पाये जाते हैं। इन द्वीपों के जगलों में मोटे और पतले किस्म के बाँसों की अधिकता है। वर्तमान समय में सभ्य जगत के सम्पर्क में आने के कारण यहाँ के कुछ निवासियों ने लौकी, कुम्हड़ा, बैंगन, भिन्डी, लोभिया, चिचिंडा आदि जैसी तरकारियाँ बोना आरम्भ कर दिया है।

मध्य क्षेत्र के द्वीपों की समतल भूमि पर बड़े अच्छे और हरे-भरे चरागाह हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। कमरोटा द्वीप पर जंगली गायों का बड़ी संख्या में पाया जाना इस बात का प्रमाण है। कहा जाता है कि ये गायें उन गायों की वंशज हैं जिन्हें 'डेन्स' (Danish) लोग सन् १८८८ में यहाँ लाये थे और उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास में असफल होने ने कारण छोड़ कर चले गये थे।

जलवायु—यहाँ की जलवायु उष्ण और नम है। अण्डमान की भाँति यहाँ भी वर्षा अधिक होती है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून में ६०" से १७०" तक वर्षा अधिक होती है। यह मानसून मई अथवा जून महीने के पूर्वार्द्ध से आरम्भ होकर सितम्वर तक चलती है। उत्तरी पूर्वी मानसून, नवम्बर से अप्रैल तक चलती है। इससे कम वर्षा होती है। अक्तूबर, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में अक्सर मौसम शान्त रहता है! यहाँ मई सन् १८८५ और मार्च सन् १८९२ में बड़ा भयंकर तूफान (सायक्लोन) आया था।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इन द्वीपों का औसत तापमान एक-सा नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र के द्वीपों में अधिक गर्मी पड़ती है। इन का तापमान ६५° से ९८° तक घटता-बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रेट निकोबार द्वीप तथा समीपवर्ती द्वीपों में गर्मी पड़ती है।

निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर से जलयान मार्ग तथा वायुयान मार्ग से सम्बन्धित है। एम० वी० अण्डमान, एम० वी० निकोबार तथा टी० एस० एस० यारवा इन द्वीपों को अण्डमान द्वीप से मिलाते हैं। यारवा जलयान प्रति सप्ताह पोर्टब्लेयर और निकोबार द्वीपों के बीच यातायात करता है। इन जलयानों के अतिरिक्त निकोबार द्वीप समूह में 'आकूजी जाडलेट कम्पनी' के भी जलयान चलते रहते हैं। इस कम्पनी को इन द्वीपों में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त है।

ये द्वीप सुरक्षित क्षेत्र (रिजर्व एरिया) घोषित किये गये हैं। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जिलाधीश से बिना आज्ञा प्राप्त किये यहाँ न तो कोई जा सकता है और न व्यापार ही कर सकता है।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इतिहास

अण्डमान द्वीप समूह की भाँति इन द्वीपों का भी कोई विस्तृत एवं प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। इन द्वीपों के निवासियों के बारे में सबसे पहला विवरण लसिंग नामक चीनी यात्री की पुस्तक "लोजेन कू" (नंगे लोग–Nacked People) में मिलता है। इसमें उसने ६७२ ईस्वी में इन द्वीपों के समीप से की गई अपनी सामुद्रिक यात्रा का वर्णन किया है। इसी प्रकार सन् ८५१ ईस्वी में की गयी अरब यात्रियों के यात्रा विवरण में इन द्वीपों को "लेंजाबालुस" कह कर पुकारा गया है। यह यात्रा विवरण "पिंकर्टनस वायजेज एन्ड ट्रेवलज," भाग सात की पृष्ठ संख्या १८३ पर छपा है। इसमें यहाँ के निवासियों को नंगा रहने वाला और ताम्र वर्ण के बालों वाला कहा गया है।

सन् ८५१ ईस्वी के पूर्व सुलेमान नामक एक अरब यात्री बसरा से चल कर इन द्वीपों के समीप होकर चीन गया था। इसकी यात्रा का विवरण अरबी भाषा के ग्रन्थ 'सिलसिल तुत्तवारिख' के प्रथम भाग में जिसका सम्पादन सन् ८५१ ईस्वी के उत्तरार्ध में हुआ, छपा है। इस ग्रन्थ का फ्रांसीसी (French) भाषा में अनुवाद सन् १७१८ ईस्वी 'अबेरिनो दो' के द्वारा किया गया। सन् १७३३ में 'श्री युसेवियस रिनो' नामक लेखक के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद करप्र काशित किया गया। इस पुस्तक का नाम 'ऐन्शियंट अकाउंट ऑफ इंडियां एन्ड चायना बाइ टू मोहमडन ट्रेवलर्स' (लंदन १७३३ ई०) है। सन् १८४५ में इसका एक दूसरा फ्रांसीसी अनुवाद 'मोशियोरिने' द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसका नाम 'रिलाशियों दे वोयाजे फई पार लें ज अराबे एले परसाँ दाँ 'ल इदेए आ' ला शिने है"। अरबी के मूल ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन् १९६३ में प्रकाशित किया गया। इसके अनुवादक काशी विश्वविद्यालय के श्री महेश प्रसाद "मधु" आलिम-फाजिल हैं। पुस्तक का नाम 'यात्रा विवरण-फाहियान, सुंग-युन, सुलेमान सौदागर' है।

फ्रांस के डाक्टर 'ली बान' सुलेमान को ही भारतवर्ष आने वाला पहला यात्री मानते हैं। सुलेमान ने निकोबार के आदिवासी के बारे में निम्नलिखित

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

विवरण दिया है—'इनमें आबादी अच्छी है। यहाँ के पुरुष तो बिल्कुल नंगे ही रहते हैं पर स्त्रियाँ भी एक प्रकार से नंगी ही रहती हैं क्योंकि वे केवल अपने गुप्तांग को ही वृक्ष के पत्तों से ढके रहती हैं। जब जहाज गुजरते हैं तब वे लोग अपनी छोटी-बड़ी नौकाओं को लेकर जहाजों के निकट आ जाते हैं और अम्बर तथा नारियल को लोहे के बदले बेच देते हैं। यहाँ के निवासियों को वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि न यहाँ सख्त गर्मी पड़ती है और न सर्दी। यहाँ के निवासी न तो अरबी भाषा समझ सकते हैं और न सौदागरों की दूसरी भाषा ही समझ सकते हैं। ये लोग हाथ के संकेत से बातचीत करते हैं। ये रंग के गोरे चिट्टे हैं। युवावस्था में भी इनके दाढ़ी नहीं आती। ये लोग केवल एक लकड़ी को बीच में से खुरचकर खोखला बनाकर नौका बना लेते हैं उसी में सवार होकर हमारे पास आते हैं। इनके पास नारियल, केला, ईख और नारियल का जल होता है। नारियल का जल सफेद होता है। जिस समय जल को नारियल से निकाला जाता है, उसे यदि उसी समय पीया जाय तो वह शहद के समान मीठा होता है। यदि वह कुछ देर पड़ा रह जाता है तो मदिरा बन जाता है। ये व्यवहार में बड़े चतुर होते हैं। यहाँ तक कि अनेक बार ये लोग नये सौदागरों से माल झटक ले गये और उनको कुछ भी नहीं दिया।''

प्रसिद्ध समुद्र यात्री 'मार्कोपोलो' ने इन द्वीपों को ''नेकुबरम'' नाम से तथा कर्नल युले ने एक बुद्ध धर्मावलम्बी चीनी यात्री द्वारा दिये गये नाम के आधार पर इन्हें 'नालो-किओ-चेन' [नारिकेल द्वीप] नाम से पुकारा है। सर एस० कृष्ण स्वामी अयंगर ने अपने एक लेख में जिसे इन्होंने 'जनरल आफ इन्डियन हिस्ट्री' में छपने को दिया था, इस बात को प्रमाणिक रूप से सिद्ध किया है कि 'चोलाधिपति राजेन्द्र चोलदेव' द्वितीय ने सुमात्रा द्वीप पर होने वाले अपने अभियान के समय इन द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया था। उस समय की ताम्रलिपियों के अनुसार कार निकोवा द्वीप का नाम 'कार द्वीप' और ग्रेट निकोबार द्वीप का नाम 'नाप द्वीप' था। पूरे निकोबार द्वीप समूह को 'नक्कावरम' के नाम से पुकारते थे। संभवत: उस समय के हिन्दू प्रभाव के कारण ही ग्रेट निकोवार में स्थित एक नदी को गंगा और तेरासा द्वीप के एक गाँव को लक्ष्मीपुर के नाम से पुकारते हैं। १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों ने ननकौरी तथा कारनिकोबार में उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया था, तब उन्हीं लोगों ने कारद्वीप को 'नकाबार' ओर नागद्वीप को 'निकूबार' की संज्ञा दी थी। वर्तमान कारनिकोबार तथा ग्रेट निकोवार आदि नामों में पुर्तगाली भाषा का वही प्रभाव आज भी विद्यमान है। टेरासा द्वीप के नाम में पुर्तगाली भाषा का शत-प्रतिशत

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 'टे' का अर्थ पुर्तगाली भाषा में लाल होता है और 'रासा' का अर्थ मिट्टी इस प्रकार टेरासा का अर्थ लाल मिट्टी है। टेरासाद्वीप की मिट्टी लाल है।

इन द्वीपों पर उपनिवेश स्थापित करने तथा यहाँ के आदिवासियों को ईसाई बनाने का प्रयास, १५ वीं शताब्दी से शुरू हुआ। 'डेम्पियर' के अनुसार सन् १६८८ ईस्वी में दो डेनिश (Danish) पादरियों ने निकोबारियों को ईसाई बनाने का बड़ा प्रयास किया था किन्तु इस काम में इन्हें सफलता नहीं मिली। सन् १७५६ में डेनिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भी इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयत्न किये, किन्तु वह भी असफल रही। सन् १७६८ तक मोरेवियन मिशन, इन द्वीपों में मिशनरी कार्य करता रहा, फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध के समय ये द्वीप अंग्रेजों के प्रभाव में आ गये थे। सन् १८१४ में एक सन्धि के अनुसार इन द्वीपों को पुनः डेनिश सरकार को सौंप दिया गया। सन् १८४५ में डेन्स सरकार ने उपनिवेश बसाने का पुनः प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १८४६ में 'गलाथी' के नेतृत्व में एक दल यहाँ आया, किन्तु उसे भी असफल होना पड़ा। सन् १८४८ में डेन्स सरकार ने इन द्वीपों पर से बैधानिक रूप से अपना प्रभुत्व समाप्त कर दिया।

सन् १८४८ से १८६९ तक ये द्वीप अछूते पड़े रहे। यदा-कदा मलय द्वीप के जल दस्यु ननकौरी बन्दरगाह में आकर रुका करते थे और यहीं से समीप होकर जाने वाले जलयानों पर हमला कर उन्हें लूट लिया करते थे। यहाँ के आदिवासियों को भी ये लोग पकड़ कर गुलाम के रूप में मलाया ले जाकर बेच दिया करते थे।

सन् १८६९ में, जल दस्युओं के इन हमलों से यात्री जलयानों की रक्षा के लिये तथा अण्डमान द्वीप समूह के समीप कोई अन्य देश आकर अपना नौ सैनिक अड्डा स्थापित न कर ले, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन द्वीपों पर अधिकार कर ननकौरी में अपना उपनिवेश स्थापित किया। इस उपनिवेश में उन दिनों रहने वालों की संख्या ८०० थी, जिसमें २३५ भारतीय कैदी थे और शेष अधिकारी वर्ग के लोग थे। यहाँ और कार निकोबार में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि रहने लगे। मलेरिया, फाईलेरिया, आदि बीमारियों तथा कुछ अन्य तत्कालीन परिस्थितियों एवं व्यवहारिक एवं कठिनाईयों के कारण इस उपनिवेश को बन्द कर देना पड़ा। किन्तु ब्रिटिश, प्रतिनिधि पहले की तरह ही अपने स्थानों पर काम करते रहे।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

वर्तमान समय में कारनिकोबार में एक अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, तथा आरक्षी उपप्रधान और ननकौरी में एक असिस्टेन्ट कमिश्नर, एक तहसीलदार, एक सर्किल इन्सपेक्टर नियुक्त हैं। ननकौरी तथा कारनिकोबार में क्रमशः एक-एक पुलिस थाने हैं। उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त इन द्वीपों में कृषि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी अनेक अधिकारी हैं। पुलिस वायरलेस के कई स्टेशन इस द्वीप समूह में स्थापित हैं। ग्रेट निकोबार स्थित पुलिस चौकी तथा वायरलेस स्टेशन भारतीय गणतंत्र की सुदूर दक्षिण सीमा पर स्थित हैं।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

आदिवासी [निकोबारी]

इन द्वीपों के आदिवासियों के विषय में विद्वानों में मत भेद है।' 'पेरे बर्के' के सन् १९४६ के एक लेख के अनुसार इनके पूर्वज वर्मा के टेनासिरम प्रान्त से आये थे। इन लोगों को वहाँ होने वाले विद्रोह के कारण नावों पर चढ़ा कर देश से निकाल दिया गया था। कुछ दिनों के पश्चात उनकी नाव निकोबार द्वीप में आ लगी। वे लोग वहीं बस गये। एक दूसरे विद्वान 'बोडेन क्लास' के अनुसार यहाँ के मूल निवासी मलय प्रदेश से आये थे और बाद में उन्हे बर्मा से आये लोगों ने या तो मार डाला या भगा दिया। इस विचार की पुष्ठि के लिये कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कारनिकोबार द्वीप में प्रचलित लोक-कथाओं में से केवल एक में ही बर्मा का उल्लेख मिलता है।

इस लोक कथा के अनुसार बर्मा के एक राजा के एक लड़की थी जिसे अपने कुत्ते से बड़ा प्रेम था। कुछ दिनों के बाद उसका यह प्रेम वासनामय हो गया और उस कुत्ते के साथ समागम करने के फलस्वरूप राजकुमारी गर्मवती हो गयी। यह बात जब उसके पिता को मालूम हुई तो राजा ने राजकुमारी को कुत्ते के साथ एक नाव पर बैठा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। सागर की लहरों के सहारे डोलती हुई यह नाव निकोबार द्वीप के किनारे आ लगी। इसी द्वीप में राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के पश्चात राजकुमारी ने कुत्ते को मार डाला। जब यह लड़का बड़ा हुआ तब उससे राजकुमारी ने स्वयं अपना विवाह कर लिया। विवाह के फल स्वरूप जन्मी सन्तान ही वर्तमान निकोवासियों के पूर्वज थे।

एक दूसरी लोक कथा में बर्मा का उल्लेख नहीं है किन्तु उसमें पुरुष और कुतिया का उल्लेख है। इस लोक कथा के अनुसार एक बार प्राचीन काल में भयंकर वृष्टि हुई थी। जिससे निकोबार द्वीप के सभी वृक्षादि जलमग्न हो गये थे। केवल एक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचा। यह व्यक्ति अपनी प्राणों की रक्षा के लिये नारियल के एक ऐसे वृक्ष पर चढ़ा था जिसका ऊपरी भाग पानी के ऊपर था। कुछ दिनों के पश्चात जब जल कम हुआ तो उसने देखा कि एक दूसरे पेड़ की डालियों में एक कुतिया फंसी हुई है। वह व्यक्ति तैर कर उस पेड़

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

तक गया तौर वहाँ से उस कुतिया को लाकर अपने पास पेड़ पर रखा जब पानी बिलकुल उतर गया तो वह व्यक्ति भी कुतिया के साथ पृथ्वी पर उतर आया। उस समय वहाँ ये दो ही प्राणी जीवित थे अतः उसने कुतिया से शादी कर ली। इस शादी से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ जिनसे इन आदिवासियों की शाखाऐं निकली।

इन दोनों लोक कथाओं में कुत्ता अथवा कुतिया के स्त्री अथवा पुरुष से यौन सम्बन्ध स्थापित करके तथा उसके फलस्वरूप बच्चा पैंदा करने की बात को प्रधानता दी गयी है। इस विषय का कोई प्रामाणिक वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। जन्यु जनन शास्त्र के दृष्टि कोण से भी यह बात गलत है। केवल इस बात का संकेत मिलता है कि ये लोग अण्डमान के आदिनिवासियों के विपरीत कुत्तों से पूर्व से ही परिचित थे। इन दोनों लोक कथाओं में निकोबारियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित बातें अवास्तविक तथा अवैज्ञानिक लगती हैं। इस प्रकार की कल्पना का सूत्रपात्र इन निकोबारियों से ही वरन विदेशियों के द्वारा किया गया मालूम पड़ता है। मेरे द्वारा कई वरिष्ठ निकोबारियों से पूछने पर भी इन लोक कथाओं की आयु का पता न चल सका। अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है। कि पहली लोककथा के अनुसार निकोबार में तथा कथित बर्मी राजकुमारी के आने के पूर्व इस द्वीप पर कोई मनुष्य नहीं था। और दूसरी कथा के अनुसार इस पर मनुष्य और कुत्ते दोनों थे और कथित प्रलयंकारी वर्षा में केवल एक पुरुष और एक कुतिया जीवित बचे। दोनों कथाओं का यह अन्तर ही इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के मूल निवासी किसी बाहरी देश से नहीं आये वरन ये इन्हीं द्वीपों के हैं।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि ये द्वीप भारत से सुमात्रा तथा मलाया आदि देशों के जाने वाले जल मार्ग पर पड़ते थे। मलय प्रदेश के जलदस्युओं के जलयानों के लिये उपयुक्त विश्राम स्थल का काम देते थे। खास तौर पर नषकौरीब बन्दरगाह बहुत प्रसिद्ध था। सन् १८६९ में ब्रिटिश सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखकर ही ननकौरी तथा निकोबार में अपना प्रतिनिधि रखना आरम्भ कर दिया। वर्तमान समय में किये गये एक अन्वेषण के फलस्वरूप केवल चौरा द्वीप के निवासियों को छोड़ कर प्रायः सभी द्वीपों के निवासियों में मलय, बर्मी, द्रविड़, चीनी तथा योरोपियन रक्त का सम्मिश्रण मिलता है। ग्रेट निकोबार के निवासियों की भाषा पर मलय भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार टेरासर द्वीप में द्रविड़ संस्कृति एवं रक्त का तथा ननकौरी और कसरोटा द्वीपों में डेनिश रक्त का सम्मिश्रण मिलता है।

इन बातों के आधार पर ही हम इन निवासियों को किसी उपरोक्त देश का

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मूल निवासी नहीं मान सकते। बर्मा से जो नाव चली थी उसके अन्दमान द्वीप समूह के वजाय जो बर्मा के बहुत ही समीप पड़ते हैं। निकोबा द्वीप पर आ लगने की बात, काल्पनिक और असंगत लगती है। बर्मा प्रदेश की संस्कृति एवं भाषा की कोइँ भी झलक इन आदिनिवासियों की भाषा एवं संस्कृति में नहीं मिलती। प्रत्येक द्वीप की भाषा और रहन-सहन की विभिन्नता भी इस बात की द्योतक है है कि ये लोग किसी देश विशेष से नहीं आये हैं। यदि ये बर्मा से आये होते तो इनमें कहीं न कहीं बर्मा संस्कृति एवं भाषा की झलक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अवश्य दिखाई पड़ती। जो कुछ भी विदेशी प्रभाव इन आदिवासियों पर विशेष रूप से पड़ा मालूम पड़ता है वह मलाया अथवा योरोपीय देशवासियों का है। यह प्रभाव भी मेरे विचार से इन निवासियों के लगातार कई शताब्दियों से इन विदेशियों के सम्पर्क के फलस्वरूप हुआ मालूम पड़ता है। वस्तुतः ये लोग यहीं के मूल निवासी हैं।

'डाक्टर के० एम० पाणीकर' की पुस्तक 'ए सर्वे आफ इन्डियन हिस्ट्री' के अनुसार ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही भारत के जलयान उसके बन्दरगाहों, ताम्रलिप्त और नागापट्टम, से प्रशान्त महासागर के द्वीपों की ओर जाते आते थे। रामायण में भी जावा (यव द्वीप) सुमात्रा (सुवर्ण द्वीप) आदि द्वीपों का उल्लेख मिलता है। इन द्वीपों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव आधुनिक इतिहास के अनुसार भी पहली शताब्दी में ही पूर्ण रूपसे पड़ चुका था। इन द्वीपों पर जाने के लिये प्रतिष्ठित जलमार्ग थे वे सभी इस द्वीप समूह के समीप से ही निकलते थे। इन समुद्री यात्राओं तथा व्यापार का वर्णन 'कालिदास' की रचनाओं और 'गुणाडय' की कहानियों में मिलता है। 'फाहियान' नामक चीनी यात्री ने जो भारतवर्ष में सन् ३९९ से ४१४ ईस्वी सन् तक रहा, जावा में हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को पूर्णरूप से प्रचलित देखा था। सन ९९६ ईसबी में चोल राज्य की गद्दी पर "राजराजा" बैठे। उनके पुत्र 'राजेन्द्र देव चोल' के राज्य काल में अर्थात् ११ वीं शताब्दी में चोल राज्य की सीमा जावा, सुमात्रा, मलाया तक फैली थी। इस राज्य का प्रभुत्व पूरे बंगाल की खाड़ी तथा इन द्वीप समूहों पर था। उपरोक्त बातों के आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि इन द्वीपों में १० वीं शताब्दी से पूर्व ही निकोबार द्वीपों में आबादी थी और इसी कारण चोल राज्य की नौसेना को इन द्वीपों पर अधिकार कर लेना पड़ा। जिसके फलस्वरूप टेरास तथा चौरा द्वीपों में विशेषकर तत्कालीन हिन्दू संस्कृति का प्रभाव अब मी दृष्टिगोचर होता है। टेरासा द्वीप के निवासी सिर पर चोटी रखते हैं और गले में कन्डी पहनते हैं।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

इनके तथा चौरा द्वीप के निवासियों की शादी में वर-वधू के लिये केशरिया वस्त्र पहनना, एक सप्ताह के लिये अनिवार्य होता है। केवल पूर्व कथित लोक कथाओं और कुछ विदेशी विद्वानों के लेखों के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी बर्मी जाति के इन द्वीपों में आने का प्रमाण नहीं मिलता। इन आदिवासियों के पूर्वजों के बर्मी अथवा मलय देश वासी होने की कल्पना का आधार संभवतः इनकी मुखाकृति तौर रंग ही था। चौरा द्वीप के आदिवासियों में किसी विदेशी जाति के रक्त का सम्मिश्रण नहीं मिलना ही, इस बात का प्रमाण है कि इन द्वीपों के निवासियों के पूर्वज न बर्मा से और न तो मलाया से ही आये थे। वरन इन पर जो कुछ भी विदेशी प्रभाव पड़ा वह जलदस्युओं और यात्रियों के सम्पर्क से हुआ।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

सामाजिक व्यवस्था

इन द्वीपों के निवासियों के गाँव प्राय : समुद्र तट के समीप नारियल के बनों में बसे हुऐ हैं। एक गाँव में कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पन्द्रह घर होते हैं। प्रत्येक घर में एक परिवार रहता है। ये घर गोलाई में बराबर की दूरी पर बने होते हैं। घरों के नीचे की तथा गोलाई की मध्य की भूमि साफ और सुथरी जगह होती है। गाँव के मध्य की भूमि पर सभी समारोह तथा सभाएें हुआ करती हैं। इनके घर लकड़ी के उँचे खम्भों पर बाँस तथा एक प्रकार की घास (लालाँग) से बने होते हैं, इनका आकार एक गुम्बज की तरह होता है, जिसमें ऊपर तथा अगल-बगल प्रकाश या वायु आने के लिये कोई द्वार नहीं होता है। ये मकान पृथ्वी से लगभग ८-९ फीट की ऊँचाई पर होते हैं, वे मोटी बल्लियों के ऊपर एक मचान पर बने होते हैं। इनमें प्रवेश करने के लिये नीचे से एक छोटा सा द्वार होता है जो जमीन से एक सीढ़ी के द्वारा जुड़ा होता है। घर में घुसने के पश्चात् सीढ़ी उपर उठा ली जाती है और द्वार बन्द कर दी जाती है। इन घरों में मचान पर बिछी बाँस की मोटी चटाईयों से हवा आती-जाती है। इन घरोंका भीतरी भाग ठण्डा और अंधकार युक्त होता है।

कार निकोबार द्वीप प्राय : के सभी गाँवों में एक अतिथि गृह होता है जो गाँव से बाहर समुद्र तट पर बनाया जाता है। इसमें कोई भी अतिथि आकर ठहर सकता है। निकोबारी भाषा में इन घरों को 'अलपनाम्' (Alpanam) कहते हैं। इस द्वीप में अतिथि गृह बनाने की प्रथा बहुत प्राचीन है। संभवत : प्राचीन काल में विदेशी व्यापारियों के लिये बनाया जाता था ताकि वे लोग गाँव के बीच न रहें। इन अतिथि गृहों के अतिरिक्त यहाँ के प्रत्येक गाँव में एक प्रसूति गृह होता है जिसमें गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के अन्तिम महीनों में प्रसव के लिये जाकर रहती है। अन्य द्वीपों के गाँवों में ये दोनों व्यवस्थाऐं नहीं पायी जाती हैं। वहाँ बच्चा अपने माँ-बाप के घर में ही पैदा होता है। वर्तमान समय में सरकार की ओर से कारनिकोबार तथा ननकौरी द्वीप में बड़े-बड़े अस्पताल तथा अन्य द्वीपों में जहाँ काफी आबादी है, डिस्पेन्सरियों के खुल जाने से इन प्रसूति गृहों का महत्व प्राय : समाप्त हो चुका है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

निकोबारी परिवार का मुखिया उस परिवार का वृद्ध व्यक्ति होता है। प्रत्येक गाँव का एक प्रधान होता है जिसे कप्तान कहते हैं। मुखिया और कप्तान मिल कर गाँव की समस्याओं का समाधान करते हैं। कप्तान गाँव के समाज का प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसका चुनाव प्राय वंश परम्परा के आधार पर होता है। कार निकोबार द्वीप में गाँव की सारी भूमि कप्तान की समझी जाती है। एक प्रकार से वह जमीदार होता है। परन्तु उसे मुख्य भूमि के जमीदारों की तरह भूमि बेचने का अधिकार नहीं होता है। न तो वह भूमि के किसी भाग को किराये पर दे सकता है और न तो उसकी मालगुजारी ही ले सकता है। गाँव का प्रत्येक परिवार एक इकाई के रूप में नारियल अथवा सुपाड़ी के बगीचे के एक भाग का हकदार होता है और वह उससे उत्पन्न पैदावार का उपभोग करता है। गाँव के प्रायः सभी समारोहों में इन बगीचों की उपज का सामूहिक रूप से प्रयोग होता है। कोई भी पेड़ परिवार तथा कप्तान की राय लेकर ही बेचा जा सकता है।

ग्रैट निकोबार तथा दक्षिणी क्षेत्र के अन्य द्वीपों में भूमि अथवा नारियल, सुपाड़ी के बगीचों पर व्यक्ति अथवा परिवार का अधिकार नहीं होता। उन पर ग्राम निवासियों का सामूहिक रूप से अधिकार होता है। इसके विपरीत चौरा मध्य क्षेत्र द्वीपों में प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार का अपना-अपना बगीचा होता हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति पुत्रों में समान रूप से बाँट दी जाती है। विधवा अपने बड़े पुत्र के साथ रहती है। इनकी सामाजिक, आर्थिक तथा न्याय व्यवस्था का वर्णन 'सर रिचर्ड टेम्पल' ने थोडे शब्दों में परन्तु बडे ही सुन्दर ढंग से किया है। उनके मतानुसार यह व्यवस्था एक लोकतंत्रात्मक प्रशासन है जो रीति-रिवाजों पर आधारित है। [इट इज़ गवर्नमेंन्ट ऑफ सिम्पिल डिमोक्रेसी बाउन्ड बाई कस्टम्स]

न्याय व्यवस्था :—

समाज विरोधी कार्यों जैसे चोरी, हत्या, व्यभिचार झूठ आदि अपरावों के लिये इनके समाज में केवल एक दण्ड है, वह है मृत्य दण्ड। इन द्वीपों में सन् १९५५ ईस्वी तक कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनमें गाँव वालों ने मिलकर किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की हत्या कर डाली, जिसके बारे में उनकी यह धारणा दृढ़ हो गयी थी कि वह व्यक्ति या स्त्री गाँव में फैली बमीरी अथवा किसी बुराई का कारण है। इन हत्याओं को 'डेविल मर्डर' [शैतान की हत्या] की संज्ञा दी जाती थी। चोरी, झूठ तथा व्यभिचार जैसे कार्यों पर मृत्यु दण्ड देने का विरोध' पान-दुन साह" नामक एक कप्तान ने पहले-पहल किया, और उसके विरोध के फल स्वरूप ही अब अपराधी से

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

कम-से-कम तीन सुअर का जुर्माना लेने की प्रथा प्रचलित है। जुर्माना करने का अधिकार केवल मुखियाओं की कमैटी और कप्तान को ही है। दण्ड का निश्चय दोनों मिलकर करते हैं। वर्तमान समय में यद्यपि इन द्वीपों पर भारतीय दण्ड विधान, भारतीय दण्ड विधि संग्रह तथा भारतीय साक्ष अधिनियम लागू हैं फिर भी छोटे मोटे अपराधों का दण्ड ये कमैटियाँ ही देती हैं। कुछ द्वीपों में जो अधिक दूर है इन कमेंटियो तथा कप्तान का प्रभाव बहुत अधिक है।

घरेलू जीवन :—

ये लोग बड़े मनमौजी होते हैं। जब मन आया या आवश्यकता पड़ी काम किया नहीं तो घर पर बैठ कर ही आनन्द मनाते हैं, मछली पकड़ते हैं, समुद्र में तैरते या नाव चलाते हैं। यद्यपि इनमें से बहुतों का आधुनिक सभ्यता से सम्पर्क हो चुका है फिर भी प्रकृति का साहचर्य इन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। दनों में पाये जाने बाले सुअर के मांस तथा फल- मूल और समुद्री मछलियों तथा केंकडों पर आज भी इनका आहार आधारित है। नारियल इनके जीवन के लिये आज भी उतना ही उपयोगी तथा आवश्यक है जितना शताब्दियों पूर्व था। इनके परिवार में पिता का स्थान सर्वोपरि होता है। बहुधा वही परिवार का मुखिया या अगुआ होता है। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी ही होती है। परिवार के लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।

नृत्य :—

कारनिकोबार में बहुधा लड़कियाँ ही नृत्य करती हैं। ये सीधी कतार में खड़ी होकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख रंगीन वेश-भूषा में नृत्य करती हैं। कभी-कभी पुरुष भी आपस में मिलकर वैसा ही नृत्य करते हैं। नृत्य के साथ ये गाते भी हैं। नृत्य करते समय, एक निश्चित गति और ताल से एक साथ पैरों को जमीन पर पटकते और सामने झुकते हुऐ गोलाई में घूमते हैं। ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार में स्त्री-पुरुष एक साथ मिलकर यह नृत्य करते हैं। पुरुष अपने को नृत्य के अवसर पर नारियल के कोमल पत्तों से आकर्षक ढंग से सजाते हैं। रात्रि में यह गाँव के मध्य साफ भूमि पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रकाश के लिये नारियल का छिलका जलाया जाता है। नृत्य करने बाले प्रायः इस आग के चारों तरफ घूमते रहते हैं।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

विवाह प्रथा :—

निकोबारियों अर्थात निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों में विवाह का कोई धार्मिक आधार नहीं है। यद्यपि विवाह में वर और वधू के माता-पिता की इच्छा सर्वोपरि होती है फिर भी लड़का-लड़की का एक दूसरे के प्रति आसक्त होना आवश्यक होता है। विवाहोपरान्त नव- दम्पत्ति या तो अपना नया घर बसाते हैं या लड़के या लड़की के माता-पिता के घर में रहते हैं। लड़के का अपनी ससुराल में या अपने घर में रहना उस परिवार की आवश्यकता पर निर्भर रहता है। यदि लड़की के घर में उसके पिता को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहीं होता तो प्राय: लड़का अपनी ससुराल में ही रहता है। वहाँ रह कर वह अपने स्वसुर के काम काज की देख-भाल करता है।

विवाह विच्छेद [तलाक] की प्रथा भी इन आदिवासियों में प्रचलित है। कच्छाल, ननकौरी, कमरोटा तथा दक्षिणी क्षेत्र के द्वीपों में 'जब तक मन कहे साथ रहो-फिर अलग हो जाओ' के सिद्धान्त का पालन होता है। तलाक देने अथवा स्त्री या पति को छोड़ देने को कोई महत्व नहीं दिया जाता। स्त्री को तलाक देने पर या उसके भाग जाने पर, उससे पैदा हुऐ बच्चे अपने रिस्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। परिवार में सौतेले बच्चों को रखने का रिवाज नहीं है। बाईस वर्ष का लड़का और सोलह वर्ष की लड़की विवाह के योग्य समझे जाते है।

चोरा द्वीप में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह के लिये यह आवश्यक है कि लड़का कम-से-कम तीन सूअर का मालिक हो। दस सूअर, २० गज कपड़ा, २० रुपया, २ चाँदी की चम्मच वाला व्यक्ति धनी समझा जाता है। विवाह के समय चौरा तथा टेरासा द्वीपों में वर-वधू को केसरिया कपड़ा पहन कर तथा सर मुँडा कर एक साथ सात दिनों तक रहना रहना पड़ता है वर अपनी भावी पत्नी के परिवार को भेंट देते हैं और गाँव वाले विवाह के अवसर पर लड़के को भेंट देते हैं। वर्तमान समय में आदिवासी काफी संख्या में ईसाई हो चुके हैं अत: उनमें उपरोक्त रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जाता। गैर ईसाई आदिवासियों में अभी भी प्राचीन प्रथा प्रचलित है।

विवाह के अवसर पर निकोबारियों में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में गांव के लोगों के अतिरिक्त दूसरे गांव के लोगों को भी निमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक निमंत्रित व्यक्ति कम-से-कम पाँच-छ: व्यक्तियों के भोजन के योग्य सुअर का मांस, नारियल, याम, केला आदि निमंत्रण देने वाले के घर लाता है। निमंत्रण देने वाले तथा निमंत्रित व्यक्तियों के द्वारा लायी गई भोजन सामग्री

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

से सहभोज का आयोजन किया जाता है। मेजबान तथा मेहमान सभी एक साथ मिल कर भोजन करते हैं। भोजन के समय ताड़ी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। बाद में लोग चुरुट पीते, सुपाड़ी खाते तथा नाचते गाते हैं। चुरुट ये स्वयं तैयार करते हैं। इन उत्सवों में निमंत्रण देने वाले परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, जो इनके समाज की विशेषता है। निमंत्रण देने वाला व्यक्ति गले में फूलों का या नारियल की कोमल पत्तियों का हार पहन कर घर-घर जाकर निमंत्रण देता है। निमंत्रित व्यक्ति निमंत्रण स्वीकार कर लेने पर, निमंत्रण देने वाले व्यक्ति की बड़ी खातिरदारी करता है।

गर्भवती स्त्री तथा उसके पति को प्रसव होने तक की अवधि में कठोर कार्य करने की मनाही होती है। इस अवधि में किसी टूटी वस्तु को नहीं जोड़ते हैं। इनके विश्वास के अनुसार ये बातें पीड़ायुक्त प्रसव या मृत्यु का कारण बन सकती हैं।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

त्यौहार और समारोह

निकोबारियों के जीवन का आधार दावत खाना, खिलाना और समारोह मनाना है। यों तो ये वर्ष भर ही प्रत्येक महीने में कोई न कोई समारोह मनाते ही रहते हैं किन्तु उनमें भी निम्नलिखित समारोह महत्वपूर्ण हैं :—

१—**का-ना-हा-उन** :— यह समारोह विशेषकर निकोबार द्वीप में क्रम से प्रायः सभी गाँवों में मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक गाँव के लोग निमन्त्रित किये जाते हैं। भोज में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्ति अपने घर से ५-६ व्यक्तियों की योग्य भोजन सामग्री लाता है। सभी सामानों को इकट्ठे बना कर सब एक साथ भोजन करते हैं। बाद में ताड़ी पीना, नाच, गाना आदि होता है। इस समारोह का आधार सामाजिक, है धार्मिक नहीं। विभिन्न गावों के निवासियों में सौहार्द्र तथा सह-अस्तित्व की भावना प्रसार करना ही संभवतः इस समारोह का उद्देश्य है।

२—**नौका-प्रीति-भोज** :—निकोबारी अपनी नौकाओं को जिन्हें ये अपनी भाषा में 'हीरो' कहते हैं, चौरा द्वीप से लाते हैं। नौका लाने पर प्रचारित प्रथा के अनुसार इनकी रक्षा के लिए पूजा की जाती है। इस पूजा का उद्देश्य, इनके विश्वास के अनुसार, नाव की रक्षा करने वाली आत्माओं को प्रसन्न और संतुष्ट करना है।

इस अवसर पर प्रीति भोज भी होता है। इस उत्सव के आरम्भ होने के कुछ दिन पहले से सुअरों को खिला कर मोटा किया जाता है। समारोह के दिन उन्हें एक-एक करके बाहर मैदान में निकाल कर प्रत्येक सूअर के साथ एक-एक निकोबारी बारी-बारी से लड़ता है। इस प्रकार लड़ाई में मारे जाने वाले सूअर के मांस को पका कर खाया जाता है। उसके रुधिर को प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने शरीर पर छिड़कते हैं फिर सामूहिक रूप से नाच-गाना आरम्भ होता है। ये एक साथ बैठकर 'अल्पानाम' में भोजन करते हैं तथा उस समय खुल कर ताड़ी का प्रयोग करते हैं।

३—**नौका-दौड़**—जब गाँव वालों के पास कोई काम नहीं होता या कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तब ये अपनी-अपनी 'होरी' जो हल्की है, लेकर समुद्र में

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

जाते हैं और नौकाओं की दौड़ होती है : इस प्रतियोगिता में पार्टियां सम्मिलित होती हैं। इस दौड़ में कोई व्यक्ति अकेला भाग नहीं ले सकता है। यदि किसी पार्टी की नाव काफी दूर आगे निकल जाती है तो वह अपनी नाव को रोक कर पिछली नावों की प्रतीक्षा करती है और फिर दौड़ शुरू की जाती है। इस दौड़ में कोई बाजी नहीं लगायी जाती है।

४—**कुश्ती** :—निकोबारी कुश्ती के शौकीन होते हैं। ये समुद्र के किनारे खुली हवा में बालू में कुश्ती लड़ते हैं। इसमें केवल खेल की भावना ही प्रधान रहती है, किसी को हरा कर नीचा दिखाने की भावना नहीं रहती है।

इनके उत्सव तथा समारोह का मूल आधार खेल, खुशी, आपसी सहयोग तथा सद्भाव है। उपरोक्त समारोहों के अतिरिक्त ये लोग प्रत्येक महीने में कोई-न-कोई त्यौहार मनाते हैं। इन त्यौहार का महीनों के अनुसार निम्नलिखित वर्णन है :—

जनवरी :—इस महीने में गाँव वाले सड़ी-गली पत्तियों को इकट्ठा कर समुद्र तट पर जलाते हैं।

फरवरी :—इस महीने में गृह देवता की पूजा की जाती है। इसके लिये मीठे पानी की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उनमें से एक छोटी मछली को एक पतले बाँस में बांध कर घर के सामने टांग देते हैं। इनके विश्वास के अनुसार घर में रहने वाली आत्मा सन्तुष्ट होती है।

मार्च :—यह महीना समुद्र की मछलियों में निवास करने वाली आत्माओं को प्रसन्न करने का होता है। रात में ये लोग मशाल जलाकर अपनी 'हीरो' पर बैठ कर समुद्र में जाते हैं। प्रकाश देख कर एक प्रकार की गोल मछली 'हीरो' के समीप आती है जिसे ये लोग भाले से मारते हैं इस मछली को काट कर नारियल के नये पेड़ पर टांग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि सागर की मछलियों के समान नारियल में भी वृद्धि हो। इनमें से तीन मछलियों को एक अलग झोंपड़ी में टांगते हैं इसे 'केला-ओकपाती' कहते हैं।

अप्रेल :—इस महीने में अग्नि उत्सव मनाया जाता है। सारी रात नारियल के छिलके को जलाकर गाँव की बीच की भूमि पर प्रकाश किया जाता है और रात भर नृत्य-गान होता रहता है। कभी-कभी कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मई—इस महीने में 'कुम-सि-युरो' नामक त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर नारियल के तेल में पके हुए याम और केले का हलुआ बनाया जाता है। यह रात भर पकता रहता है। गाँव का प्रत्येक परिवार प्रायः एक सूअर मारता है और इसके रक्त को एक डण्डे पर छिड़क दिया जाता है। घरों को चारों तरफ से सजाया जाता है और इसी समय घर सजाने वाले एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, 'यह वर्ष शुभ हो।'

दूसरे दिन आराम करने तथा खेलने-कूदने का दिन होता है। नवयुवक तथा बच्चे नारियल को भाले से बींधने का खेल खेलते हैं। इस खेल में सब एक कतार में खड़े हो जाते हैं। सामने से एक आदमी उनकी तरफ कच्चे नारियल बारी-बारी से फेंकता है जिसे वे क्रमानुसार बींधते हैं। सागर तट पर इस खेल को खेलने के पश्चात् वे घर लौटते हैं। तीसरे दिन ये सुअर के शिकार को निकलते हैं। यह उत्सव का अंतिम दिन होता है।

जून—इस महीने में कोई त्यौहार नहीं होता है।

जुलाई—यह महीना दुष्ट आत्माओं को भगाने का होता है। इसमें पुराने ओझा, जिन्हें निकोवारी भाषा में 'ता-मि-लुआ-ना' कहते हैं, पूजा करके गाँव के दुष्ट आत्माओं को एक वेड़े पर विठा कर समुद्र में बहा देते हैं। इस कार्य के लिए ओझा को गाँव का प्रत्येक परिवार एक मुर्गा या एक सुअर अवश्य देता है। 'ता-मि-लुआ-ना' पहले कुछ दिन 'मा-आ-फाई' (नया ओझा) रहता है। कुछ दिनों के अनुभव के बाद वही 'ता-मि-लुआ-ना' कहलाने लगता है।

अगस्त—इस महीने में निकोबार द्वीप के पूर्वी तट पर सागर के शान्त होने का त्योहार मनाया जाता है। इसमें लोग डोरी काँटे से समुद्र में मछली मारते हैं। मछलियों को कभी-कभी घर की दिवारों पर भी टाँग देते हैं।

सितम्बर— इस महीने में अगस्त महीने का त्योहार द्वीप के पश्चिमी तट पर मनाया जाता है।

अक्टूबर—इस महीने में ग्रामवासी एक साथ मिलकर धूम-धाम से 'अल्प-नाम'' में बरगद का पेड़ रखते हैं। उनका विश्वास है कि इससे दक्षिण-पश्चिम हवा का रुख उत्तर-पूर्व को हो जायगा।

नवम्बर—जुलाई की भाँति ही इस महीने में त्योहार मनाया जाता है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

विश्वास के अनुसार इस महीने में 'ता-मि-लुआ-ना' दुष्ट आत्माओं को मार कर समुद्र में बहा देता है।

दिसम्बर— इस महीने में ग्रामवासी सागर तट पर सड़ी-गली पत्तियों को जमा करते हैं। विश्वास के अनुसार ऐसा करने से दुष्ट आत्माएं भागती हैं तथा कोई बीमारी नहीं होती है।

मान्यताएँ—निकोबारियों की आत्मा के प्रति कुछ अपनी मान्यताएँ हैं। ये लोग 'माँ-आ-ला-हा' नामक आत्मा को मानते हैं। इसका अर्थ है, 'मांस का देवता'। विश्वास के अनुसार यह आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में रहती है और मृत्यु के पश्चात् आत्माओं के देश में चली जाती है। 'सिया' नामक आत्मा बुरी और कष्ट देने वाली होती हैं। निकोबारियों पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये ओझा के द्वारा 'मा-आ-ला-हा' का आवाहन कर 'सिया' नामक दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। इस अवसर पर ये अपना सिर मुड़ाते हैं तथा आग जलाते हैं।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

मृत्यु-संस्कार

निकोबारियों में मृत्यु के पश्चात् मृतक के शरीर को 'लकड़ी की तिक्ती' पर सीधा लिटा कर कपड़े से बाँध दिया जाता है। हृदय का स्थान खुला रखा जाता है। ताकि 'मा-आ-लाहा' शरीर से निकल कर बाहर जा सके। कुछ देर के पश्चात् शव को लकड़ी के बक्से में रखा जाता है। इस बक्से को उपहारों के साथ कब्र में गाढ़ दिया जाता है। उपहारों की संख्या से मृतक के प्रति प्रकट किए गए शोक की मात्रा का अनुमान किया जाता है।

चौरा द्वीप को छोड़ कर प्रायः सभी द्वीपों में सात दिन के बाद शव को कब्र में से निकाल लिया जाता है। चौरा में साधारण व्यक्ति के शव को तीन दिन के बाद ही निकाल लिया जाता है तथा अन्य के शव को सात दिन के बाद निकालते हैं। निकाले हुए शव को एक खम्भे से बाँधते हैं और समुद्र तट पर बने एक चार फीट ऊँचे मचान पर ले जाकर रख देते हैं। वहाँ उसे सड़ने दिया जाता है। बच्चों के शव को नहीं गाड़ा जाता है, बल्कि उसे जंगल में ले जाकर एक मचान पर रख देते हैं। शव के सड़ जाने के पश्चात् मृतक की खोपड़ी को उसके घर वाले अवसर पूजा के लिए उठा कर ले जाते हैं। शव को कब्र में से निकालने पर प्रीति-भोज का आयोजन किया जाता है। कहीं-कहीं शव को उस समय निकाला जाता है, जब मृतक का परिवार भोज का आयोजन करने के योग्य हो जाता है। मृतक की कब्र में तथा कब्र के ऊपर मृतक की सभी चीजें रख दी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन वस्तुओं को लेकर मृतक के कुटुम्बियों में झगड़ा न हो। चौरा द्वीप में मृतक की कीमती वस्तुओं को परिवार के संग्रहालय में रख दिया जाता है।

मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति को घर से उठा कर 'मृत्यु-गृह' में समुद्र के किनारे लाकर रख देते हैं। मर जाने पर गाँव की प्रत्येक टोली दो गज लाल और दो गज सफेद कपड़ा देता है। लाश को नारियल के पानी से धोकर कपड़े में लपेट दिया जाता है। प्राचीन काल में लाश को चाँदी के तारों से

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

लपेटा जाता था। लाश को दो व्यक्ति उठा कर घर के मचान से नीचे लाते हैं। वहाँ गाँव वालों तथा मृतक के परिवारीजनों में झगड़ा होता है। गाँव वाले लाश को कब्रिस्तान ले जाना चाहते हैं और परिवार वाले गाँव में। कुछ देर के बाद गाँव वाले विजयी माने जाते हैं और लाश को कब्र तक लाया जाता है। कब्र में डालने से पूर्व लाश के हृदय पर मुर्गी या सुअर को भाला भौंक कर खून गिराते हैं फिर उसे लाश के साथ कब्र में गाड़ देते हैं। मृतक की बीमारी के समय की सभी वस्तुओं को जला डालते हैं तथा उसकी नाव (होरी) को तोड़ कर समुद्र में डाल देते हैं।

लाश को दफनाने के बाद मृतक का नाम नहीं लिया जाता है। यदि मृतक व्यक्ति के नाम का कोई अन्य व्यक्ति गाँव में रहता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। मरने वाले व्यक्ति के घर के सामने एक इन्च गोलाई का एक खूँटा जमीन में इतना गाड़ा जाता है कि उसका ऊपरी भाग पृथ्वी से २-३ फीट बाहर रहे। खूँटे के ऊपरी भाग में एक छेद कर दिया जाता है। मृतक के घर में कुछ दिन शोक मनाने के पश्चात् जब भोज दिया जाता है तब खूँटे के उस छेद में एक पतला डण्डा डाल कर उसमें चमचा तथा सुअर का कच्चा माँस लटका दिया जाता है। मुर्गी के बच्चे को जीवित कब्र पर जला दिया जाता है। यह काम तब तक नहीं किया जाता, जब तक इनका नाचना, गाना, जर बनाना, सफाई करना आदि सभी काम बन्द रहता है। इस समारोह को शुद्धि समारोह कहते हैं। गाँव के बड़े पंचायती गृह में भी सूर्यास्त के बाद एक दावत होती है। उस समय दरवाजे पर एक टोकरी में सुअर का मांस रख कर लटका देते हैं और सुबह होने पर उस माँस को समुद्र में फेंक देते हैं। कब्र के सिरहाने पर स्मृति स्वरूप एक बाँस का खम्भा गाड़ा जाता है।

तीन-चार वर्ष में एक बार मृतक के श्राप से बचने के लिए एक बड़े प्रीति-भोज का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारी दस महीने पहले से ही की जाती है। भोज की तारीख निश्चित हो जाने पर बाहर के सभी गाँवों में भी इसकी सूचना दे दी जाती है। गाँव के मध्य में एक दस फीट ऊँचा पेड़ काट कर गाड़ दिया जाता है और उसमें खाने की चीजें टाँग दी जाती हैं। तीन माह पूर्व से ही गाँव की सफाई तथा समुद्र तट की सफाई आरम्भ कर दी जाती है। इस अवधि में सूअर को नहीं मारा जाता है। गाँव में एक बड़े बाँस के पिंजड़े में दस-बारह सूअर रखे जाते हैं। निमन्त्रित व्यक्ति अपने घर से जीवित सूअर को बाँस में लटका कर तथा नारियल की पत्तियों से सजा कर रास्ते में पड़ने वाले गाँवों में घुमाते हुए

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

आते हैं। ये सारी रात गड़े खम्भे के चारों तरफ नाचते-गाते रहते हैं और तीसरे दिन खम्भे को काट कर, लटकी हुई खाने की चीजों को जंगल में फेंक दिया जाता है। उसी दिन सूअरों को मारा जाता है, उसमें से एक सूअर की आँत और कुछ माँस खम्भे के स्थान पर नारियल के पत्ते पर रखा जाता है। अन्य मारे हुए सूअरों को नारियल के पत्तों में लपेट कर आग में भूनते हैं। दोपहर में भोजन के बाद बाहर से आये व्यक्तियों को थोड़ा-थोड़ा माँस नारियल के पत्तों में लपेट कर दे दिया जाता है।

मृतक को दफनाने के सातवें दिन लाश निकाली जाती है, कुएँ से पानी लाया जाता है और कब्र के चारों ओर नारियल की पत्तियों का घेरा बनाया जाता है, जिसका द्वार जंगल की ओर होता है। इस द्वार से होकर मृतक की हड्डियाँ जंगल में फेंक दी जाती हैं। परन्तु अमीर मृतक की हड्डियों को कपड़े में लपेट कर वहीं गाड़ दिया जाता है। तत्पश्चात् सभी समुद्र में स्नान करते हैं जिसका अर्थ शुद्धिकरण है।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

पैदावार तथा व्यापार

इन द्वीपों की मुख्य पैदावार नारियल, सुपारी, याम तथा केला है। ये लोग अपना अधिकांश समय नारियल की गरी तथा सुपारी सुखाने में लगाते हैं। पहले ये लोग मलाया आदि के व्यापारियों को खुदरा रूप में नारियल, सुपारी बेचा करते थे। सन् १९४९ तक इन द्वीपों में व्यापार करने की कोई सुविधा नहीं थी। विदेशी व्यापारियों द्वारा इनसे मनमानी कीमत पर नारियल, सुपारी आदि खरीदना रोकने के लिए भारत सरकार ने मैसर्स आकूजी जाडवेट कंपनी को इन द्वीपों में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इस कम्पनी ने प्रायः निकोबार के सभी द्वीपों में अपनी अपनी कैन्टीनें खोल रखी हैं जहाँ आदिवासी अपने नारियल तथा सुपारी ले जाकर बेचते हैं और अपनी आवश्यकता की चीजें लेते हैं।

वर्तमान समय में कार निकोबार द्वीप के निवासी अपने गाँव की 'पनाम-हेनेङ्ग' नामक ग्राम सहाकारी समिति को जिसके ये सदस्य होते हैं, बेच देते हैं। यह समिति प्रत्येक परिवार के द्वारा बेचे गये नारियल और सुपारी का हिसाब रखती है और उपर्युक्त कम्पनी को बेच देती है। यही समिति कम्पनी से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुऐं लेती है और ग्रामीणों को उनसे प्राप्त वस्तुओं की कीमत की सीमा तक दे देती है। कार निकोबार द्वीप के गाँवों में इन समितियों की स्थापना में तत्कालीन चीफ कमिश्नर श्री आई० मजीद तथा असिस्टेन्ट कमिश्नर श्री बी० एन० शर्मा का प्रमुख हाथ रहा है। अन्य द्वीपवासी कैन्टीनों से व्यापार विनिमय के आधार पर अपने खाने-पीने की तथा अन्य वस्तुएँ खरीद लाते हैं। ये लोग आपस में भी एक दूसरे के हाथ वस्तुऐं बेच कर अपनी आवश्यकता की वस्तुयें लेते हैं।

ग्रेट निकोबार में लकड़ी की अधिकता के कारण वहाँ के आदिवासी बड़ी नावें (होरी) बनाने में निपुण होते हैं। ये नावें समुद्र में आसानी से बहुत दूर तक जा सकती हैं। चौरा द्वीप के निवासी इन नावों को अपने यहाँ ले जाकर उन्हें और अधिक सुदृढ़ तथा सुन्दर बना देते हैं। दूसरे द्वीपों के निवासी चौरा द्वीप से ही नाव खरीदते हैं। टेरासा द्वीप में बर्तन बनाने की मिट्टी पायी जाती है। चौरा

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

निवासी यहीं से मिट्टी ले जाकर बर्तन बनाते हैं। इनके अलावा अन्य द्वीप के निवासियों के बर्तन बनाना वर्जित है। इनके विश्वास के अनुसार केवल इसी द्वीप (चौरा) के कारीगरों के द्वारा बनाये गए बर्तनों में ही आत्माएँ भोजन करती हैं। ये बर्तन यद्यपि हाथ से बनाये जाते हैं परंतु सुन्दर, सुघड़ तथा मजबूत होते हैं। कुम्हार के चाक की भाँति इनके यहाँ कोई वस्तु नहीं होती है।

वर्तमान समय में सभ्यता का प्रकाश इनमें से अधिकांश पर पड़ चुका है, फलस्वरूप ये भी आधुनिक वस्तुओं का पूर्ण रूप से प्रयोग करने लगे हैं।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

शोम्पेन जाति

यह जाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। इसमें दो वर्ग हैं। एक वर्ग समुद्र तट पर वनों में रहता है और और दूसरा वर्ग द्वीप के अन्दर पहाड़ों पर रहता है। पहाड़ों पर रहने वाले वर्ग के लोग सागर तट पर रहने वालों से कद में छोटे होते हैं। इनका रंग कुछ अधिक काला और बाल कुछ के घुंघराले और कुछ के सीधे होते हैं। इनकी मुखाकृति निकोबारियों से भिन्न होती है। समुद्र तट पर रहने वालों की मुखाकृति निकोबारियों से मिलती है। इन्हें 'मावाज शोम्पेन' (पालतू शोम्पेन) कहते हैं। ये लोग द्वीप के निचले भाग में जुबली, डागमार, ऐलेकजेन्ड्रिया और गलाथा (गंगा) नदियों के किनारे बसे हुए हैं। पहाड़ों पर रहने वाले शोम्पेन अक्सर नीचे रहने वालों पर हमला किया करते, लूटते तथा उन्हें मार डालते हैं। तटवर्ती शोम्पेन की भाषा में मलय भाषा के शब्दों की प्रचुरता है, किन्तु बोलने में वे उसे तोड़-मरोड़ कर बोलते हैं। इनके विषय में दो धारणाऐं प्रचलित हैं। एक धारणा के अनुसार ये लोग उन अण्डमानियों के वंशज हैं, जो १६ वीं या १७ वीं शताब्दी में, काफी संख्या में नावों के द्वारा निकोबार द्वीप पर आक्रमण करने के लिए आये थे परन्तु फिर वे वापस नहीं जा सके। दूसरी धारणा के अनुसार ये लोग उन द्रविड़ों के वंशज हैं जो चोल राज्य के समय जलयानों के द्वारा इन द्वीपों पर आधिपत्य करने के लिए आए थे किन्तु अनेकों कठिनाइयों के कारण से लौटने में असमर्थ होकर यहीं बस गये।

निवास और भोजन

ये लोग साधारण रूप से बनी झोंपड़ियों में रहते हैं और एक प्रकार की नरकुल (नरकन्डा) से चटाई बनाकर जमीन पर बिछाते हैं। ये झोंपड़ियाँ तीन से सात या आठ फीट ऊँची होती हैं। सोने के लिए मचान होता है। ये लोग जब तक फल और शिकार मिलता है, तब तक एक ही स्थान पर रहते हैं और समाप्त होने पर स्थान-परिवर्तन करते हैं। इनके भोजन में सुअर, कछुआ, मछली, साँप, गोह, मगरमच्छ और शहद की प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त ये केला, याम, पन्डानुस, नारियल और कन्दमूल भी खाते हैं। ये पान-सुपाड़ी खाने के बड़े शौकीन होते हैं और इसी कारण इनके दाँत बहुत काले और होंठ भद्दे होते हैं।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

समुद्र के किनारे के घोंघों को जला कर ये पान में खाने का चूना बनाते हैं। इन्हें कत्थे की जानकारी नहीं है।

नदियों के किनारे रहने पर ये सिर्फ निर्मल सोते का ही जल पीते हैं। स्नान करने के ये इतने शौकीन होते हैं कि नदियों अथवा नाले के किनारे पहुँचते ही झट पानी में कूद पड़ते हैं। ये धनुष चलाना नहीं जानते हैं। सूअर का शिकार ये फंदा लगा कर या कुत्तों की मदद से करते हैं और मछली का शिकार भाले से या बाँस की बनी जाली से करते हैं। कभी-कभी ये लोग एक प्रकार की जंगली लता की छाल को पानी में मिला कर उसे विषैला बना कर मछली मारते हैं।

मावा शोम्पेन बगीचा लगाने के बड़े शौकीन होते हैं जो नदी के किनारे लगाये जाते हैं। इन बगीचों में केला, नारियल, सुपारी, याम तथा पन्डानुस के पेड़ होते हैं।

निकोबारियों की भाँति इनका भी, पन्डानु मुख्य आहार है। इसे ये नाव की तरह के एक ऐसे बर्तन में पकाते हैं जो पाँच फीट लम्बा, दो-ढाई फुट ऊँचा और दो फीट चौड़ा होता है।

वेश-भूषा

इनके स्त्री-पुरुष दोनों ही नंगे रहते हैं। इनकी स्त्रियाँ पेड़ की छाल से बनी कोपीन पहनती हैं जो छह से आठ फीट लम्बी और ढाई फीट चौड़ी होती है। कुछ शोम्पेन कान में बाँस की बालियाँ पहनते हैं। विशेषकर जुबली नदी के किनारे रहने वाले शोम्पेन, जिन्हें 'अकेन्स' (Akanys) कहते हैं, वे बालियों का प्रयोग करते हैं। पहाड़ पर रहने वाले शोम्पेन मूँगें की माला पहनते हैं। तटवर्ती शोम्पेन अब कपड़ों का व्यवहार करने लगे हैं जो इन्हें निकोबारियों से मिलता है। ये लोग नाव (होरी) बनाने में निपुण होते हैं। ये नाव बेचने पर, निकोबारियों तथा चौरा निवासियों से कपड़े, सूअर आदि अन्य आवश्यक वस्तुएँ लेते हैं। शस्त्र के नाम पर इनके पास केवल भाला होता है जिनमें कुछ की नोंक लोहे की होती है। अधिकतर ये भाले बेंत वा बाँस के बने होते हैं।

परिवार-व्यवस्था

इनके एक परिवार में लगभग १०-१५ व्यक्ति होते हैं। वृद्ध व्यक्ति परि-

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

वार का प्रधान होता है। एक पुरुष की एक स्त्री होती है। प्रत्येक दम्पति अपने बच्चों के साथ अलग बनी झौंपड़ी में रहता है। अन्य सम्बन्धी समीप ही झौंपड़ी में रहते हैं। एक गाँव में अधिक-से-अधिक छह परिवार होते हैं। इनकी औसत आयु लगभग ५० वर्ष की होती है। स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं। इनकी स्त्रियों के सिर पर घने ओर लम्बे केश होते हैं। पुरुषों के चेहरे पर बाल नहीं होते।

O

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

वर्तमान निकोबार द्वीप समूह

वर्तमान समय में ये द्वीप समूह अण्डमान द्वीप समूह की भाँति ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। जापानी सेनाओं के आधिपत्य काल में इन द्वीपों में भी काफी क्षति हुई। सन् १६०१ में इन द्वीपों की आबादी ६५११ थी। जनसंख्या का प्रति दस वर्ष का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

सन्		आबादी
१६११	—	८८१८
१६२१	—	६२७२
१६३१	—	१०,२४०
१६४१	—	१२,४५२
१६५१	—	१२,००६
१६६१	—	१४,५६३

सन् १६६१ की जन गणना के अनुसार, यहाँ १०,५५५ ईसाई, ३५२ हिन्दू, ४७८ मुसलमान और ३२७२ अन्य धर्मावलम्बी थे। ईसाईयों में अधिकांश संख्या उन आदिवासियों की है जो ईसाई धर्म को मान चुके हैं। इस धर्म का प्रचार चर्च औफ इंगलैण्ड के प्रतिनिधि बिशप रिचर्डसन के संरक्षण मे होता है। ये निकोबार के ही आदिवासी हैं। हिन्दुओं में अधिकांश प्रशासन के कर्मचारी हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ी संख्या आखुजी जाडवेट कम्पनी के कर्मचारियों की है और थोड़ी संख्या उन निकोबारियों की है जो इस कम्पनी के प्रभाव में आकर मुसलमान बन चुके हैं। अन्य धर्मावलम्बियों में वे ही आदिवासी हैं जिन्होंने अपनी प्राचीन परम्परा नहीं छोड़ी है।

इन द्वीप समूहों में स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में भी बड़ी प्रगति हुई है। इस समय यहाँ दो अस्पताल और १० डिस्पेन्सरियाँ हैं। कार निकोबार का अस्पताल २० जुलाई, सन् १६४६ में और नानकौरी का अस्पताल १ अप्रैल, सन् १६५७ में खोला गया था। इनमें बिस्तरों की संख्या क्रमशः ७० और ३० है। कार निकोबार के अस्पताल के ७० बिस्तरों में ३० पुरुषों के लिए, २६ स्त्रियों के लिए और १४ बिस्तर बच्चों के लिए हैं। बड़ालपाती (कार

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

निकोबार), अरौंग (का० नि०), ग्रेट निकोबार, वेस्ट वे कछाल, टेरासा, पीलो मीलो, पिलपिलो, ककना, ईस्ट बे कछाल और कोन्डल में डिस्पेन्सरियाँ हैं। कार निकोबार में मवेशियों का भी एक अस्पताल है। नानकौरी में मलेरिया तथा फाइलेरिया निरोधक केंद्र की स्थापना की गई है जिसकी एक शाखा कार निकोबार में भी है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इन द्वीपों में काफी प्रगति हुई है। वर्तमान समय में यहाँ एक हायर सेकेन्डरी मल्टी परपज स्कूल, एक सीनियर बेसिक स्कूल, दस जूनयिर बेसिक स्कूल, तीन प्राइमरी स्कूल, दो शिक्षकों के तथा सात प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक के हैं। इन स्कूलों में ११०१ छात्र-छात्राएँ तथा ५७ शिक्षक हैं। यहाँ की शिक्षा का माध्यम हिंदी है। निकोबारी लगन के साथ हिंदी पढ़ते तथा बोलते हैं।

निकोबारियों की भाषा 'मानअनाम वर्ग' (Mon–Annom Group) की 'मान–खमेर' (Mon–Khmer) भाषा है। इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। ईसाई पादरियों के प्रभाव के फलस्वरूप अब ये लोग निकोबारी भाषा को रोमन लिपि में लिखने लगे हैं। यह भाषा देवनागरी लिपि में भी बड़ी सरलता से लिखी जा सकती है। कार निकोबार के भूतपूर्व असिस्टेंट कमिश्नर श्री बी० एन० शर्मा जो यहाँ सन् १९४८–४९ में थे, सम्भवतः वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होने निकोबारी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने तथा उसकी प्राथमिक पुस्तक छपवाने का प्रयास किया। इन्होंने इन आदिवासियों के बच्चों से प्रसिद्ध भारतीय गाथाओं के नाटक कराये और इस प्रकार उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास किया। निकोबार के स्कूलों में राष्ट्रीय गीत गाने और 'जयहिंद' शब्द प्रयोग करने का प्रचलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ।

o

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ओंगी भाषा के शब्द

मेरे मित्र श्री हरिनारायन अग्रवाल, एम० ए० ओंगियों के मध्य १९६४ ई० में डेढ़ माह और सन् १९६५ ई० में ४ माह रहे। अपने इस आवास-काल में उन्होंने ओंगियों के कुछ शब्दों का संग्रह किया था। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

	ओंगी शब्द	अर्थ
१	बारनोई	तीर
२	ओनीबिले	हथियार
३	अनडाले	बाँस
४	जाजे (गागे)	छाती
५	इचुअी–डाँगे	हड्डी
६	इबी–डानगे	ठुड्डी
७	इन जोहे	पीना
८	तुतानो	मिट्टी
९	इकवोबा	कान
१०	ओनिलो–क्कोलेबे	खाना
११	ओनिजे बोई	आँख
१२	मोमे	उँगली
१३	मूगे	पैर
१४	आवडे	बाल
१५	मोमे	हाथ
१६	बेडाई	मकान
१७	डोई–ई	लोहे का बेलचा
१८	मोके–डुंगे	उँगली का नाखून
१९	योलावले	केले का पेड़
२०	बूचू	बरतन
२१	इचेले	सड़क

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

२२	गगाबाछे	गाना गाना
२३	अहावेलाके	दौड़ना
२४	ओमो कावे	सोना
२५	इचीवे	छींकना
२६	ओनाकांगे	थूकना
२७	क्वाने	तैरना
२८	चीलोमे	चन्द्रमा
२९	येंके	सूरज
३०	माकत्रे	दाँत
३१	तूगे	पानी
३२	बानत्रे	रोना
३३	डाँगे	डोंगी
३४	कमोलन	इधर आओ
३५	जा	जाओ (कुत्ते के लिये)
३६	जेजे	दाद
३७	जिलाय	दाद का मलहम
३८	जौलेय	केले का पेड़
३९	जूगे	जोंक
४०	जुगेन	एक प्रकार का फल
४१	जुलेबे	सुअर के बाल जलाने के लिये आग पर रखना।
४२	कैटोवे	बच्चे का जन्म
४३	काये	माँ
४४	कामे	बेंत की सोने की चटाई
४५	कोयबोय	रस्सी बनाने के काम आने वाली पेड़ की छाल
४६	केकाले	काला चुगलम का पेड़
४७	केटाकोवाकाका	औषध बनाना
४८	केटांगा (केटाँगा टायरा)	दर्पण
४९	केटेंले	कछुये का अण्डा ढूँढ़ने वाली लकड़ी की छड़ी
५०	कुलांगे	पानी का सोता

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

५१	काह	दो (देना)
५२	काकाये कुए	सितारे (जुगनू)
५३	काओ	लो (लेना)
५४	ककोयेवे	पानी में तैरना
५५	कोय	पानी का चश्मा
५६	को आय कोवा	छोटा टिन का डिब्बा (सिगरेट का)
५७	को आ–कूगे	सेमल की रुई
५८	को आ कूजे–ओटो	सेमल का बीज
५९	कोआलाई	विधुर
६०	कुयेगिरी (कोचेआँगे)	सुअर की चर्बी
६१	कोयवे	पेड़ की छाल
६२	कोयेचोआवे	खड़ा होना
६३	कोलाबोय	कपड़ा
६४	गेरो	लाल कपड़ा
६५	कायो	नीला कपड़ा
६६	टोयेकाला (केला)	सफेद कपड़ा
६७	तोमेला	हरा कपड़ा
६८	कोलेवे	कौआ
६९	कोये	नाचने का सामान
७०	कोकोबो ओके	बड़ा कुत्ता
७१	कोनामे	वेस्ट वे की एक पंचायती झोंपड़ी
७२	को ओंगे	साँप
७३	कोराले	ओंगिओं का अस्थायी कैम्प
७४	कोरीगे	छोटा उल्लू
७५	तोरोकावे	सुअर का शिकार करना
७६	कोटोले	एक प्रकार का केकड़ा
७७	कूबूंरागे	बन्दूक (पानी पीने का बाँस का बर्तन)
७८	कुये	सुअर
७९	कुलाटेवे	दाँत काटना
८०	कुरागे	मछली मारने का लोहे का काँटा
८१	उरे	जलाने की लकड़ी
८२	कुदू	बड़ा (सब)

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

८३	ला	चाकू
८४	लावानोर (डुगाँग)	माला
८५	लामटोरा	उत्तरी-पूर्वी तट पर की पंचायती झौंपड़ी
८६	लाजावे	पैर फैला कर बैठना
८७	लाया लाया	लाल चीटियाँ
८८	लेजेमोयेवे	घुटनों को दोनों हाथों में बाँध कर बैठना
८९	ले	शहद
९०	लेगाँवो	वहाँ
९१	लीगूकी	शहद की बड़ी मक्खी
९२	लीराँगे	मछली मारने का तीर
९३	लंगोटी	मग (Mug)
९४	लूलेरा	जंगल की पंचायती झौंपड़ी
९५	मा	मुझे (मुझको)
९६	माचेला	मिर्च
९७	मायेरा	बच्चा
९८	मागी चेबे	मेरा आदमी (शौहर)
९९	माइको मेइको	मेरा
१००	माकोयगे	थूकना
१०१	माम वेयेगे	मेरा ससुर
१०२	माँगा चेवे	मेरी स्त्री
१०३	मारेइ को आगे	पंडानुस (फल)
१०४	मारेले	नारियल
१०५	मारेले येटाँगे	नारियल की गिरी
१०६	मेतेलानका	मेरा छोटा भाई या बहिन
१०७	मेताके	आगे जाओ
१०८	मी (माय)	मैं
१०९	मेवेलाम्बा	थप्पड़ मारना
११०	मोमीटागे	जीजा
१११	मोटोलौगा	यहाँ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

	ओंगी शब्द	अर्थ
११२	मोयकुटा (मेकेंव्टा)	मेरा बड़ा भाई या बहिन
११३	मूलीटागे	ससुर (औरत का)
११४	नाचूगे	पश्चिमी तट पर पंचायती झोंपड़ी (एक नाले का नाम)
११५	नाकूनेगे	ओंगी स्त्रियों के गुप्तांग के सामने लटका हुआ रेशों का गुच्छा
११६	नामे	आग बनाना
११७	नानाटान दोमामेवे	मैं भूखा हूं।
११८	अना टेक बे	यहाँ बैठो
११९	नान टी नाले	स्त्री गुप्तांग या स्त्री समागम
१२०	नोर	हाँ
१२१	नारालाँगे	कछुआ
१२२	नोरमाँ	नहीं
१२३	नोरटाको आँगे	नाटीलस शंख
१२४	नेनाले	मछली नहीं है
१२५	नेगेनोरा	मक्खी
१२६	नगी (नेगे)	तुम
१२७	नोकाकार्लेई	सफेद निकोबारी कबूतर
१२८	नोनोबे	माँ का स्तन पीना
१२९	अवेवे	गिर पड़ना (नीचे गिरना)
१३०	ओयेगे	सीरेना शेल (घोघा)
१३१	ओयागिली	लोहा
१३२	ओ आ कोवे	अपने हाथ मोड़ लो (चिमटा)
१३३	ओ आ नावे	चिल्लाना
१३४	ओ आटे काला	अण्डे
१३५	ओ बोट	एक पंचायती झोंपड़ी जो अब नहीं है।
१३६	ओबेटेगा	छोटा
१३७	ओवोय (ओवे)	धागा
१३८	ओये	पीली या सफेद मिट्टी जो शरीर पर लेप की जाती है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

	ओंगी शब्द	अर्थ
१३९	ओये–चूने	एक प्रकार का मीठा फल
१४०	ओये टाके जीवे	मुट्ठी खोलो
१४१	ओगूलूवे	खेना
१४२	ओइकू कूलाटेवे	कीड़ा काटना
१४३	ओको ओवेटे	छोटा (पेड़)
१४४	ओले	एक प्रकार का घोंघा
१४५	ओलगा फुये	नर सुअर
१४६	ओमोजीवे	आँखें बन्द करना
१४७	ओमोकोव	सोना (सो जाना)
१४८	ओनोबटानगे	उंगलियाँ
१४९	ओनोबनानगे	हथेली
१५०	ओनो वेइके	पहली उँगली बन्द करो (मोड़ो)
१५१	ओनो बेको लोये	छोटी उँगली
१५२	ओनोबोटावे	अंगूठा
१५३	ओनो चाने	गर्दन ( )
१५४	ओनोकेके	शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र
१५५	ओनोकोये	कूआँ
१५६	ओनोलागे	घुटना (नाच)
१५७	ओनोलाटोआगे	घुटने की हड्डी
१५८	ओनोमें	हाथ
१५९	ओनोरागे	खोपड़ी
१६०	ओनोरानानगे	मथुने
१६१	ओनोरे	बाल
१६२	ओनोरूलेटेवे	सरदर्द
१६३	ओनोटाजीले	पसीना
१६४	ओनोटान कोवे	ऊपर से कुछ गिराना
१६५	ओनोटेजीबी	आओ चलें
१६६	ओनोटाटिनेकेडा	लड़की
१६७	ओनोटीचू	सरगना
१६८	ओरिंग गोरिंगे	मुंह पर के मवासे

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

१६९	ओरोला	एक प्रकार की चिड़िया
१७०	ओटागे	कहाँ (?)
१७१	ओटो	सेमल की रुई का बीज
१७२	ओटोटीबेलेबे	बड़ी संख्या में
१७३	ओय-ओकि ओकीबे	सोते समय नाक बोलाना
१७४	ता	डाँड
१७५	तायेमें	विवाह
१७६	तागा माइबे	चटाई बनाने के लिये बेंत की सफाई करना
१७७	तागा बाम्बो	पंचायती झौंपड़ी में लगे खम्भे को बाँधने का बेंत
१७८	तागुलूमेडा	समुद्र तट पर की पंचायती झौंपड़ी
१७९	ताइवालोये	" " "
१८०	ताइकोइले	बाँधना
१८१	ताइ लान्डा	समुद्र तट पर की एक पंचायती झौंपड़ी
१८२	ताजेबे	रेती से लोहे की पत्ती को धार देना
१८३	ताकेलाओ आ	बन्दूक की गोली
१८४	ताको आरेड्डा	पुत्र (लड़का)
१८५	ताको आरेड्डी ली	बच्चा (लड़का) ('ली' शब्द प्यार का द्योतक है)
१८६	ताकोये	केकड़े के पंजे का बना तम्बाकू पीने का पाइप
१८७	तालाँगे	लम्बी चपटी लकड़ी जिसके दोनों सिरों पर सूराख में लगा कर रस्सी बटी जाती है
१८८	ताम्बेबुये	सागर तट की एक पंचायती झौंपड़ी
१८९	ताम्मोगेरो	लकड़ी का तम्बाकू पीने का पाइप
१९०	तेक्रानवोय	केकड़ा
१९१	टाँगा	शहद देने वाली मधुमक्खी
१९२	तेआह	एक नाला
१९३	तेबेरा	एक प्रकार का फल

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

	ओंगी शब्द	अर्थ
१९४	तेबोचोना	घड़ियाल
१९५	तेजा	खाड़ी महुआ (पेड़)
१९६	तेजाकोने	पेड़ के छिलके से बनी रस्सी
१९७	तेकोआजा	मच्छर
१९८	तेना	सुअर मारने का बड़ा तीर
१९९	तेनजे	टम्बलर
२००	तीबीलेले	एक प्रकार का पेड़
२०१	तोबोगिरो	धनुष की रस्सी
२०२	तिकी-तिकी	एक प्रकार की मछली
२०३	तिकोय	धूप की मशाल
२०४	तानीगेडा	लड़की
२०५	तानीगेडालो	बच्ची
२०६	तेरान नानगेचू	शार्क मछली
२०७	तो चा अले	दिन
२०८	तो आयेगे तावे	सर का ड्रेस
२०९	ताचेने डुआ	कुल्हाड़ी का लोहे का हिस्सा
२१०	तोये इब राँगे	जंगल की एक पंचायती झौंपड़ी
२११	तोयेकाले	सफेद
२१२	तोगालांगे	जंगल की एक पंचायती झौंपड़ी
२१३	तोगेती कूजेबी	पेट फूलना
२१४	तोयजे नाकूनेगी	शादी का वस्त्र (झब्बा)
२१५	तोयेनोये	एक प्रकार का पेड़
२१६	तोकोन डोरूबा	चिड़ा
२१७	टोलेलाया	टोकरी (जो अच्छी नहीं बनी है)
२१८	बोले आयगा	अच्छी टोकरी
२१९	तोमेरोआ ओमालूकेने	ताड़ के पत्ते का बना हुआ सर का मुकुट (टोपी)
२२०	तोमैरोये	ताड़ के पत्तों का बना छाता
२२१	टोनगो	लकड़ी की डाली का एक सिर चपटा करके बनाया हुआ चम्मचा
२२२	तोनकी	रात्रि

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

	ओंगी शब्द	अर्थ
२२३	तोनकूलू	सूरज
२२४	तोनकूलू ओमे	सूर्य की रोशनी
२२५	तोनकटे	राख
२२६	तोनीऐजे	वेलचा
२२७	तोनीवेगे	एक प्रकार की पत्ती, जिसको शरीर पर रगड़ लेने से मधुमक्खी नहीं काटती
२२८	तोरबंडे	छोटा घोंघा
२२९	तोराती	कछुये की हड्डी
२३०	तोरेडालू / तोराडेलू	खाने वाली कन्दमूल
२३१	तोरियेगाली	एक प्रकार का कीडा
२३२	तोरोकावे	लाओ (ले आओ)
२३३	तोताकाको	एक प्रकार की चिड़िया
२३४	तोताकोचे / तोताकोची	बड़ी नाव
२३५	तोताकोयवी	लोहे की रेती
२३६	तोतान नानगी	मिट्टी
२३७	तोतेकोआटा	पहले (समय के लिये)
२३८	तोतेननामे	तकिए की तरह प्रयोग में आने वाली लकड़ी
२३९	तोनेते	हवा
२४०	तोनीरेले	दीमक का घर
२४१	तोती तेल	टार्च की रोशनी
२४२	तोतो काला	मोटी छाल का एक पेड़
२४३	तूईवे	खाना बनाना
२४४	तूगे	घोंसला
२४५	तुगीगुरेले / तुगेगुरेले	तितली
२४६	तुगेतेबे	रुखानी
२४७	तुगोरोरो	जैकसनक्रीक

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

	ओंगी शब्द	अर्थ
२४८	तूके	आज
२४९	तूकेकातालाया	एक शंख
२५०	तुकी रांगे	भाला
२५१	तुकनजीगूयो	चाय
२५२	तूलेबे	लेटना
२५३	तूलूगे	सुपारी के पत्ते की तश्तरी
२५४	तूओइबे	विधबा
२५५	अुये	पड़ा
२५६	उजेनगेबे	पानी बरसना
२५७	उडेला	नाला
२५८	ऊकीतेबे	सूर्योदय
२५९	ऊकोचेने	कितनी दूर (?)
२६०	ऊक	लकड़ी की बाल्टी
२६१	ऊली	पत्थर
२६२	ऊलीरा	बर्तन का टुकड़ा
२६३	ऊमो	कुत्ता
२६४	या	झींगा मछली
२६५	ऊमूगे	कबूतर
२६६	ऊलूकोबे	बनाना
२६७	अरुगे	कफ (जुकाम)

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

सन्दर्भ पुस्तकें

१—जनगणना रिपोर्ट १६०१।

२— ,, ,, १६११।

३— ,, ,, १६२१।

४— ,, ,, १६३१।

५— ,, ,, १६४१।

६— ,, ,, १६५१।

७— ,, ,, १६६१।

८—"अवर रिलेशन्स विद अन्दमानीज" (Our Relations with Andamanise by M. V. Port Man)

६—"रिपोर्ट आन सर्वे आफ लिटिल अन्दमान ड्यूरिंग १६५१–५२" by लिडो सिप्रियानी १६५३ : विभागीय बुलेटिन : भाग २, संख्या १ (Report on Survey of Little Andaman during 1951–53 by Lidio Cipriani : Anthropology Bulletin, Vol. VII, No. I)

१०—"Ongi Culture in Transition" by N. Dutta Majupdar 1957—Bulletin of Institute of Tradiational Cultures. Madras, 1957.

११—"Aborignial Inhabitants of Andaman Islands" by E. H. Man, 1932, Royal Anthropological Institute, London.

१२—"The Andaman Islanders" by A. R. Radcliff Brown, 1948—Free Press; Gleuces Illinois.

१३—"Andaman Islander" by Lidio Cipriani : Translated & Edited by D. Taylor Cox—Weidenfeld and Nicolson, 20, New Bond Street, London West.

१४—"Colonies in the Far East" by R. C. Majumdar.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

१५—"Ancinent Indian Colonies in the Far East" Vol. I & II by R. C. Majumdar.

१६—"Indian Cultural Infulence in Combodia" by B. R. Chatterjee.

१७—"The Cholas" by K. A. Nilkantha Sastri.

१८—"यात्रा विवरण : फाहियान, सुंगयुन और सुलेमान सौदागर", नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

१९—"Marcopolo" by Col. Yule.

२०—"General Collections of Voyages & Travels" published by Penhertens Ltd., London.

२१—"Harris Collection of Voyages & Travels", London.

२२—"Hamiltons Account of East Indies Pnikertions Vol. No. VIII, London.

२३—"Strange Customs of Court Ship Mariages" by J. Fielding.

२४—"A Survey of Indian History" by K. M. Panikar.

२५—Statstical out Line of Andaman Islands 1964–65, 1965–66.

२६—Report by the interdepartmental team acelerated development Programme for Andaman Islands–1965.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE